राजस्थान विधान सभा

५३वीं बैठक, शनिवार, दिनांक १६ मई, १६५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में प्रातः ७.४६ पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री मथुरादास माथुर के पत्र विषयक श्री वेदपाल त्यागी के प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री अध्यक्ष :—Yes, Shri Shridas Goel.

श्री श्रीदास गोयल :—आये तो हैं ही नहीं सब मेम्बर, Should I start ?

श्री अध्यक्ष :—Should I call the next member ?

श्री श्रीदास गोयल :—No Sir,

माननीय अध्यक्ष, एक मोशन जो श्री त्यागीजी ने प्रस्तुत किया और जिसका श्री हरिकृष्ण व्यास ने कल समर्थन किया, उस मोशन का एक लम्बा इतिहास बन चुका है। उसको उन्होंने एक तरह से स्पष्ट किया और तमाम बातें समझाई कि किन कारणों से यह प्रस्ताव हाउस के सन्मुख लाना जरूरी हो गया और उन्होंने उस प्रस्ताव को लाते हुए तमाम वस्तु-स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए कारण भी बताये कि किन कारणों से हम यह चाहते हैं कि उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जावे।

मैं, माननीय अध्यक्ष, निवेदन करूं कि सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी देश के प्रति है और यदि देश के प्रति हम अपनी- अन्तरात्मा की आवाज की कद्र करके, अपनी सेवाओं को अर्पित करने को तैयार हैं तो इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमको बहुत गम्भीरता से उन तमाम बातों पर, उन तमाम मुद्दों पर विचार करना पड़ेगा, जिनका कल जिक्र किया गया और साथ ही इस बात को नहीं भुलाना है कि हम उस पवित्रता और कर्त्तव्य का पालन करने के लिये हैं। हम इस हाउस में १६० सदस्यों के रूप में विद्यमान हैं और हम प्रतिनिधित्व करते हैं उस सारे राजस्थान की जनता का कि जिन्होंने हमारे कन्धों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां छोड़ी हैं सुचारू राज्य व्यवस्था करने की, सर्वांग सुधार करने की और प्रान्त का विकास करने की और सही ढंग से पवित्रता, ईमानदारी और सच्चाई से अपने कर्त्तव्य का पालन करने की।

कुछ भाई कह सकते हैं, कुछ मित्रों की धारणा यह हो सकती है कि ये तमाम इस प्रकार के मोशन, इस प्रकार की गुफ्तगू कहीं कोई राजनैतिक आवाज तो नहीं है, तथ्य कुछ न हों, और एक राजनैतिक आधार बनाकर इसको उलट फेर करके दिखाया गया हो। तो माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूं कि जैसा कि कल भी मैंने सुना और पहले के सत्रों में भी सुनने का मौका मिला कि वस्तु-स्थिति बहुत गम्भीर है और उस गम्भीरता पर विचार करते हुए जब हम तर्क-वितर्क की ओर जाते

[श्री श्रीदास गोयल]

हैं, तो सम्भव हो सकता है कि बुद्धिमान मनुष्य, वृहस्पति जैसे मस्तिष्क वाले, एक सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में भी सफल हो सकते हैं, उसमें माहिर हो सकते हैं।

लेकिन जो सच है और जिसके लिए हमारी दो राय नहीं हो सकती वह सच ही रहेगा, उसकी कद्र करनी चाहिए। यह मैं नहीं कहता कि जो कुछ इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा गया, कोड वर्ड के लिए कहा गया, उस पुस्तक को स्वीकार कराने के सम्बन्ध में कहा गया, सारे राजस्थान में प्रचलित कराने के सम्बन्ध में कहा गया, उसके पीछे क्या भावना थी, क्या इरादे थे, क्या आर्थिक लाभ था और क्यों उनको अब तक इस रूप में ही रखा गया ? लेकिन यह भी नहीं भुलाया जा सकता है कि यदि इस प्रकार प्रस्ताव हाउस में आये चाहे वह प्रस्ताव किसी कोर्नर से आये, इसके बावजूद भी गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। माननीय नेता ने कल कुछ फाइलों का जिक्र करते हुये अपने विचार प्रकट किये और उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह कहा जाता है उस हद तक इस चीज को नहीं पाया गया है। फ्रन्टियर ला बुक डिपो के लिए फरमाया कि कुछ ही दिन पहले उसको गलत तरीकों के कारण, उसके कुकर्मों के कारण, उसकी चालाकी से गुप्त बात मालूम करने के कारण उसको ब्लेक लिस्ट कर दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब वह ब्लेक लिस्ट हो गया है तो कोई कारण नहीं है कि यह किताब ब्लेक लिस्ट न हो। मैंने देखा है और किताब को कई दफा पढ़ा है, मैंने यह भी देखा है कि उसकी छपाई, भाषा और साहित्य जो कुछ भी लिखा हुआ है, उस सबको देखते हुए वह ऐसी पुस्तक नहीं थी जो कि हमारे नन्हें बालकों की प्रगति के लिये बहुत बड़ा साधन हो। मैं ऐसी स्थिति में निवेदन करूं कि किताब के लिए जब माननीय नेता ने कल फरमाया तो शायद वह यह कहना भूल गये कि उस किताब का भविष्य क्या होगा, उसके भाग्य का क्या निबटारा होने वाला है ? सरकार जब फ्रन्टियर लॉ बुक डिपो को ब्लेक लिस्ट में कर चुकी है तो कोई कारण नहीं रहता कि वह किताब आगे के लिये चले।

जहां तक और बातों का प्रश्न है मैं सबसे पहले निवेदन कर चुका हूं कि वैसी गम्भीर बातों पर हमको सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा कि किसी चीज को करने या नहीं करने के लिए हम जो यहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक लाख जनता का एक एक व्यक्ति वह किन्हीं कारणों से, बहुत से कारण हो सकते हैं; दोहराने का सवाल पैदा नहीं होता, कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, कुछ भविष्य के कारण हो सकते हैं, कुछ वर्तमान के कारण हो सकते हैं और भी बातें हो सकती हैं कि तमाम को करने में कठिनाई मानते हुए भी हमारा परम कर्त्तव्य यह हो जाता है कि जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बारे में न्याय करें और न्याय करवायें और मैं यह भी निवेदन करूं कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे समय में पवित्र कुर्सियों पर बैठकर उस मन्दिर के न्यायाधीश जैसे हो जाते हैं कि जो दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि जब एक प्रस्ताव यहां पर आया और उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में ऐसी बातें आई तो सबसे पहले उसे देखते हुए हमारे माननीय अध्यक्ष ने कल फरमाया कि वे बहुत से कागजात देख पाये और बहुत से कागजात देखने की इच्छा नहीं हुई और मैं स्वयं इसमें अपने आपको भागी नहीं मानना चाहता और मैं इसमें खास तौर से कोई एक्टिव वर्क करने के लिये प्रेरणा नहीं लेता, तो मैं यह निवेदन करूं जब कि एक चीज कुछ अपने ढंग से होती है और उस ढंग की चीज को उसी ढंग से रखने के लिये कुछ कठिनाइयां होती हैं तो सम्भव है कि बहुत

[श्री श्रीदास गोयल]

सी कठिनाइयां सामने आजायं उसमें, आगे के लिये बढ़ाने के वास्ते तो मैं यह प्रार्थना करूं कि यह भी साथ नहीं दे लेकिन यह जरूरी है कि मजबूती के साथ करें या चाहे किसी प्रकार से करें, करना पड़ेगा और आपकी जिम्मेदारी सारी जनता के प्रति है। जब कि एक पुस्तक जैसी चीज के लिये कि जिसको ४ लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं और जिस पुस्तक की कीमत सवा पांच आने रखी है जब कि उसकी कोस्ट प्राइस तीन आने हैं तो बचत इस तरह से सवा दो आने बैठती है तो ८२,५००) रु० उसकी कीमत पर नेट प्रोफिट के रूप में उतरता है। तो इसकी ५२।। हजार, मुझे माफ करें, कीमत है, नेट प्रोफिट के रूप में। तो फ्रन्टियर लॉ बुक डिपो का कितना बड़ा आधार होगा आर्थिक लाभ का इस किताब के पीछे। उसके पीछे क्या क्या बातें की जा सकती हैं और क्या २ बातें संभव हो सकती हैं!

अन्त में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में जब कि ऐसे मामले सामने आयें तो किसी और बात के कहने की जरूरत नहीं है। बहुत सी बातें हैं। बहुत से व्यक्ति साम, दाम, दंड, भेद से कर सकते हैं, दस चीजें पैदा करने के वास्ते गुन्जाइश बना सकते हैं। दस षडयन्त्र रच सकते हैं। यह संभावना हो सकती है। बहुत सी बातों के लिए राजनैतिक आधार हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में राजनैतिक आधार है, वास्तव में गलत प्रस्ताव है, वास्तव में षडयन्त्र बनाया गया है, यह तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको तर्क-वितर्क के साथ, अन्तरात्मा की आवाज के साथ तोलना पड़ेगा। उस आवाज से तोलगे तो गलत राह पर नहीं जायेंगे, तो मैं यह निवेदन करूं कि जो कुछ भी मोशन रखा गया है जिसके लिए मझे अधिक रीजनिंग् देने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि जैसा कि माननीय मित्र श्री माथुर ने, खुद ने, अपने शब्दों में कहा कि मुझ पर आरोप लगाये जाते हैं तो मैं दुहाई देने वालों के आरोपों का स्वागत करता हूं और यह चाहता हूं कि एक कमेटी का निर्माण हो और और वह कमेटी तमाम मुद्दों पर, अच्छी तरह से तमाम रिपोर्टों पर निर्णय ले और आवश्यकता पड़े तो गवाहों के बयानात ले और तय करे कि वस्तु स्थिति क्या है? किस हद तक किसकी जिम्मेदारी है? यह सही चीज है।

हमारे माननीय नेता ने जो कुछ स्पष्टीकरण किया उसके बाद जो कुछ दूसरे सदस्यों ने कहा और उसके पहले प्रस्तावक महोदय ने जो कुछ भी आरोप लगाये उन सब को देखते हुए यह जरूरी मालूम होता है कि जो कुछ भी हालत मालूम की गई है उसका आद्योपान्त तमाम रेकार्ड, तमाम गवाहान, और हरेक मुद्दे पर पूरी तरह उनका संभवतः ध्यान नहीं जा सका और यह ठीक है कि अगर एक व्यक्ति कम्प्लेन्ट करता है तो कम्प्लेनेन्ट को एक मौका दिया जाता है, प्राइमा फेसी केस को एस्टेब्लिश करने के वास्ते अदालत में और उसे स्वतन्त्रता है अपने जो डोक्यूमेन्टस् हों उन्हें पेश करने के वास्ते, और उस वक्त उसके लिए क्रोस एक्जामिन करने की जो व्यवस्था है उसमें से नहीं गुजरना पड़ता है। तो ऐसी हालत में हमारे माननीय नेता को ऐसी स्थिति मालूम हुई है कि प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है तो अपने विचार बहुत स्पष्टतः रख सकते थे।

साथ में मैं यह भी निवेदन करूं कि इन मुद्दों को देखते हुए कानूनों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। वही मार्गदर्शक है ऐसी सब बातों के लिए। जैसा कि मैं निवेदन करूं कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि जिन पर कयासात की कद्र करनी पड़ती है और ऐसी हालत में जैसा कि कल कहा

[श्री श्रीदास गोयल]

गया प्रिज़म्पशन्स, इन्फरेन्सेज, डिडक्शन्स और कयासात ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे किसी के प्रति कोई आरोप लगाने उचित नहीं हैं। लेकिन में निवेदन करूं कि एक मर्डर हो गया, जंगल में किसी ने कत्ल को नहीं देखा। कौन मरा है और कौन मारने वाला है? मरने वाला तो प्रयाण कर गया है उसके लिए कोई कयासात हो कि कहीं कपड़े मिल गये, खून के धब्बे लगे हुये मिल गये, कुछ हथियार मिल गया, या कुछ ऐसी सूचना पैदा हो गई कि जिनके द्वारा प्रिजम्पशन किया जा सके, या इनफरेन्स निकाला जा सकता है कि इसी शख्स ने कत्ल किया है। यह बहुत बड़ा सुबूत हो जाता है उसके विरुद्ध कार्य करने के वास्ते। इसी प्रकार में निवेदन करूं कि एक व्यक्ति ने चोरी की। चोरी करते हुए किसी ने नहीं देखा, घर में घुसते हुए किसी ने नहीं देखा। चोरी का माल ले जाते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन किसी के यहां रिसीवर ग्रॉफ स्टोलन प्रोपर्टी के रूप में देख लिया तो रिसीवर ग्रॉफ स्टोलन प्रोपर्टी को जिम्मेदार ठहरायेंगी और फिर उसके द्वारा लिंक बैठायेंगे। उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि जितनी की चोरी करने वाले की, डाइरेक्टली चोरी करते हुए पकड़े जाने पर। इसी प्रकार और भी बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं। तो मेरा यह साफ निवेदन है, मुझे नहीं मालूम है कि किस ने क्या किया, लेकिन यह बहुत सही चीज़ है। हमारी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये, उसकी पवित्रता को कायम रखने के लिये, अपने कर्त्तव्य को पालन करने के लिए यह निहायत जरूरी है कि पक्षपात होता है उसको दूर करने के लिए तैयार रहें, यह देखने के लिए तैयार रहें कि वह पवित्र है या अपवित्र है। और जब मैं एक बात मानता हूं कि हमारे पास सत्ता है, हमारे पास शासन है तो हमारी जिम्मेदारी उस वक्त और भी बढ़ जाती है, हमें यह देखना है कि हम न्याय करते हैं। उसके साथ साथ संसार भी यह मालूम कर ले, अच्छी तरह से मालूम करले, उसकी भावना बन जाय, दृढ़तापूर्वक रिजोल्यूशन हो जाय कि यह न्याय किया जाता है और हम सब देखते हैं कि न्याय होता है। तो मैं यह निवेदन करूं कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत से माननीय सदस्य रीज़निंग्स देते हुये, कानूनों का जिक्र करते हुए बातें कहेंगे। मैं निवेदन करूं कि किसी मित्र के खिलाफ यदि इस प्रकार का केस आता है तो प्राइमा फेसी देखना जरूरी चाहिए, इस प्रकार के रीज़न्स दिये गये हैं आगे बढ़ कर दिये गये हैं कि जिनका देना श्रेयकर नहीं था। मैं ऐसा मानता हूं कि १६० मेम्बर्स की, सब की, प्रतिष्ठा एक दूसरे के साथ है और एक दूसरे की प्रतिष्ठा को रखेंगे और उनको ठीक रास्ते पर रखने का प्रयत्न करेंगे। यदि ठीक रास्ते पर हैं तो गलत आरोप नहीं लगायेंगे और अगर कोई गलत फहमी है तो आपस में घर में बैठ कर वैसे ही सुलझावेंगे, यह ज्यादा श्रेयकर बात थी। यह हाउस की प्रतिष्ठा की बात है।

यह एक दुखपूर्ण घटना घटी है। एक मोशन आया, कल विचार हुआ, बहुत सी बातें कहीं गईं जिनके लिए अवसर नहीं देना चाहिए। लेकिन यह साफ है कि ऐसा मोशन आया है तो शुरू में ही जैसे कन्वेन्शन्स हैं, मैं निवेदन करूं कि इंगलैंड से हमारे राजस्थान के लिए कन्वेन्शन पैदा करना है, जहां सैकड़ों वर्षों से डेमोक्रेसी है और उस कॉन्स्टीट्यूशनल कन्वेन्शन की कद्र की जाती है और कहीं कहीं तो रूटीन एस्टेब्लिश्ड हैं तो उसके मुकाबले में कन्वेन्शन्स की ज्यादा कद्र की जाती है। जो परम्परायें हैं उनके द्वारा हम हाउस को स्वस्थ रख सकते हैं। इन परम्पराओं की दृष्टि से भी यह जरूरी हो जाता है कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करते और जिन सज्जन ने यह मोशन रखा है, हाउस में डिबेट

Page No.5

[श्री श्रीदास गोयल]

करते ही प्राइमा फेसी बनता है या नहीं ? इधर उधर की बहुत सी बातें सुनकर अपने दिमाग को बनाया है, जो कुछ डॉक्यूमेन्ट्स हैं, उनका जिक्र किया है, किसी व्यक्ति को लेटर डिलीवर हुआ है, एक सज्जन सर्विस में थे वे लेटर डिलीवर करते हैं और उसके लिए कहते हैं कि लेटर डिलीवर नहीं हुआ, यह ऐसा कन्ट्राडिक्शन है। माननीय नेता के दोनों प्रकार के वर्ज़न्स सामने आते और साइकोलोजिकल दोनों प्रकार के व्यक्तियों की सुनते और जब तक समझ न लेते तब तक यह असंभव है कि वे इस निर्णय पर पहुंच सकें कि कौनसा कितना सही है। बहुत से डॉक्यूमेन्ट्स का जिक्र किया गया, ऐसे डॉक्यूमेन्ट्स हैं जिनका जिक्र नहीं किया गया, तथ्यपूर्ण हैं, रिलेवेन्ट हैं इस मामले में। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूं कि क्या किसी व्यक्ति की तरजीह के लिए सच्चे पेपर्स को छिपाने की चेष्टा करें, हमें स्पष्ट कह दीजिये, एविडेन्स दीजिये और यह बात कहते हैं कि राजनैतिक पीड़ित को मदद पहुंचाने के लिए काम किया और कोई दिमाग नहीं बनाया कि इतना लाभ हो जाय और साधारण सी किताब दे दी, गुजरबसर के लिए दे दी। यह ख्याल हो सकता है। क्या उन्होंने इन सारी बातों को कहा था, तो इस हाउस की एक कमेटी माननीय नेता, माननीय स्पीकर उसके लिए आदेश फरमायें और इस प्रकार की कमेटी इस हाउस के प्रति, इस हाउस की प्रतिष्ठा के प्रति जिम्मेदार होगी, इस हाउस की पवित्रता के प्रति जिम्मेदार होगी। कोई कारण नहीं है, कहीं से भी वे चीजें आई हैं, किसी ढंग से आई हैं, किसी दिमाग से आई हैं, क्यों न कद्र करें, जांच करा लीजिये, रिपोर्ट पेश कर दीजिए।

मैं सदन का अधिक समय न लेकर अपने शब्दों को दोहरा देना चाहता हूं कि सर्वोपरी हमारी जिम्मेदारी राजस्थान की १।। करोड़ जनता के प्रति है। दसों आदमियों से मेरी बातचीत हुई, पूछते हैं, क्या हो रहा है। जिम्मेदारी की, मजबूती की, कर्त्तव्यपरायणता की और पवित्रता की बातें तो करते हैं ! मैं निवेदन करूं कि जो खास तौर से शासन चला रहे हैं उनकी और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उनको गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करना है और कोई मित्र कैसी ही विचारधारा रखता हो, खास तौर पर ध्यान देना है, हाउस की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए कोई आरोप आये तो बिना डरते हुए खुले दिल से स्वागत करना चाहिये।

श्री सोहनलाल भटनागर :—माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न सदन के सामने कई बार प्रस्तुत हुआ, कई बार उठाया गया और चर्चा की गई और मैं आशा करता हूं कि अब यह सदन के सामने आखरी बार होगा।

संसद के सदस्य और विधान सभा के सदस्यों के कन्डक्ट के बारे में कोई लिखित कोड नहीं है और जो कुछ हमें मिलता है वह बाहर के, विदेशों का है और युनाइटेड किंग्डम की जितनी एक्ज़ाम्पल्स हैं उनसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के मूवर ने एक केस को भी सदन के सामने प्रस्तुत किया जिसे मुद्गल केस कहा जाता है और जो हिन्दुस्तान के अन्दर एक गंभीर केस माना जाता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस केस की और उस केस की साम्यता में बहुत अन्तर है। इस तरह से दूसरे एक्जाम्पल्स दूसरी पार्लियामेन्ट्स से मिलते हैं, उनमें भी काफी अन्तर है। मैंने पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस को देखा। इस सम्बन्ध से ताल्लुक रखने वाले केसेज को देखें तो मालूम होगा कि किसी ने, किसी व्यक्ति ने २०० पौन्ड किसी कार्य को करने के लिए लिये, सदन में लिये तो

[श्री सोहनलाल भटनागर]

उसको पनिश किया गया। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा प्रस्ताव प्रस्तावक ने प्रस्तुत किया है उसमें यह बातें नहीं हैं कि उन्होंने कितना ग्रेटिफिकेशन, कितना फायदा, इस कार्य के द्वारा प्राप्त किया, या भविष्य में प्राप्त किया। यह हमारे सामने नहीं है और दूसरी बात भी नहीं है। सदन में यह कार्य किया। मुद्गल केस में प्रत्यक्ष बात थी। कई क्वेश्चन टेबल किये हैं, रिजोल्यूशन रखे हैं मिनिस्टरों को मिलाया है, ऐसी बातें कीं, सदन के सदस्य होने के नाते ये कार्य किये इसलिए उनको पनिश किया गया और इन्क्वायरी बिठाई गई। लेकिन इस केस में यह चीज़ नहीं है। एक बात है, ऐसा पत्र लिखा। उसकी भाषा को देखना है। जैसी की है, "कीप इन व्यू" इतनी माइल्ड भाषा है। पहुंचा या नहीं पहुंचा पत्र, उसका क्या असर हुआ, इसको मैं बाद में निवेदन करूंगा। मैं केवल इसकी भाषा को बता रहा हूं कि इसकी कितनी माइल्ड भाषा है कि जिसके लिए यह नहीं कहा जा सकता, जिसके पास यह पहुंचा हो उसके ऊपर कोई ठोस दबाव पड़ा हो उस कार्य पर।

माननीय अध्यक्ष, इस प्रस्ताव के प्रस्तावक ने इस सम्बन्ध में मुद्गल केस के सम्बन्ध में श्रीमती दुर्गाबाई ने कमेटी के सामने १२ पोइन्टस् रखे हैं और जो पोइन्ट इसमें लगते थे उनको नहीं बताया। मैं सदन के समक्ष वे दो पोइन्टस् प्रस्तुत करता हूं।

"A Member should not permit himself to be used as a ready supporter of anybody's grievances or complaints."

"A Member should not in his capacity as a lawyer or legal advisor or a counsel or a solicitor appear before a Minister or an executive officer exercising quasi-judicial power."

माननीय अध्यक्ष, जो कुछ उन्होंने लिखा है वह एक रिकमन्डेटरी नेचर का है। मैं मान सकता हूं कि जो १२ बातें उसमें लिखी गई हैं वे किसी सदन या विधान सभा के सदस्य को अपने स्तर को ठीक रखने के लिए कायम रखनी चाहिए। हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र के शैशव काल से गुजर रहा है। ये मेन्डेटरी नेचर के नहीं हैं। इनमें से जो कोई काम करेगा उसको सजा होगी, जो सदन से बरखास्त कर दिया जावेगा। जैसे कि दो उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये, हम यहां बैठने वाले सदस्य और दूसरी जगह बैठने वाले सदस्य जिनको ग्रिवीन्सेज होती हैं उनको दूर करने का और उनको सहायता पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन इसमें मूल बात यह है कि कोई अर्थलाभ करे या बेजा एडवान्टेज उठावे तो वह सजा का भी भागी होता है या उसको सजा मिल सकती है। लेकिन दूसरे गरीबों की सहायता के लिये या जो समाज सेवक हैं, उनकी सहायता करने के लिये या कांस्टीट्युएन्सीज़ में रहने वालों की तकलीफ को दूर करने के लिये कोई कदम उठावे तो उसका यह मतलब नहीं कि मेम्बर होने के नाते हमारा कन्डक्ट डेरोगेटरी हुआ।

मुद्गल केस के बारे में बहस सुनते समय हाउस के माननीय अध्यक्ष ने ओब्जेक्शन किया है :—

"I am perfectly clear that every member will be perfectly within his rights to take anything whether of an individual or of a public nature to the Prime Minister. But the question is not whether Mr. Mudgal went or not, but that he did it for some kind of advantage."

[श्री सोहनलाल भटनागर]

अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर मूल बात यह है कि क्या एडवान्टेज उन्होंने प्राप्त किया या सदन में उन्होंने क्या कार्यवाही की। ये दोनों चीजें इस केस में नहीं मिलतीं जिससे कि सदन के अन्दर इस तरह का प्रश्न उठाया जाय। किसी माननीय सदस्य के बिना किसी तरह का अर्थलाभ किये या बिना किसी तरह का एडवान्टेज लिये माइल्ड भाषा में यदि दो शब्द उन्होंने लिख दिये हैं तो सदन उसके खिलाफ कार्यवाही करे, यह उचित बात नहीं है। श्री मुद्गल के खिलाफ जो चार्जशीट बनाई गई थी उसमें यह चीज़ थी कि "to investigate the conduct and activities of Shri Mudgal, member of Parliament, in connection with certain dealings with the Bombay Bullion Association which include convassing, support and making propaganda in Parliament on problems like option business, stamp duty, etc. and receipt of financial or business advantages from the Bombay Bullion Association." तो माननीय अध्यक्ष, इसके बारे में जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है उसमें भी यह बात नहीं है कि सदन के अन्दर उन्होंने ऐसी कोई कार्यवाही की कि जिसके कारण वे जिम्मेदार ठहराये जा सकें या उन्होंने कौनसा एडवान्टेज उठाया जिसके कारण वे दोषी ठहराये जा सकें। बहस के अन्दर यह बात आई कि उन्होंने २०,००० रुपये देने का वादा किया था और ५,००० रु० एडवान्स के तौर पर दे दिये थे। खाली कयासों के आधार पर किसी माननीय सदस्य के कन्डक्ट पर डाउट किया जाय, यह उचित नहीं है। यह फंडामेन्टल सिद्धान्त है जुरिसप्रुडेन्स का कि कयासों के बेसिस पर किसी को किसी बात के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सबसे पहले मेटीरियल पर्टिकुलर्स होते हैं किसी पर जुर्म बनाने के लिये; इस केस में दो इन्ग्रीडियेन्ट्स होना चाहिये; एक तो यह कि सदन में उन्होंने क्या कार्यवाही की और दूसरा यह कि उन्होंने क्या एडवान्टेज प्राप्त किया। इसमें दोनों ही चीजें वर्तमान नहीं हैं। तो मैं यह नहीं मानता कि सिद्धान्त का प्रश्न उपस्थित करके किसी के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।

दूसरा प्रश्न यह था कि पत्र देने के बाद क्या रीएक्शन हुआ। यह बात प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखती और इसको यों ही लंबा तूल बनाया है। प्रस्तावक महोदय और दूसरे साथियों ने अपनी दलील में रीएक्शन के बारे में कहा है। एक जोन के बजाय तीनों ही जोन्स में इसे लागू किया, इससे उनका ताल्लुक नहीं है। यह किया है तो गवर्नमेन्ट ने किया है। उस फर्म को ब्लेक लिस्ट क्यों नहीं किया गया? इससे भी माननीय सदस्य का कोई सम्बन्ध नहीं है। उसको ब्लेक लिस्ट में नहीं किया तो गवर्नमेन्ट ने नहीं किया, इसके लिये गवर्नमेन्ट पर चार्ज लगा सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन यह बात माननीय सदस्य से ताल्लुक रखने वाली है, उनसे बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट है।

एक बात यह प्रस्तुत की गई और एक तरफ यह कहा गया, जैसा मथुरादासजी ने कहा कि यह पत्र कभी नहीं पहुंचा और दूसरी तरफ प्रस्तावक महोदय ने कहा कि पालीवालजी के सामने यह पत्र आया। मैं कहूंगा कि यह भी मेटीरियल बात नहीं है। आया, पत्र पहुंचा या नहीं? मान लीजिये कि पत्र पहुंचा तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि किसी की सहायता की गई है १।। साल पहले और उसके बाद १।। साल तक कुछ नहीं कहा गया और १।। साल बाद कुछ कहा जाता है तो उसकी वेल्यू कम हो जाती है। पालीवालजी हमारे एक सम्माननीय नेता हैं। मैं उनकी एविडेन्स की

[श्री सोहनलाल भटनागर]
वेल्यू के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन इंडियन एविडेन्स एक्ट के अनुसार यदि किसी आदमी ने एक आदमी को कत्ल किया और दूसरे आदमी ने उस को कत्ल करते समय देख लिया लेकिन डेढ़ साल तक उसने कुछ नहीं बताया कि फलां आदमी ने किसी का कत्ल किया है और वह कत्ल करने वाला आदमी स्वतंत्र रूप से घूमता रहा और डेढ़ साल बाद पुलिस में आकर कहा कि मैंने फलां आदमी को कत्ल करते हुए इस आदमी को देखा है और उस आदमी का चालान कर दिया जाय, तो यह सोचने की बात है। जब एविडेन्स सामने आती है तो उसकी वेल्यू, उसका कंडक्ट के बारे में मालूम करके की जाती है एविडेन्स देने वाले के आपसी ताल्लुकात भी देखे जाते हैं। जिसके खिलाफ़ वह है उसके आपसी ताल्लुकात भी देखे जाते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सारा सदन जानता है कि जो एविडेन्स प्रस्तुत की जा रही है उसकी क्या वेल्यू है? प्रस्तावक और उनके आपसी ताल्लुकात क्या हैं? यह सब सदन जानता है। इसी कारण माननीय सदस्य जो इन बैन्चों पर बैठते थे उनको यहां से उठ कर दूसरी तरफ जाना पड़ा। सदन जानता है कि जिस माननीय सदस्य के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया गया उन माननीय सदस्य के साथ प्रस्तावक महोदय के ताल्लुकात कितने बिटर होंगे और नेतागिरी के बख्त हार खानी पड़ी और रुख आज भी उग्र ही है। यह प्रश्न पुराना हो चुका है। केवल इसलिए कि माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा को समाप्त करना है इसलिये इस प्रश्न को बार बार लाते हैं। बजट पर वाद-विवाद करते वक्त भी और राजप्रमुख के भाषण पर वाद विवाद करते वक्त भी इसका जिक्र किया जाता है और इस तरह का प्रस्ताव लाकर भी इसके बारे में कहा जाता है। यदि उन्होंने फायदा उठाया है तो सदन उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही करे, चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो। लेकिन खाली कयास पर कोई कार्यवाही करना वाजिब नहीं है। समाज सेवा के लिये या गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिये कोई कार्यवाही करते हैं और खुद कोई फायदा नहीं उठाते हैं, उसके लिये भी सदन कोई कार्यवाही करे तो मैं कहूंगा कि यह ठीक नहीं होगा। स्वस्थ परम्परा कायम करने की बात कहते हैं, यह उसके विपरीत पड़ती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन सारी बातों को सोचे और खाली भावनाओं के आवेश में आकर बाद के रिएक्शन या सरकार में फैले हुए भ्रष्टाचार को लेकर सदन के सदस्यों की भावनाओं को उकसाया जाय तो मैं निवेदन करूंगा कि सदन के माननीय सदस्यों को सोच विचार कर कदम उठाना चाहिये, जो केस हमारे सामने है उसके प्रोस एण्ड कांस, मेरिट और डीमेरिट को देखें और इन बातों को देखते हुए इसके बारे में निश्चय करें।

श्री गोपीलाल यादव :—अध्यक्ष महोदय, ...

श्री किशनलाल शाह :— Has the list of speakers been finalized and only those names will be called ?

श्री गोपीलाल यादव :—अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक बहुत अहम प्रश्न इस हाउस के सामने आया है और उस पर हमको बगैर किसी भावना के, बगैर किसी द्वेष के और बगैर किसी पार्टी बाजी के विचार करना चाहिये और एक ऐसी परम्परा कायम करनी चाहिये जो कि इस सदन के लिये ही नहीं बल्कि भारत के दूसरे सदनों के लिये भी एक सही परम्परा बने। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले यह केस किस तरह बना है। एक लेटर श्री मथुरादासजी

[श्री गोपीलाल यादव]
माथुर के हाथ का लिखा हुआ जिसमें उन्होंने एक किताब को ध्यान में रखने की सिफ़ारिश की उसमें एक सीक्रेट कोड वर्ड में जो उक्त किताब का नम्बर लिखा हुआ था उसका प्रयोग करके उस समय के डाइरेक्टर आफ़ एज्युकेशन के पास वह पत्र भेजा गया था। अब इसके आगे प्रश्न यह है कि वह लेटर पहुंचा या नहीं पहुंचा, इससे किसी को लाभ हुआ या नहीं ? मैं तो यह मान कर चलता हूं और मैं समझताहूं कि इसमें शायद ही कोई मतभेद होगा कि रिकमन्डेटरी लैटर लिखना ही ग़लत है और सदन के किसी सदस्य को लिखना नहीं चाहिये और कोड वर्ड को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। गनपत माथुर की कार्यवाही जो सदन के सामने आई वह निहायत घृणित है और उसको जितना भी कनडॅम किया जावे थोड़ा है। उसको माननीय मथुरादासजी के पास जाना ही नहीं चाहिये और गया तो उसको कोड नम्बर नहीं खरीदने चाहिये। इससे यह साबित होता है कि मथुरादासजी इसमें शामिल नहीं हैं मगर सिफ़ारिश तो की है, लेकिन अब खुशी की बात है कि इस फ़र्म को आपने ब्लेक लिस्ट कर दिया और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि सरकार अवश्य ही इस किताब को नेशनेलाइज़ करेगी और दूसरी कोई भी कार्यवाही इसके लिये आवश्यक होगी, करेगी।

अब प्रश्न यह है कि इस लेटर का क्या प्रभाव है, इससे उसको फ़ायदा हुआ या नहीं और इस लेटर से कोई प्राइमाफ़ेसी केस बनता है या नहीं और हाउस इसका कोग्निज़ेन्स ले सकता है या नहीं ? मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहला प्रश्न लेटर के पहुंचने का है। मैं यह भी मान कर चलता हूं कि कल जैसा हाउस के नेता ने कहा कि पालीवाल जी ने जो बात कही उसको मान लेनी चाहिये और अगर मानते हैं तो वह लैटर पहुंचा नहीं। अगर नहीं पहुंचा तो भी लेटर के लिखने वाले और लिखवाने वाले कम से कम यह व्यू नहीं ले सकते कि लैटर पहुंचा नहीं। यदि मथुरालालजी पर कोई केस चलाए तो वे कह सकते हैं कि कोई भी आदमी कोई भी लेटर मुझे जेल भिजवाने के लिए लिख दे, इससे केस का कोई सरोकार नहीं। जब तक यह पूरी तरह से साबित नहीं हो जाए, माना नहीं जा सकता कि वह लेटर पहुंचा; लेकिन लिखने वाला और लिखवाने वालों को यह कहने का अधिकार नहीं है कि लेटर नहीं पहुंचा। इसलिये हमें यही मान कर चलना चाहिये कि लैटर पहुंच गया।

इसके बाद जब लेटर पहुंच जाता है उसके बाद मथुरालालजी क्या करते हैं,यह चीज़ हमारे सामने पूरी तरह नहीं है। सदन के नेता ने बताया कि मथुरालालजी का कोई हाथ नहीं और सिलेक्ट कमेटी के दूसरे सदस्यों ने यह किया। यह चीज़ जैसा कि उन्होंने यहां बताया बिल्कुल सही और संभव हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ़ बहुत से लोगों ने और श्री एच. के. व्यास ने बताया कि जो चीज़ मैं हाउस के नेता को बता कर साबित करना चाहता था मुमकिन है कि उनका (श्री मथुरादासजी) का इस किताब को मन्जूर करवाने में हाथ हो। यदि सब चीजों को मान लिया जाए तो भी अब देखना क्या है, हाउस को करना क्या है और करना क्या चाहते हैं, मैं इस संबंध में अपनी राय एक हाउस के सदस्य के हैसियत से जो मुझे इमानदारी से देनी चाहिये और एक नागरिक के हैसियत से भी बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का कार्य हाउस में सोचते वक्त हमें पहले यह सोचना पड़ेगा कि वास्तव में हाउस इन चीज़ों को लेने के लिये कोम्पीटेन्ट है। कोम्पीटेन्सी के बारे में तो मैं कहने को तैयार नहीं हूं। हाउस तो करीब करीब सोवरिन बोडी है और अगर कोई सदस्य ऐसा काम करता है जो सदन चाहे तो ले सकता है। यह कोई दलील नहीं कि काम हाउस के अन्दर किया गया या बाहर। मथुरादासजी से तो लेटर लिखवाया गया

[श्री गोपीलाल यादव]

वह एक सदन के सदस्य की हैसियत से लिखवाया या नहीं ? मैं समझता हूं कि यह लेटर जो लिखवाया गया, वह एक सदस्य की हैसियत से नहीं लिखवाया गया। क्या हाउस में १६० सदस्य रहते हैं, उनमें से कोई भी लेटर लिखदे, किसी के लेटर को मथुरालालजी मानने को तैयार नहीं हैं। पालीवालजी ने जो कहा उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वह एम. एल. ए. के तरीके से लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेन्ट इस प्रकार के लेटर लिखवा कर हमसे गवर्नमेन्ट ऐसे ऐसे काम करवाती रही है और एक्सटेन्शन नहीं देते। इससे यह साफ़ जाहिर होता है कि यह लैटर गवर्नमैन्ट का लिखा है या गवर्नमेन्ट के किसो ऐसे आदमी का लिखा है जो सुपर गवर्नमैन्ट है। लेकिन यह नहीं मान सकते कि यह किसी एम. एल. ए. का लिखा हुआ है। किसी एम. एल. ए. की ताकत नहीं कि इतने बड़े आदमी पर लैटर लिख कर अपना इन्फ्लूएन्स डालें। हो सकता है कि श्री मथुरादासजी ने उनको लेटर इसलिये लिख दिया हो कि वे पहले एक्स मिनिस्टर रहे हैं और डी. पी. आई. उनके साथ, उनका कोई नाता रहा हो और उसके नाते लिखा हो या इस नीति से लिखा हो जैसा मथुरालालजी ने पालीवालजी से कहा कि यह लेटर गवर्नमेन्ट का लिखा है। चाहे दस्तखत हैड आफ़ दी गवर्नमेन्ट के नहीं हों, किसी दूसरे के क्यों न हों क्योंकि उनका यह कहना कि अब भी एक्सटेन्शन क्यों नहीं देते। अगर एम. एल. ए. एक्सटेन्शन सर्विस में दे सकता तो पालीवालजी भी उसी समय एक्सटेन्शन दे सकते थे और कहते कि आप एक्सटेन्शन ले लीजिये। इन सारी चीजों से हम इस नतीजे पर पहुंचे, यहां पर पालीवालजी और दूसरे लोगों ने बताया कि गनपत माथुर का बहुत बड़ा असर उस समय की गवर्नमेन्ट पर था और उसने जो कुछ कराया वह गवर्नमेन्ट के असर पर कराया, यह बड़ा ही अहम मामला है और जो जांच पड़ताल इस संबंध में हुई वह कम हुई है और वह पूरी होनी चाहिये क्योंकि जिस मामले में सारी की सारी गवर्नमेन्ट जिसमें डी. पी. आई., जिसमें रिव्यूअर इन्वोल्वड है और भी कई लोग होंगे, इतने अहम मामले को इतने आसानी से टालने नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसमें सारी पब्लिक का इन्ट्रेस्ट होता है।

अब सवाल यह है कि इस पर हाउस किस तरह से काम करे। हमारे सामने माननीय सदस्य ने कहा कि यह मुद्गल रिपोर्ट से मिलती है। उसमें यह था कि प्रोफ़िट लिया गया था। इसमें कोई प्रोफ़िट नहीं लिया गया। मगर मैं यहां कहूंगा कि कोई प्रोफ़िट लिया गया या नहीं, इसकी कोई खास इन्क्वायरी नहीं हुई। किस किस ने प्रोफ़िट लिया, कौन कौन व्यक्ति थे; जब सारी गवर्नमेन्ट ही इन्वोल्वड है तो फिर पूरी इन्क्वारी होनी चाहिये थी। होना तो यह चाहिये था कि फ्रौन्टियर पब्लिकेशन पर छापा मारा जाना चाहिये था और उनके ५ या १० साल के प्रोफ़िट और खर्च का हिसाब देखा जाना चाहिये था कि वह कहां कहां खर्च हुआ और वह किस किस में बांटा गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज हम इस पोजीशन में नहीं हैं। मुमकिन है कि इन्क्वायरी से साबित होता कि बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं और लोगों को प्रोफ़िट मिला।

अब प्रश्न यह है कि हमें और हाउस को क्या करना है। मैं इस संबंध में मुख्य बात अर्ज करना चाहता हूं। जिस समय पहली दफ़ा मेरे मित्र त्यागीजी ने इसे सदन में रखा था उस समय यह सारी बातें सामने आई थीं और एक प्रश्न उठाया कि आज इस तरह की चीज यदि किसी सदस्य की तरफ़ से सदन के सामने आती है तो हम सारे के सारे सदस्यों का आनर संकट में पड़ जाता है, यदि इस तरह का प्राइवेट

[श्री गोपीलाल यादव]

सदस्य प्रस्ताव लावेंगे इस संबंध में त्यागीजी से सलाह मश्विरा करने के बाद। विरोधीदल के नेता ने त्यागीजी को दबाया कि स्वस्थ परम्पराओं को कायम करना चाहिये और इसके लिये कोई प्राइवेट सदस्य को इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं लाना चाहिये और इस प्रकार का प्रस्ताव हाउस के नेता की तरफ़ से आना चाहिये और इस प्रकार के प्रस्ताव पर स्पीकर की सम्मति होनी चाहिये। यहां पर में यह बता देना चाहता हूं कि स्पीकर की सम्मति क्यों ज़रूरी है वह इसलिये ज़रूरी है कि ओपोज़िशन के लोगों के हितों की रक्षा हो। यदि कोई यह मान कर चले कि ओपोज़िशन के किसी व्यक्ति को हाउस से निकाल दिया जाए क्योंकि मेंजोरिटी उनके साथ है।

इसलिये वे भी अपने आपको सन्तुष्ट प्राइमाफ़ेसी केस अगर बना है और हाउस में लेने लायक केस बना हो तब लिया जाय। मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त यह भी मान लिया जाय कि हमारे यहां कोई कन्डीशन इस बात के लिये नहीं रखी गई है कि अगर किसी मेम्बर के विरुद्ध कोई चीज़ लायी जायगी, उसका केवल मात्र एक रास्ता यह होगा. हाउस के नेता स्पीकर महोदय की सलाह से उसे लायें। मैं इस संबंध में यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं ये चीजें खास तौर से हाउस के नेता से संबंध रखती हैं। मुद्गल केस के अन्दर जिस समय लोक सभा में डिबेट हो रही थी उस समय वहां के स्पीकर महोदय से एक सवाल किया पं. मैत्रा ने :--

"Pandit Maitra: Did the Hon'ble Speaker send for the hon'ble member and ask him for an explanation with regard to the facts brought to his notice ?"

उसका जवाब यह है "Mr. Speaker: The hon'ble member came to see me and I directed him to the hon'ble Prime Minister because it was principally a matter between the hon'ble member and the Leader of the House."

तो में यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी हाउस के मेम्बर के कन्डक्ट का मामला हो वह खास तौर से लीडर ग्राफ़ दी हाउस से संबंध रखता है। इसलिये लीडर ग्राफ़ दी हाउस का कर्तव्य है कि अगर वे सन्तुष्ट हो जायं कि वास्तव में किसी मेम्बर द्वारा मिस कन्डक्ट हुआ है तो वे हाउस के सामने उसे रखें। मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि बहुत से लोग यह भी कह सकते हैं कि अगर लीडर ग्राफ़ दी हाउस वैसा प्रस्ताव नहीं रखें तो क्या किया जाना चाहिये; तो उनके सामने सिवाय गवर्नमेन्ट के खिलाफ़ अविश्वास का प्रस्ताव रखने के और कोई चारा नहीं है। अगर हमें यहां स्वस्थ परम्परा कायम करनी है तो हमें लीडर ग्राफ़ दी हाउस पर विश्वास करना होगा अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो जो तरीका पार्लियामेन्ट में है या संसार के अन्य देशों में है उसी पर हमें अमल करना पड़ेगा।

मैं यह मानकर चलता हूं कि अगर कोई एक कुसूरवार छूट जाय तो उसमें उतना नुकसान नहीं जितना कि दस बेकसूर लोगों को दिन-रात हैरान किया जाय। अगर प्राइवेट मेम्बर्स को इस प्रकार के रेजोल्यूशन लाने की इजाजत मिल जाती है तो इसका नतीजा यही होगा कि आज इस मेम्बर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव है, कल किसी दूसरे मेम्बर के खिलाफ भी आ सकता है; तो इससे क्या होगा कि हाउस के मेम्बर की मान

[श्री गोपीलाल यादव]

और प्रतिष्ठा किसी प्रकार से रहने वाली नहीं । इन सब चीजों को मानते हुए कि श्री मथुरादासजी माथुर ने गलती की उन्हें ऐसा पत्र नहीं लिखना चाहिये और शायद मैं यह भी मानता हूं कि जब वे इस पर बोलेंगे तो उस वक्त खुद वे इस बात को मानेंगे कि यह जो चीज मैंने की है वह गलत की है, सोशल वर्कर के लिये लिख दिया यह गलती की । मैं तो यह भी मानता हूं चाहे वह सोशल वर्कर हो चाहे कुछ भी हो उन्हें किसी के लिये ऐसा पत्र नहीं लिखना चाहिये । यह भी कहा जाता है कि वे कोड वर्ड बाजार से खरीद लाये, वह कोड वर्ड बाजार में मिलता था, तो इसका मतलब यह नहीं कि बाजार से अगर कोई चोरी की चीज मिलती हो तो उससे लाभ उठाया जाय, यह कोई चीज नहीं है ।

अब सवाल हमारे सामने जो है वह यह है कि हम करें क्या? इसके लिये मैं निवेदन करूं कि हम एक चीज कर सकते हैं। अगर हम इसी चीज को हाउस के अन्दर लाना चाहें तो वह हाउस के अन्दर इस तरह से आ सकता है कि गणपत माथुर की फर्म ने करप्ट प्रेक्टिस इस्तेमाल की और उसमें बहुत से आदमी इन्वोल्वड हैं; हो सकता है उस समय की सरकार भी इसमें इन्वोल्वड हो और भी कई आदमी हो सकते हैं, उनमें मथुरा दासजी भी हो सकते हैं तो उनकी जांच के लिये एक जुडिशियल कमिटी बनायी जावे जिसमें हाई कोर्ट के एक जज को रख दिया जाये जो इस मामले की निष्पक्ष जांच करे और वह अपनी रिपोर्ट गवर्नमेन्ट को दे और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेन्ट एक्शन ले । ऐसा प्रस्ताव हाउस के सामने आ सकता है । अगर वे ऐसा प्रस्ताव नहीं लाते हैं और वे यह मानते हैं कि लीडर आफ दी हाउस अपने एक मित्र के साथ पक्षपात कर रहे हैं तो ऐसी हालत में लीडर के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं । लेकिन हाउस के अन्दर पार्लियामेन्टरी परम्पराओं के अनुसार यह हमको निश्चित रूप से मत कायम करना पड़ेगा और इस समय हमें यह मानना पड़ेगा कि कोई भी प्राइवेट मेम्बर किसी दूसरे मेम्बर के खिलाफ न इस प्रकार का प्रस्ताव ला सकता है और न कमेटी बनवा सकता है ताकि इस प्रकार की कोई जांच पडताल हो सके । तो माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूं कि यह एक ऐसा मामला है जिससे हाउस का हर मेम्बर बहुत चिन्तित है और हरेक मेम्बर यह समझता होगा कि सदन के सदस्य का मान और प्रतिष्ठा जनता के अन्दर कायम रहे, लोगों को यह सोचने का मौका नहीं होना चाहिये कि हाउस के मेम्बर तो सिफारिश का काम करते हैं । जैसा कि मेरे एक मित्र ने बताया श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने इस बारे में कि मेम्बर्स के क्या क्या कन्डक्ट होने चाहिये उसके बारे में उन्होंने पार्लियामेंट को सिफारिश की है और लीडर ऑफ दी हाउस को की है, उसमें उन्होंने करीब दस चीजें बतलाईं। वह कमिटी केवल मुद्गल के केस के लिये थी ऐसी बात नहीं थी बल्कि उसके साथ साथ उसने हाउस के मेम्बर का मोड ऑफ कन्डक्ट क्या होना चाहिये इस चीज के लिये उसने दस बारह बातों की सिफारिश की, जिनमें से तीन-चार बातों का कल उल्लेख किया । कुछ तो पालीवालजी ने बतायीं और कुछ का श्री भटनागर ने जिक्र किया । अगर ऐसी कोई चीज हम भी यहां के मेम्बर्स के लिये करते हैं तो निश्चित फायदा होगा, यहां पर जो हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उनके अन्दर भी कुछ एड की जा सकती है कि किसी को सिफारिशी लेटर लिखना अपने लिये या अपने रिश्तेदारों के लिये, चाहे किताबों के बारे में, जमीन के बारे में हो रुपये पैसे के बारे में अगर ऐसा कोई करता है तो वह एक मेम्बर के लिये मिस कंडक्ट समझा जायगा । ऐसी बातें हम अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर में एड कर सकते हैं। यदि कोई इस प्रकार का कार्य करता है तो वह उसकी प्राइवेट केपेसिटी में नहीं माना जायगा । यह बहुत अच्छी चीज होगी और भविष्य के लिये भी उत्तम चीज होगी । लेकिन इस वक्त जो प्रश्न है वह यह है कि इस प्रकार का प्रस्ताव क्या कोई प्राइवेट मेम्बर ला सकता है? तो मेरा

[श्री गोपीलाल यादव]

यह निश्चित मत है कि प्राइवेट मेम्बर इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं ला सकते हाउस के नेता पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर हाउस के नेता ऐसा प्रस्ताव नहीं लाते हैं तो उसके सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं; हम तब तक किसी मेम्बर के खिलाफ प्रस्ताव नहीं ला सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हाउस की प्रीविलेजेज् को वायोलेट करना है जो हमें नहीं करना चाहिये।

श्री जवानसिंह :—अध्यक्ष महोदय, कल जिस सुन्दर ढंग से और प्रभावशाली तरीके से माननीय प्रस्तावक महोदय ने अपने प्रस्ताव को सदन के सामने रखा मैं उनके उस तरीके की सराहना किये बिना नहीं रह सकता, उससे भी कहीं ज्यादा उनके समर्थक जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस ढंग से उनके उस प्रस्ताव का समर्थन किया वह अवश्य ही सराहना करने योग्य है और मेरा यह विश्वास है कि उस समय यह सदन इतने भावावेश में बह गया था कि जब बारह बज चुके थे तो एक भी सदस्य बोलने के लिये खड़ा होने को तैयार नहीं था। कारण उसका यह था कि सब लोग भावावेश में बह कर रसास्वादन कर रहे थे। अब प्रश्न यह आता है कि इस भावावेश में बहने के बाद अब हमें निष्पक्ष रूप से देखना है कि आया केवल जिस सुन्दर ढंग से प्रस्तावक महोदय ने अपना वक्तव्य पेश किया जो एक वकील की हैसियत से जो दलीलें दी, जो सुन्दर वकालत का नमूना सदन के सामने प्रस्तुत किया उन सब बातों को देखते हुए हमें इस बात की ओर ध्यान देना है, आया जो कुछ उन्होंने कहा उसमें तथ्य कितने हैं; उन तथ्यों को देखते हुए आया हम इस प्रस्ताव को मन्जूर करें या ठुकरादें। मैं खास तौर से इसके मेरिट्स में न जाते हुए यह भी नहीं कह सकता कि जो जांच हुई वह गलत हुई या सही मैं इस बात के लिये कोई प्रकाश डालना नहीं चाहता कि जो बातें यहां कही गईं वे सही या गलत हैं। लेकिन मैं इस बात को सब से पहले सदन के सामने रखना चाहता हूं और हर सदस्य को यह अख्त्यार है कि वह इस मामले की तरफ पहले देखे कि जो बातें कही गईं हैं, जो कुछ प्रस्ताव पर कहा गया है वे बातें इस वक्त गौर करने काबिल हैं या नहीं। बहुत सी बातें इस संबन्ध में जो कही गईं, कइयों ने यह कहा कि यह प्राइमाफेसी केस बनता है इसके बारे में तमाम फेक्ट्स कई बार सदन में आ चुके हैं इसलिये हमें इस बात को मानकर चलना चाहिये इनके खिलाफ कमेटी बिठा देनी चाहिये। मैं इस बात का शुरुआत से ही विरोध करता आ रहा हूं। जब पहले पहले यह मामला हमारे सामने आया तो मैंने यह कहा कि पहले हमें यह देखना चाहिये कि सदन के सदस्य की हैसियत से उन्होंने यह काम किया अथवा नहीं? इस विधान सभा का जो कार्य है वह कानून बनाने का कानून पास करने का है; इसीलिये हम सदन में प्रश्न भी पूछते हैं यहां सिलेक्ट कमेटी का निर्माण भी होता है और उन कमिटीज में काम करते हैं। जो कुछ काम है सदन का वह हम यहां सदस्य होने के नाते करते हैं।

उन सदन के कामों के साथ साथ हम सरकार से सम्बन्ध जोड़ते हैं और उन्हीं कामों के लिये हम जिनके लिये कि सदन में कार्यवाहियां करते हैं, सरकार से बातचीत करते हैं, सरकार के कामों की सराहना करते हैं और सरकार का विरोध करते हैं, इसलिये हमें एक ही आधार मानकर चलना पड़ेगा, हमें एक ही क्राइटेरिया मानकर काम करना पड़ेगा कि क्या इस आधार शिला पर प्रस्ताव की बातें खरी उतरती हैं, क्या इस कसौटी पर वे सब बातें पूरी उतरती हैं जो प्रस्ताव के समर्थन में कहीं गईं। तो यह देखने पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि आज जो कुछ उन्होंने कहा है, जो कुछ भी सदन में प्रस्ताव के सिलसिले में बातें कही गईं उनसे पहले हम यह सोचें कि क्या उन्होंने सदन

[श्री जवानसिंह]

का सदस्य होने के नाते ये कार्यवाहियां करें या सदन का सदस्य न होने वाला भी ये काम कर सकता है । एक चिट्ठी लिखने का उदाहरण है और उसको लेकर हम वाद-विवाद कर रहे हैं । मैं व्यक्ति विशेष का नाम लेना नहीं चाहता पर इस बात को स्पष्ट करने के लिये कहूंगा कि जिन व्यक्तियों ने अपने ऊपर यह भार ले लिया है कि ज्यादा से ज्यादा जनता की मदद करें वे आदमी हर वक्त हर स्थिति में फायदा करने के लिये चाहे नौकरी के लिये हो, चाहे उनकी रोटी के प्रश्न के लिये हो, चाहे सार्वजनिक तरीके से हो, चाहे व्यक्तिगत तरीके से हो पर जिन्होंने अपने कन्धों पर जनता की भलाई का काम ले लिया है उनको ये काम करने पड़ते हैं ।

अब यह हम लोगों के लिये बात छूट जाती है कि हम उसे किस दृष्टि से देखते हैं । आज जो कुछ ये कर रहे हैं, जो फायदा कर रहे हैं वह सार्वजनिक हित में है या व्यक्तिगत रूप से है । मैं तो यह देखता हूं कि एक सदस्य ने एक पत्र लिखा है उसी प्रकार से जो सदन का सदस्य नहीं है । मैं मामूली सा साधारण उदाहरण दूं कि हमारे पूज्य गोकुल भाई हैं, क्या इस प्रकार का पत्र नहीं लिख सकते । मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि उन्होंने जो पत्र लिखा उसका असर हुआ है । लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस सदन के सदस्य होने के अलावा भी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं जो इस प्रकार की चिट्ठियां लिख सकते हैं जिनका असर इससे ज्यादा हो सकता है । इसका हुआ या नहीं मैं इस प्रश्न की गहराई में नहीं जाना चाहता; पर इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस बात को मानकर कैसे चलते हैं कि इसका असर हुआ और सदस्य ही ऐसा पत्र लिख सकता था अन्यथा दूसरा नहीं लिख सकता था। मैं स्पष्ट कर दूं सदस्य होने के अलावा भी दूसरे व्यक्ति लिख सकते हैं और उसका प्रभाव इससे कहीं अधिक हो सकता है । तो फिर क्या वजह है कि हम, चूंकि एक सदस्य ने पत्र लिखा है इसलिये यह मानकर चलें कि इसका खास असर हुआ और इसका कारण यह था कि वह सदन के सदस्य थे । मैं इस बात को मानने को कदापि तैयार नहीं और न सदन ही इस बात को मानेगा कि यह चिट्ठी उन्होंने सदन के सदस्य होने के नाते लिखी और इसलिये तमाम का तमाम प्रभाव इसी कारण से हुआ ।

अब हमारे सामने सवाल पैदा होता है कि जब सदन के सदस्य होने के नाते उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी तो फिर और दूसरा कौनसा मिसकन्डक्ट हो सकता है जिसके लिये कि हम किसी सदन के सदस्य को दोषी ठहरा सकते हैं । जैसे बार बार चर्चा आई है, हमें हाउस आफ कामन्स की तरफ जाना पड़ेगा जहां ऐसे मामलों के बारे में इशारा खास तौर से किया गया है, खास तौर से । मैं मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के सफे ११६ व ११७ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा जहां पर विस्तृत रूप से क्या क्या मिसकन्डक्ट सदस्य के हो सकते हैं वे दर्शाये गये हैं ।

पृष्ठ ११६ पर यह लिखा गया है: "On 22nd June, 1858, the House of Commons resolved, "That it is contrary to the usage and derogatory to the dignity of this House that any of its members should bring forward, promote or advocate in this House any proceeding or measure in which he may have acted or been concerned for or in consideration of any pecuniary fee or reward."

[श्री जवानसिंह]

हमें इस केस में, इस मामले में कम से कम इतनी तो अवश्य जानकारी मिली ही है कि तमाम जितनी बातें कल या इससे पहले कही गई हैं उनको तमाम को देखता हूं तो स्पष्ट रूप से मान लिया जाना चाहिये कि इस सदन की कार्यवाही के सिलसिले में कोई भी पत्र नहीं लिखा गया कि जिससे हम यह मान कर चलें कि यह सदस्य मिसकन्डक्ट का दोषी है। इसके अलावा और दूसरे कौन कौन से मिसकन्डक्ट हो सकते हैं वे भी दिये गये हैं पृष्ठ ११७ पर: "As instances of misconduct on the part of members or officers of either House which would be regarded as contempt, the following may be mentioned:—

(1) The refusal of a member to serve on a committee when his attendance, as in the case of a private bill committee, is made compulsory by standing or other orders.

(2) Giving evidence elsewhere in relation to any debates or proceedings in the House of which he is a member or officer or any committee thereof.

(3) Attending as a witness before the other House or any committee thereof without the leave of the House of which he is a member or officer.

(4) Wilful neglect of the Sergeant at Arms to take into his custody persons committee thereto.

(5) Failure of an officer of the House of Lords duly to execute an order for the attachment of certain persons.

(6) Sergeant at Arms permitting persons committed to his custody to have their liberty and discharge without any order of the House in that behalf.

(7) Door keepers admitting strangers into the House contrary to the order of the House."

यह तमाम की तमाम फहरिश्त हमें मिलती है हाउस ऑफ कॉमन्स के एस्टेब्लिश्ड तरीके, कन्वेन्शन्स, रेजोल्यूशन्स और मोशन्स के जरिये कि जहां पर इस बात को स्पष्ट मान लिया गया है कि जो जो वजूहात हो सकते हैं, जो जो परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें सदन का कोई सदस्य गलत कार्यवाही करता है तो हमें मानना पड़ता है कि इन मिसकन्डक्ट्स पर वह दोषी ठहराया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है जो सदन मुनासिब समझे। अब इन तमाम की तमाम बातों का जिक्र मैंने आपके सामने किया। इनमें से कोई भी ऐसी कसौटी नहीं है कि जिसके आधार पर हम ठीक प्रकार से कह सकें कि इस सदन के माननीय सदस्य ने ऐसी कार्यवाही की कि जिसकी बिना पर वे सजा के पात्र हैं।

अब एक हमारे सामने दूसरा केस बार बार बतलाया गया है, वह है श्री मुद्गल का जिसके लिये लोकसभा में कार्यवाही हुई और उनको सदस्यता से अलग किया गया। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर

[श्री जवानसिंह]

पृथक प्रश्न था । उस सदन के सदस्य होने के नाते उन्होंने अपनी सदस्यता का दुरुपयोग किया और इसकी वजह से सदन के अन्दर उस मामले से सम्बन्धित प्रश्न पूछे, उस सम्बन्धी जानकारी हासिल की एक सदन के सदस्य की हैसियत से, इन्टरव्यू लिये । मैं यहां पर इस सवाल को रखना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य ने जिन पर यह आरोप लगाया गया है सदन में यहां कोई भी ऐसी कार्यवाही में भाग लिया जो इस मामले से सम्बन्धित हो और जिसके लिये कि कहा जावे कि उन्होंने यहां से जानकारी लेने के बाद में संबन्धित कोई पत्र लिखा हो ? अगर यह स्पष्ट है कि सदन की कार्यवाही में कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई जिसका सम्बन्ध उस पत्र से जोड़ा जा सकता हो तो फिर क्या वजह है कि इस प्रकार से यह आरोप लगाया जावे और यह इल्जाम लगाया जावे । इसके अलावा दूसरी ओर मुद्गल ने इस सम्बन्ध में सदस्य की हैसियत से इन्टरव्यू सीक किये । पर यहां पर ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई कि सदन के सदस्य होने के नाते उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की हो जिसकी वजह से हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हों कि उन्होंने सदस्य होने के नाते कोई गलत काम किया जिस पर कि हम उन पर कोई दोष मढ़ सकते हों । अब उनके अलावा कल दो या तीन बातें ऐसी जरूर कही गईं कि जिनके लिये हम आवश्यक समझते हैं कि विचार करें और वह यह है कि कोई भी सदस्य अपने खुद के लिये या अपने दूसरे साथियों के लिये जिनमें वह दिलचस्पी रखता है किसी प्रकार के पिकुनरी गेन के लिये कोई कार्यवाही न करे, कोई रिकमन्डेटरी लेटर न लिखे । पर इसके साथ में यह निवेदन करूंगा कि जहां तक ये चीजें उसके सदन के सदस्य होने के नाते की गई हों वहां ही आवश्यक होता है कि वहां पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है । अगर वे अपने व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही करते हैं तो वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं न कि सदन के सदस्य होने के नाते । तो हमें इन दोनों चीजों को अलग अलग देखना पड़ेगा, एक साथ नहीं मिलाना पड़ेगा कि आया यह काम किसी सदस्य ने अपने व्यक्तिगत रूप में किया है या सदन के सदस्य होने के नाते किया है । इसके लिये हमें केवल एक ही कसौटी अपनानी पड़ेगी और वह यह है कि क्या इस सदन की विविध कार्यवाहियों में, उप-समितियों में सदस्य रहे हों या उन्हें इस सदन के अन्दर कोई भी कार्यवाही करते हुए या कोई प्रश्न पूछते हुए या इन तमाम बातों में कहीं पर भी कोई भी संगति रखते हुए ऐसी बात की हो जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचें कि वाकई में यह गलत तरीका अपनाया गया और इसलिये उनके बेसिस पर दोष मढ़ा जाना चाहिये । इन तमाम बातों को जब हम देखते हैं तो हमें इस बात को मानना पड़ता है कि ये जितने भी आरोप हैं गलत हैं । उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी लिखी, इसका असर हुआ या नहीं, वह चिट्ठी पहुंची या नहीं, इन तमाम बातों की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये तमाम बातें तब पैदा होती हैं जब कमेटी कांस्टीट्यूट हो जाती है, वही उन गहराइयों में जावेगी । वह चिट्ठी मिली, अगर उसका कोई असर हुआ तो क्या हुआ ? लेकिन वह असर होने के बाद में गलत हुआ है या सही हुआ है वह दूसरी बात है । इस वक्त जो सदन में बार बार दोहराया जाता है वह ठीक नहीं है, इस वक्त मौजूं नहीं है । मामले के वाकयात के अन्दर जो कुछ भी चीजें या बातें देखनी हैं वे बाद की बातें हैं जिन पर इस वक्त ठीक नहीं बहस करना, वह चीजें इस वक्त नहीं करनी चाहिए । इसलिये मैं उन चीजों से अपने आपको महरूम रखूंगा । तो इन तमाम बातों को इस वक्त सदन में वाद-विवाद में नहीं लाया जाय । इस वक्त हमें केवल यही देखना है कि सदस्य होने के नाते कोई गलत कार्यवाही की है या नहीं और तत्पश्चात् कमेटी मुकर्रर करना है या नहीं ।

[श्री जवानसिंह]

अब इन बातों की तरफ जब मैं नहीं जाता खास तौर से प्रस्तावक महोदय और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन वाकेआत पर रोशनी डाली है और उनका जवाब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दे दिया है । अच्छा हो कि वे चीजें आपस में ही रहें, क्योंकि इस सदन की जानकारी में दूसरे वाकेआत नहीं आ सकते । यह अवश्य ताज्जुब की बात रही कि जो सदस्य इस प्रस्ताव के सिलसिले में इस बात की दुहाई देते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष ने कोड नंबर मालूम कर लिये इस वजह से माननीय प्रस्तावक या उनके साथी जो समर्थन करते हैं उनके पास में वह सूचना कहां से आई है । उन्हें यहां तक मालूम है कि मारजिन के अन्दर बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, उन्हें यह भी मालूम है कि राइटिंग में बहुत से अन्डाकार निशान बने हुए हैं, यह तमाम बातें । एक तरफ तो वे दुहाई देते हैं सीक्रेसी की और दूसरी तरफ तमाम बातें सदन के सामने प्रस्तुत करते हैं; यह पता नहीं कि किस प्रकार से उन्होंने ये बातें हासिल की हैं। अगर वे इस बात को मानते हैं कि उसका दुरुपयोग हुआ है तो खुद को उनको खयाल करना चाहिए कि जिस सीक्रेसी की वे दुहाई देते हैं वास्तव में उन्होंने खुद ने उस सीक्रेसी का दुरुपयोग नहीं किया है। यह ठीक है कि सरकारी दफ्तरों में उनके मित्र हो सकते हैं । उन तमाम चीजों को अपने सामने रखते और उस वक्त बतलाते तो शायद अच्छा होता । सीक्रसी की दुहाई देते हुए सदन के सामने ऐसी बातें कहीं हैं ।

श्री त्यागी—They are not used for personal purposes, the Hon'ble must know.

श्री जवानसिंह—जहां तक सीक्रेसी का प्रश्न है तो वह पर्सनल क्वेश्चन में रहा नहीं करता है । मैं निवेदन करता हूं कि कोई चीज सीक्रेट मान ली जाती है तो उसको मानना चाहिए और वह तमाम पर्पजेज के लिए सीक्रेट होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—They are secret up to a particular stage. After that they are not secret.

श्री जवानसिंह—But that stage has not reached as yet, Sir.

मैं अन्त में एक दो मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । सारे भाषणों को मैंने सुना है । तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ व्यक्ति विशेष में आपस में वैमनस्य हो सकता है और वे एक दूसरे के साथ में आपस में बर्ताव इस प्रकार का हो रहा था वह ठीक नहीं है । मुझे इस प्रकार का शंक पैदा होता जारहा है, उनके भाषणों से ऐसा मालूम हो रहा था लेकिन जब परम्पराओं को सामने रखते हैं, जब प्रान्त का हित है, जब इस सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है, तो हमको इस सदन को वह क्षेत्र नहीं बनाना चाहिए, उन तमाम ज्वालाओं को, उन तमाम वैमनस्य की भावनाओं को सदन के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए था और यह उचित भी नहीं है । मैं खुद इस बात को मानता हूं कि चाहे मेरा सामने वालों से या उस पक्ष में बैठने वालों से कतिपय विरोध रहा है । भूस्वामी संघ या भूमि संबंधी जितने सुधार हुए हैं उनके ऊपर हमारी उस तरफ बैठने वालों से काफी नाइत्तिफाकी रही है

[श्री जवानसिंह]
और आज तक है, इस बात को मानना होगा । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता है कि किसी व्यक्ति विशेष को कीचड़ का प्रसंग बनालें और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें और तमाम कार्यवाही इसी आधार को मान कर करें। न तो व्यक्ति विशेष को अनावश्यक नीचा गिराने की कोशिश करनी चाहिये और न व्यक्ति विशेष को अनावश्यक ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिये ।

मैं इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से, खास तौर से यह निवेदन करूंगा आपके जरिये, अध्यक्ष महोदय, कि आज एक प्रश्न जो उस तरफ बैठने वाले मुख्य सचेतक के खिलाफ है, एक बहुमत में बैठने वाली पार्टी के मुख्य सचेतक का प्रश्न है, कल मान लीजिये कोई लांछन इस ओर बैठने वाले सदस्य पर आ जाता है, मेरे दूसरे साथी जो विरोधी पक्ष में बैठे हुए है और जो आज की मौजूदा स्थिति है सदन की, १२२ और ३८ का जहां प्रश्न है, बहुमत और अल्पमत का, तो उस समय आप देखिये जब कि वह जीत जाते हैं । उस स्थिति का अन्दाज लगाइये जब कि इधर बैठने वाले ३८ सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जाता है और वह बहुमत से पास कर दिया जाता है तो क्या यह डेमोक्रेसी का मखौल नहीं होगा, बहुमत की सरासर ज्यादती नहीं होगी इस सदन में बैठने वालों के लिये । खासतौर से साधारण नागरिकों के लिए, जिनके लिये कानून है और हर मामले में एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अपील जा सकती है तो क्या वह रिमूव नहीं होगा । एक सदस्य के खिलाफ केवल ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर इल्जाम लगाते हैं या और दंड का निर्णय करते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर बैठने वाले, इल्जाम लगाने वाले माननीय सदस्यों के ध्यान में कि भविष्य में ऐसी परम्परा नहीं बन जाय कि भविष्य में ऐसा मुकाबला नहीं करना पड़े, ऐसी परिस्थिति न आजाय कि जहां पर हम खुद इस परम्परा को कायम करने जा रहे हैं वह हमारे पैरों में कुल्हाड़ी का काम करे और वह हमारे खुद के अन्त का काम नहीं कर दे । मैं आशा करता हूं कि हरेक सदस्य इस बात पर गम्भीरता से विचार करेंगे और इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे ।

श्री बागीसिंह—माननीय अध्यक्ष, जो माननीय त्यागीजी ने माननीय मथुरादासजी के आचरण के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मुझे उसका अपोजिशन करना है । यह आज से नहीं बल्कि एक साल के अर्से से भी ज्यादा हो चुका और इसका इस सदन में कई बार विचार किया गया, कई दफा माननीय सदस्यों के आचरण के ऊपर बगैर किसी मतलब के दोष लगाये गये और कई गलत बातें की गई, और माननीय सदस्य को नीचा दिखाने के लिये पब्लिक के अन्दर उनकी प्रेस्टिज को गिराने के लिये और ऊपर तक इस बात को पहुंचाने के लिये किया गया और वह केवल व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण किया गया है, इसमें कम से कम दो राय नहीं हो सकती ।

यहां कल जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस अनियमित रूप से कई बातें कहीं; जैसे कि चिट्ठी देरी से लिखी गई, तो उससे पहले टेलीफोन किया होगा । मैं यह नहीं समझ पाया कि टेलीफोन पर की गई हो तो जबानी भी कहा जा सकता है; तो फिर केवल चिट्ठी का सवाल ही नहीं उठाना चाहिये था । यह नहीं कहना चाहिए कि इस चिट्ठी की वजह से माननीय सदस्य ने एक बहुत बडे गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट को इन्फ्ल्यून्स किया है और एक आदमी को नाजायज तौर पर फायदा पहुंचाने की चीज की है ।

[श्री बलवीर सिंह]

यह नहीं कहना चाहिए कि टेलीफोन किया है या और तरीकों से फायदा पहुंचाया है और आज तक कितना काम करा होगा तो वह भी कराते होंगे । यहां चिट्ठी का हावला दे रहे थे और यह कह रहे थे कि इस इस तरह से फायदा पहुंचाया है । किताब की स्वीकृति को देखकर यह कहा कि चिट्ठी से पहले टेलीफोन से काम हो चुका होगा, यह भी कहा कि पहले सब कमेटी के अन्दर कुछ हुआ और दूसरी दफा कुछ और हुआ। लेकिन मैं आपसे इस मामले में निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य से कि एक दफा नहीं कई दफा ऐसा होता है कि एक मीटिंग में कुछ होता है और दूसरी मीटिंग के अन्दर कुछ बदल जाता है । उनके विचार बदल जाते हैं और वह सोच सकते हैं कि गलती की । पहली गलती करें तो उसे सुधार सकते हैं और पहले अगर किन्हीं कारणों से वे सही नतीजे पर नहीं पहुंचे तो दुबारा सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं । अतः आपके जरिये सदस्य से चाहूंगा कि वे पोजिटिव बात करें । तो इस तरह की बात आपस की दुश्मनी की वजह से कही गई है । जहां तक इस लैटर का सम्बन्ध है, माननीय त्यागीजी ने यह प्रस्ताव रखा है: मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस प्रस्ताव को उन्हें यहां रखने का अधिकार नहीं था । अगर प्रस्ताव रखते तो उन्हें चाहिये था कि वे माननीय सदन के नेता के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाते क्योंकि हमें सदन के नेता का कम से कम भरोसा है और भरोसा रखते हैं। अगर त्यागीजी को नेता पर भरोसा नहीं था तो अविश्वास का प्रस्ताव आना चाहिये । वे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रस्ताव को मूव कर सकते थे । माननीय त्यागीजी ने मूव किया है तो उन्हें एक व्यक्तिगत हैसियत से यह प्रस्ताव नहीं लाना चाहिये था । लेकिन प्रस्ताव लाया गया है तो यह स्पष्ट चीज़ दिखाई देती है, स्पष्ट झलकता है कि व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिये, माननीय सदस्य को पब्लिक की नजरों में गिराने के लिये यह किया गया है और मैं समझता हूं, माननीय त्यागीजी को तो कम से कम इतने नीचे स्तर पर नहीं आना चाहिये था, उनको इस तरह का काम नहीं करना चाहिये जो आज किया है और माननीय सदस्य को पब्लिक की नजरों में गिराने की चेष्टा की है, लेकिन इससे वे खुद पब्लिक की नजरों में गिरेंगे और पब्लिक महसूस करेगी; जिस तरीके से, जिस ढंग से, लच्छेदार भाषा में शब्दों को तोड मरोड कर रखा है, पता नहीं क्या हो गया, आकाश-पाताल एक होगया, क्या इस प्रकार की चीज है ? मैं समझता हूं कि अच्छी परम्परायें कायम नहीं करते हैं । परम्पराओं की दुहाई देकर अच्छा काम नहीं किया । मैं अधिक नहीं कह कर इतना ही निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें और उन्हें चाहिए कि वे सदन से माफी मांगें, उन्होंने इस तरह का गलत काम किया है ।

श्री अध्यक्ष--(श्री जयनारायण व्यास के बोलने के लिए प्रस्तुत होने पर) घीसीसिंहजी को बोल लेने दीजिये ।

श्री घीसीसिंह--माननीय अध्यक्ष, श्री मथुरादासजी के पत्र को लेकर इस सदन में बहुत दिनों से चर्चायें चल रही हैं और उस पत्र को लेकर त्यागीजी ने प्रस्ताव रखा है एक कमेटी बनाने के लिये । प्रस्ताव कमेटी बनाने के लिये रखा है, उसकी असलियत निकाल लें, मेरी समझ में नहीं आता कि उनको क्या दिक्कत हो रही है ?

अध्यक्ष--हिन्दी बोलते २ ब्रज भाषा बोलने लग गये । (हंसी) हमारे रिपोर्टरों को दिक्कत हो जायगी ।

श्री घीसीसिंह--उस बात को वे स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने पत्र लिखा । ऐसी क्या बात रह गई कि जो कि जांच करी जाय ? इस सही बात को वकालत में पटकी जा रही है । कोई क्या कह रहा है, कोई ईर्षा की बात कह रहा है, कोई कह रहा है को असर नहीं हुआ । जब पत्र लिखा गया, कहीं बीच में रह गया या ठिकाने से पहुंच गया । पत्र तो लिखा ही गया । (हंसी) जो पत्र लिखा गया जिस वक्त मंशा लेखक की थी वह सही है । उन्होंने मनाहीं नहीं की है, मैंने पत्र लिखा, यह नहीं कि मैंने भांग पी रखी थी, मैंने .... रखी थी, या जंगल में दबा रखा, लिख दिया । पत्र की मंशा सही है, उन्होंने स्वीकार किया है । चेलेन्ज दिया, पत्र जरूर लिखा है । मेरी बदनियत नहीं है । और चेलेन्ज दिया कि ज्यादा से ज्यादा तहकीकात करा ली जाय । फिर कौनसी बात पैदा हो गई कि दो दिन सदन का खर्च किया गया और भी सदन का पहले बहुत सा समय खर्च किया गया । कोई ने कहा कि पहले मिनिस्टर ने स्वीकार किया । वो वक्त नहीं किया, १॥ वर्ष बाद क्या हुआ । भाई कोई हो गई, कोई कत्ल हो जाय, उसको १॥ वर्ष छिपाये रखा, निर्णय हो जब प्रकट कर दे । यह बात समझ में नहीं आयी । यह समझने की बात है कि इस पत्र से बुरा असर हुआ तो स्वीकार कर लेना चाहिए, आयन्दा कह देना चाहिये और ऐसा नहीं आयन्दा होना चाहिये । माननीय सदस्य को समझा देना चाहिए कि ऐसा असर नहीं हुआ है, प्रोपेगेन्डा के लिये हुआ है, इससे न आपके लिये फायदा है और न सदन के लिए फायदा है । सारी बातें इधर उधर की हैं, गड़ी हुई हैं वे उखड़ आवेंगी । ज्यादा खींचतान करेंगे तो प्याज वाले छिलके उतरेंगे । माननीय अध्यक्ष भी इससे दूर भगे । कौनसी वजनदार चीज है । क्या गजब ढ़ने वाला है । कुछ देखें और बातों का मन कर दिया, कहने के लिये तैयार नहीं हूं । सदन कहेगा तो कह दूंगा । इतनी चक्कर में बातें पड़ गईं । बात बहुत छोटीसी है । पत्र लिखा गया । पत्र की जो मंशा है उससे साफ जाहिर है । फिर इतनी उलझन पैदा की जा रही है, मेरी समझ में नहीं आ रही है कि सदन की प्रतिष्ठा के लिए और सदन के सदस्यों की गुप्त बात को उखाड़ने के लिये बातें हो रही हैं । वास्तव में कोई तथ्य है या नहीं और तथ्य है तो उधर वालों के लिये सदन को सौंपने की क्या जरूरत है, हाई कोर्ट करे, अगर इधर वाले मजबूत हैं, चोर नहीं हैं, मैदान में खड़े होकर कह दें कि आ, देखें । हम तो ऐसी बात जानते हैं । बिना बात, इधर से उधर से कोई कुछ कह रहा है, कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ कहा और कुछ ने कुछ कहा । खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं । वास्तव में बात छिपी नहीं है, पत्र जरूर लिखा गया, वे स्वीकार कर रहे हैं । पत्र जिस मंशा से लिखा गया, छिपाये तो छिपा नहीं । वह बात तो पुरानी होगई । नवीन करे तो हाई कोर्ट करे । दबाना है तो दबा दें । इसमें ज्यादा झंझट करने की बात मेरी समझ में नहीं आती है । माननीय सदस्यों से कहूंगा और अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करूंगा कि इस मामले को जल्दी निपटा दें ।

श्री जयनारायण व्यास--अध्यक्ष महोदय, यह मामला इतना छोटा है कि इसमें इतनी बड़ी बहस होने की जरूरत नहीं थी । मैं घीसीसिंहजी से इस बात में सहमत हूं, लेकिन साथ ही साथ इस मामले में बहस का जो तर्ज बन रहा है उसम व्यक्तिगत बातें, ये-वो, और कभी २ तेजी आती है मैं समझता हूं, वह लाने की जरूरत नहीं है ।

Page No.21

[श्री जयनारायण व्यास]

मामला छोटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस मामले में एक पत्र की बात है । वह पत्र श्री मथुरादासजी माथुर ने लिखा है और जैसा घोसीसिंहजी ने कहा मथुरादासजी ने खुद ने स्वीकार किया है कि उन्होंने खुद ने लिखा था । इस बारे में कोई चीज हो तो मुझे वह महसूस नहीं होती है । दूसरी बात यह है कि अमुक पार्टी को कुछ फायदा होगा, इस खयाल से लिखा गया, यह भी बात सही है । "ध्यान रखना" और ध्यान रखने का माने यह कि अमुक पार्टी की पुस्तक स्वीकार हो जाय तो आर्थिक लाभ होगा, इसमें भी छिपाने की बात नहीं है । नई बात नहीं है ।

अब फायदा हुआ या नहीं, यह महत्व की बात नहीं है । और मैं समझता हूं कि किसी जांच में पता लगाना भी नामुमकिन है कि फायदा हुआ है, फायदा हुआ या नहीं हुआ, बहुत मुमकिन है फायदा हुआ और उसका पता लग जाय, लेकिन बहुत माने में संदिग्ध है । लेकिन कुछ बातें जरूर हैं और जिन पर प्रकाश भी डाला गया है और जिनके ऊपर निर्णय हो जाना जरूरी है । एक बात तो यह है कि क्या गुप्त नम्बर जो थे वे प्रकट हुए और उस गुप्त नम्बर का लाभ लेकर उस पत्र के द्वारा गुप्त नम्बर का इशारा करके अमुक पार्टी को फायदा हो इस प्रकार का पत्र लिखा गया ?

मैं यह मानता हूं कि सीक्रेट नंबरों की जानकारी करना और उसका पत्र में उपयोग करना यह गलत बात थी और उसके लिये, मेरा खयाल है, क्या तो लेखक महोदय और क्या लीडर आफ दि हाउस दोनों को स्वीकार करना चाहिये कि वह बात गलत थी और उसी तरह आयन्दा फिर कोई गुप्त नंबर का पता लगा कर फायदा नहीं उठावें, इस तरह का वातावरण पैदा हो; यह सदन के लिये उचित है ।

दूसरी बात यह है कि इस तरह के सिफारिशी पत्र लिखना और प्राप्त करना ठीक है या नहीं; सदन के लिये ठीक है या नहीं और एडमिनिस्ट्रेशन के लिये ठीक है या नहीं । सिद्धान्ततः माननीय सदस्यों के लिये यह ठीक नहीं है । हमको सिफारशी पत्र नहीं लिखने की शपथ लेनी चाहिये, प्रत्येक सदस्य इस तरह के पत्र नहीं लिखेगा । मैं खाली पत्र की ही बात नहीं कहता हूं । एक साथी ने इशारा किया था, श्री बलवीरसिंहजी ने कहा था कि टेलीफोन से या पर्सनली कहा गया होगा । टेलीफोन से या पर्सनली कहें तो भी यह चीज उचित नहीं है और यह चीज एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऊंचा उठाने वाली नहीं है । यदि ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा कि प्रत्येक सदस्य व्यापारियों का एजेन्ट बन जायगा । कोई भी आयेगा . . . .

श्री बलवीरसिंह—On a personal explanation, Sir., मैंने यह नहीं कहा था कि उन्होंने टेलीफोन से कह दिया या पर्सनली इशारा कर दिया । मैंने तो यह कहा था कि लोग कहते हैं कि ऐसा कर दिया होगा । मेरी बात को गलत समझने की कोशिश न करें ।

श्री जयनारायण व्यास—मैंने यह कहा था कि आपने इशारा किया था, कि ऐसा कर दिया होगा । उनके कहने के माफक आपने यह बात कही। यह लंबी चौडी बात नहीं होती है। ये दो बातें अनुचित हुई हैं। यह मैं मानता हूं कि सीक्रेट नंबर की जानकारी करना अनुचित बात हुई है और सिफारिशी पत्र लिखना भी अनुचित है और मैं जब बोलने के लिये खड़ा होता हूं तो दूसरे सदस्यों को यह निवेदन करने के लिये खड़ा

[श्री जयनारायण व्यास]

होता हूं कि इस तरह से सीक्रेट नंबर की जानकारी करना और उससे फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये और साथ ही साथ यह भी नहीं होना चाहिये कि लोगों पर किसी प्रकार का दबाव डालें । मैं खुद विधान सभा का सदस्य हूं । मैं पार्लियामेन्ट का सदस्य भी रहा हूं और गवर्नमेण्ट में भी रहा हूं । मेरे ताल्लुकात भी बहुतसों से हैं । कभी कोई आता है कि उस माननीय मिनिस्टर को लिखदो और कभी कोई कहता है कि इसको लिखदो । इस तरह के दबाव भी कई आते हैं लेकिन मैं किसी के दबाव में आकर नहीं लिखता हूं । हां, कोई गरीब लड़का हो तो उसके स्कोलरशिप के लिये कभी लिख दूं तो और बात है । लेकिन कंपनियों और व्यापारियों के लिये लिखना गलत बात है ।

पत्र लिखा गया, यह उन्होंने मंजूर किया था । जैसा मथुरादासजी ने कहा कि मैं पोलिटिकल सफरर को मदद करना चाहता था । वह किस हद तक पोलिटिकल सफरर था, इस बात की जांच की जा सकती है । वह कंपनी ब्लेक लिस्ट में आ गई है, जैसा कि लीडर ओफ दि हाउस ने कल कहा बतलाया, मैं उस समय यहां नहीं था । I stand subject to correct'on because I was not present. लेकिन यदि वह ब्लेक लिस्ट में आ गई है तो वह पार्टी भी ठीक नहीं थी जिसके लिये आपने सिफारिश की ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, फ्रन्टियर पब्लिकेशन के ब्लेक लिस्ट में आने की बात नहीं कही गई थी । इसको तो अब ब्लेक लिस्ट में लिया गया है ।

श्री जयनारायण व्यास—वह अब ब्लेक लिस्ट में आ गई है । अब आवे या कल आवे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आज जुर्म करूं या कल जुर्म करूं, अब यह सिद्ध हो गया है कि वह गलत पार्टी थी । अज्ञान से ही सही लेकिन गलत पार्टी की सिफारिश की गई थी ।

अब इसकी जांच सदन में होनी चाहिये या नहीं, इसके बारे में आज सदन में बहुत चर्चा हुई । मैं समझता हूं कि यह चर्चा नहीं होती तो ज्यादा अच्छा होता । गलत है या सही है लेकिन व्यक्तिगत राग द्वेष और दुश्मनी है ऐसी बात कही जाती है और फालतू बातों में दुश्मनी के भाव फैलते हैं और बढते हैं यह ठीक नहीं है । अच्छा होता कि लीडर आफ दि हाउस जांच खुद कर लेते और जांच की भी होगी । यदि जांच करने के बाद दिक्कत नहीं है तो वे प्रस्ताव उपस्थित करते और मथुरादासजी उसका समर्थन करते कि जांच होनी चाहिये । वे नहीं पेश कर पाये तो यहां लीडर आफ दि हाउस का प्रश्न आ जाता है । श्री गोपीलालजी यादव ने कहा प्रस्ताव लीडर आफ दि हाउस के खिलाफ रखदो, इसमें उलझन हो जाती है । यह उलझन यदि लीडर आफ दि हाउस प्रस्ताव लाते तो नहीं आती ।

एक बात, श्री जवानमलजी तो नहीं कहूंगा, जवानसिंहजी ने कही थी कि मेजोरिटी पार्टी कभी किसी के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती है । यह क्षत्रियोचित बात नहीं थी । यदि एक आदमी अकेला हो और उसको तंग करने के लिये जांच करें या और किसी तरह से तंग करने की कोशिश करें और इस खयाल से कि मेजोरिटी हमको दबोच देगी हम सर झुकाने के लिये तैयार नहीं हैं । मैं इसका कायल नहीं हूं । मेजोरिटी मेजोरिटी है । डेमोक्रेसी में मेजोरिटी की बात रहती है लेकिन हमेशा यह समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी में एक दूसरे के विचारों को पलटने की कोशिश की जाती है ।

[श्री जयनारायण व्यास]
उसके बाद मेजोरिटी में आ जाय तो अच्छी बात है उसको मेजोरिटी समझ सकते हैं । लेकिन मेजोरिटी के अलावा कभी २ परसुएशन हो जाता है ऐसा करो, वैसा करो और कोअरसन भी हो जाता है कि ऐसा नहीं करोगे तो टिकट नहीं मिलेगा, ठेका नहीं मिलेगा, भतीजे को नौकरी से हटा दिया जायगा । इस तरह से मेजोरिटी के आधार पर हमको दबाकर एक थोथी डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश करते हैं । डेमोक्रेसी के माने डिस्कशन है, मेजोरिटी है लेकिन डेमोक्रेसी के माने ट्रुथ है, फेअर प्ले है और डेमोक्रेसी के माने जस्टिस है । यदि हम ट्रुथ, फेअर प्ले और जस्टिस को मार कर केवल मेजोरिटी के आधार पर, क्योंकि हमारी मेजोरिटी है इसलिये किसी को खत्म कर देंगे या दबा देंगे, यह करेंगे तो हम डेमोक्रेसी को मार देंगे । यदि राजस्थान में डेमोक्रेसी मर जाती है तो कांग्रेस मर जाती है । क्योंकि मैं कांग्रेस का एक अदना सदस्य हूं, आइ स्टेन्ड फोर डेमोक्रेसी । हम इस ओर बैठे हैं डेमोक्रेसी के बल पर क्योंकि हमारी मेजोरिटी है । हम अपने शासन को कायम रखलें, शान को कायम रखलें, प्रेस्टिज कायम रखलें, यह ठीक है कि हम रखेंगे हमारे पास बहुमत है । अध्यक्ष महोदय, आपको बहुमत रेकार्ड करनी पड़ेगी । मैं यह बता दूं कि हम जीत जायेंगे लेकिन हमारा सिद्धान्त हार जायगा, सच्चाई, न्याय और फेअर प्ले हार जायगा । इस हालत में जिस सिद्धान्त के आधार पर हम खड़े हैं वे सिद्धान्त जीने वाले नहीं हैं । अंत में जाकर कांग्रेस का इससे सत्यानाश हो जाता है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह डिस्कशन खत्म हो जाता है तो अच्छी बात है नहीं तो लीडर आफ दि हाउस और मथुरादासजी को आकर कहना चाहिये :— It is in our interest that this should be properly enquired into so that no man may point his finger at me."

खास तौर पर मेरे कम्युनिस्ट भाई जो कल बोले थे, मैंने सुना है काफी अच्छा और लम्बे बोले थे । जब वे बोलते हैं तो उनके दिमाग में खाली बोलना ही नहीं होता है वरन उनके दिमाग में एक चीज और होती है और वह चीज यह है कि वे चाहते हैं कि उनके सिद्धान्त का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो; मेरे दिमाग में भी यह चीज है कि मेरे सिद्धान्त का ज्यादा प्रचार हो । मेरी संस्था एक अच्छी संस्था है और वह सच्चाई और न्याय पर आधारित है, सच्चाई और न्याय सदन के सामने आये·······

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन्क्वायरी कुबूल कर लीजिये, संस्था की तरफ से पता चल जायगा ।

श्री जयनारायण व्यास—मैं इस इन्क्वायरी के पक्ष में नहीं हूं । लीडर खुद इन्क्वायरी करालें और हाउस में प्रस्ताव रख दें, मैं इसका समर्थक हूं ।

इन्क्वायरी के पक्ष में होते हुए कोई यह न समझे कि मैं श्री त्यागीजी के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं । यों तो त्यागीजी सब तरह से बराबर हैं बाल भी बराबर सफेद हैं, खादी के कपड़े पहनते हैं, मेरे पुराने साथी हैं । करीब करीब स्वभाव में भी मीठे हैं । कभी चाय पिला देते हैं तो कभी चाय पी लेते हैं । लेकिन मैं इस खयाल से यह कहता हूं कि हम जिस संस्था को चाहते हैं कि उसकी उन्नति हो यह उसके सिद्धान्तों के प्रतिकूल पड़ता है । आप उस संस्था पर दया करिये । जैसा श्री घीसीसिंहजी ने कहा है कि इसको जान बूझ कर दबाया जा रहा है । मैं यह कहूंगा कि इसको दबाने का परिणाम क्या होगा ? हमारी प्रेस्टिज इस समय भी बचने की नहीं, जब हमारे खिलाफ इस प्रकार की बात

[श्री जयनारायण व्यास]

कही जाती है तो कोई सच समझेगा और कोई कुछ समझेगा। मगर किसी हद तक यह सच है कि चिट्ठी लिखी गई। यह बात सच है। यह भी सत्य है कि रिकमन्डेशन की गई। इस तरह की बात कोई अच्छी बात नहीं होती। मैं तो यह समझता हूं कि चाहे यह प्रस्ताव गिरे या पास हो जाए लेकिन यह प्रस्ताव आने मात्र से ही हमारी बदनामी हुई है और इससे हमारे सदस्यों के दिमागों में और दिल पर यह असर हुआ है कि सिफारिश जहां सरकार में चलती है वहां डेमोक्रेसी नहीं चलने वाली है। मैं समझता हूं कि लीडर आफ दी हाउस और स्वयं मथुरादासजी इसको मंजूर करेंगे कि जांच होनी चाहिये, ताकि सब बात साफ हो जाए। प्रेस्टिज तो कितनी रहेगी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बस यही मुझे कहना है।

(हर्ष ध्वनियें)

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोशन प्रस्तुत हुआ है। मुझे भी आपने इस पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया है इसके लिये मैं आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय, कल तक मेरी यह धारणा थी कि इस प्रकार प्रत्येक एम. एल. ए. के खिलाफ कोई प्रस्ताव द्वारा शिकायत आवेगी और इस तरह हाउस उसकी जांच करने बैठेगा तो हम कहां जावेंगे ? मेरी यह धारणा है अध्यक्ष महोदय, आज भी कि एम. एल. ए. का सबसे वड़ा कर्त्तव्य जो रह गया है वह यह कि लोगों की सिफारिश करे। यह हमारा दुर्भाग्य है। मैं मानता हूं कि आज सुबह उठते हैं उस वक्त से इन चार पांच वर्षों के काल में ऐसी परम्परा सी कायम हो गई है कि कोई न कोई आ पहुंचता है। कोई कहता है नौकरी दिलवा दो, कोई कहता है कि मेरे फलां काम हो रहा है। हम खुद इससे परेशान हैं। लेकिन हमको यह कहां ले जायगा, मैं यह मानता हूं कि आज सही तरीके से यदि कोई एम. एल.ए. ईमानदारी से अपना काम करना चाहे तो मैं यह कह सकता हूं कि वह जीत नहीं सकेगा। आज जमाना इस प्रकार का आ गया है और इस सदन में १६० सदस्य बैठे हैं उनमें से १५० अगर छाती पर हाथ धर कर कहते हैं तो उनको मंजूर करना पड़ेगा कि यह बात होती है इसलिये कल तक तो मैं यह समझता था कि हर एम. एल. ए. के खिलाफ कमेटी बिठाई जावे तो यह खतरनाक होगी। लेकिन आज मेरी निश्चित धारणा बन गई है और मैं यह मान कर चलता हूं कि यह मथुरादासजी का प्रश्न नहीं, यह सारे सदन के प्रत्येक एम. एल. ए. का प्रश्न है। अगर उनको सही रास्ते पर ले जाना है तो हमें इसके लिये कुछ इन्तजाम करना पड़ेगा और करना चाहिये। मैं यह कहता हूं कि अगर इसकी जांच की जावे तो हर एक के खिलाफ थोड़ा बहुत सबूत मिल सकता है। मिनिस्टरों के खिलाफ तो कोई सुबूत नहीं मिलेगा क्योंकि वे तो इस प्रकार की कार्यवाही टेलीफोन से ही करते हैं और थोड़े बहुत कभी कोई पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं होता। क्योंकि एक मिसाल डिप्टी मिनिस्टर की है, उसकी ३५ कोपियें मिल नहीं सकीं। उन्होंने एस. डी. ओ. को राजपूतों के खिलाफ इस प्रकार कहा कि फलां गांव में राजपूतों ने जबरन कब्जा कर लिया है तुम जाकर उसकी जांच करो, हालांकि यह उनका विभाग नहीं था और न उनके जुडिक्शन में था। वहां पर एस. डी. ओ. खुद नहीं गये और उन्होंने एक एस. आई. को भेजा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार विषय से बाहर बोलने से सदन का समय जाने वाला है ।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, हमारी मुश्किलात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं ।

श्री वेदपाल त्यागी—आदत से लाचार हैं, थोड़ा इसका भी कन्सेशन मिलना चाहिये ।

श्री मानसिंह महार—जब सब इन्सपेक्टर पुलिस ने रिपोर्ट दी, यह एस. डी. ओ. सांभर की बात है। इसकी ३५ कापियें नहीं मिली हैं, वरना इस प्रकार का मोशन आता वह आवेगा; लेकिन में यहां पर फेक्ट अर्ज कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—जब इस प्रकार का मोशन आवेगा तो इस पर बोलने की क्या जरूरत है ?

श्री मानसिंह—यह छोटी सी बात है उसके लिये भी धमकाया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—हम दोनों को एक साथ कर लें ।

श्री जयनारायण व्यास—दो चार मोशन और हों तो ले आवें, साथ ही डिस्कशन हो जायगा ।

श्री मानसिंह महार—आप टेलीफोनों से कम सिफारिशें करिये । मैं तो सही बात अर्ज कर रहा हूं कि आज यह मर्ज इतना बढ़ गया है और इस हद तक बढ़ गया है और मैं भी यह निवेदन करूं कि सही बात देखी जावे तो मैं भी इससे बचा हुआ नहीं हूं । लेकिन पैसे-वैसों के मामलों में नहीं। हां, किसी गरीब को नौकरी दिलाने या किसी को सही प्रोमोशन दिलाने आदि के बारे में जरूर सिफारिश कर दी जाती है । पैसों में तो मैं करूं तो मेरी सुने भी कौन, मैं बांटा-वाटा तो दूं नहीं, इसलिये मेरी सुनवाई होती नहीं । इसलिये मैं यह मानकर चलता हूं कि माथुर ने भी लेन-देन की बात नहीं की होगी, यह मेरी निश्चित धारणा है । गरीब आदमी गनपत माथुर के पास है ही क्या । वह तो एक पोलिटिकल सफरर था । वह तो गरीब आदमी था, पहले तो पूंजीपति हम लोग थे । इसलिये उससे पैसों के लेन-देन की बात नहीं थी ।

कल जब मुख्य मंत्रीजी ने स्टेटमेन्ट दिया तो एक चीज हमारे सामने आई । कहा कि इसको ब्लेक लिस्ट किया गया है और उसके बाद जोर्न बनाये तो वह किताब चलती थी । इसलिये मैं यह मान कर चलता हूं कि यह मोशन जो श्री त्यागीजी ने रखा है वह माथुर के खिलाफ नहीं होना चाहिये था यह तो हमारे मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ आना चाहिये क्योंकि मेरी यह निश्चित धारणा है कि इन मामलों में किस प्रकार से पक्षपात किया गया है । श्री माथुर ने पक्षपात नहीं किया ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि मैंने क्या पक्षपात किया है ?

श्री मानसिंह महार—मैं यह बता रहा हूं । जब आपने क्लेरिफिकेशन चाहा है तो मैं बताता हूं ।

[श्री मानसिंह महर]

मैं यह मानकर चलता कि हूं यह जो किताब का किस्सा सदन के सामने आया जिसको मुख्य मंत्रीजी ने दबाने की कोशिश की जिसको रफा-दफा करने की कोशिश की यह इस बात को साफ जाहिर करता है कि उन्होंने अपने कृपापात्र श्री गनपत माथुर की मदद करने के खातिर इस मामले को रफा-दफा कर दिया है। नहीं तो उनको चाहिये तो यह था कि इस बात की जांच करवाते। आज यदि मैं किसी मास्टर के लिये सिफारिश करूं और उसके लिये अगर सदन यह कहे कि इसकी जांच होनी चाहिये तो मुझे उसमें डरने की कौनसी बात है मैं पहला आदमी हूंगा जो यदि इस प्रकार की कोई जांच की मेरे खिलाफ नौबत आये तो उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा। मैं जांच से डरने वाला नहीं, जांच से वे डरते हैं जो सत्य से डरते हैं। माननीय अध्यक्ष, श्री माथुर ने खुद ने कहा कि वे जांच कराने के लिये तैयार हैं। मैं इस बात के लिये उनको बधाई देता हूं लेकिन यह भी हो सकता था कि वे नट जाते कि यह मेरा लिखा हुआ खत नहीं है। कौन उनसे पूछने वाला था ? यदि श्री त्यागीजी दो हैण्ड एक्सपर्ट को लाते तो आप चार को ले आते। कौन कह सकता था कि यह आपही के दस्तख्त हैं ? अध्यक्ष महोदय, हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट्स का नमूना मैंने तो तेजसिंहजी के इलेक्शन में देखा था। अगर माथुर साहब पत्र लिखकर भी नट जाते तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जो चीज उन्होंने स्वीकार की उसके लिये मैं यही कहूंगा कि माथुर साहब का जो स्टंट है वह बहुत उचित है अगर किसी ने इस मामले को उलझाया है तो वह है हमारे मुख्य मंत्रीजी, जिन्होंने इस मामले को उलझाया है। मैं यह मानता हूं कि अगर फ्रन्टियर पब्लिकेशन को ब्लेक लिस्ट में ले लिया जाता तो यह मामला दब सकता था और उनकी जो भी किताबें हैं वे हटा दी जातीं। लेकिन यह हुआ नहीं फ्रन्टियर पब्लिकेशन ब्लेक लिस्ट में आये कैसे क्योंकि इसके प्रमुख व्यक्ति तो श्री गनपत माथुर थे। अगर उसको ब्लेक लिस्ट में न लेकर उस पर्टीक्यूलर किताब को ही निकाल दिया जाता तो यह नौबत नहीं आती। इससे यह भी साफ़ हो जाता है कि मुख्य मन्त्री किसी को शील्ड नहीं करना चाहते। लेकिन वे कैसे इसको बन्द कर सकते हैं, वह किताब जारी है; आज उससे सालाना पचास हजार रुपये की जागीर कायम होगई है। वह आज भी जारी है और जारी रहेगी उसके लिये कोई जवाब नहीं। जवाब केवल यह मिलता है ब्लेक लिस्ट में अब कर दिया है। जब यहां चर्चा हुई सदन में जब बातें आगई तो उसको ब्लेक लिस्ट कर दिया गया छ महीने और १२ महीने के बाद माफ़ कर दिया जायगा। मेरी यह धारणा है कि जो मोशन है जो माननीय त्यागीजी लाये हैं वह मैं समझता हूं फ़िज़ूल है, वे न तो केबिनेट में बैठते हैं, वे तो हमारी तरह एक साधारण एम.एल.ए. हैं जल्दी जल्दी में परचा लिखा दिया। लेकिन मोशन तो मुख्य मन्त्री के लिये आना चाहिये जिन्होंने तीन बार यहां कहा कि मैं जांच कराऊंगा लेकिन जब जांच का वक्त आया उससमय होगई टांय टांय फिस। हमारे साम्यवादी मित्र ने उन्हें लिखा था कि मुझे एसोसियेट किया जाय; वे एसोसियेट करे कैसे? अगर केवल माथुर का मामला होता तो वे एक बार नहीं नौ बार एसोसियेट करते। वह तो उनका खुद का मामला बन गया था, उसमें उनको एसोसियेट करने का प्रश्न हो नहीं उठता। मैं यह निश्चित रूप से कहूंगा अगर सदन के पांच सदस्यों की कमेटी बनादी जाय और वे श्री माथुर के खिलाफ़ जांच करें तो मैं यह कहूंगा कि श्री माथुर के खिलाफ़ कुछ भी साबित नहीं होगा। मेरी यह निश्चित धारणा है और हर सदस्य इस बात को मानेगा। अगर इस प्रकार की कोई कमेटी बन गई तो यह निश्चित बात है और यह साबित होगा शुरू से लेकर आखिर तक जो गड़बड़

[श्री मानसिंह महार]

हुई है उसमें माननीय मुख्य मन्त्री का हाथ है और उन्हीं की तरफ़ से इतनी गड़बड़ हुई है और उन्हीं की वजह से इस सदन का इतना समय जाया हुआ है। मेरा निवेदन यह है अध्यक्ष महोदय, हम इस बात पर ध्यान पूर्वक सोचें। यह किसी एक एम.एल.ए. के लिये नहीं। अगर यहां पर किसी प्रकार का स्टिक्चर कायम होजाता है तो हमारे पास कोई लोग नहीं आयेंगे और हम सब लोग बड़ी भारी परेशानी से बच जायेंगे। अगर यह प्रस्ताव पास नहीं होता है और इस प्रकार की कमेटी नहीं बनती है तो हम लोगों का पिन्ड नहीं छोड़ेंगे वे लोग जो हमारे से सिफ़ारिश करवाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप ही ऐसी स्टिक्चर हमारे पर कायम करदें तो हम लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इस पत्र के पेश होने से यह तो होगया कि अब कोई भी सदस्य चिट्ठी तो नहीं लिखते, चिट्ठी लिखना तो करीब करीब भूल गये, यह सही बात है जो मैं निवेदन कर रहा हूं। इस पत्र के बाद तो सदन के हर सदस्य ने यह सौगन्ध कर ली है कि चिट्ठी तो वे किसी भी प्रकार नहीं लिखेंगे, नहीं तो वे सोचते हैं कि कहीं उनके ख़िलाफ़ भी इस प्रकार की बात न हो जाय। अध्यक्ष महोदय, मेरी निश्चित धारणा है कि अगर आप इस प्रकार का स्टिक्चर कायम कर देते हैं तो हम एम. एल. एज़. को बहुत राहत मिलेगी। हम इस सिफ़ारिश करवाने के बिजिनेस से काफ़ी दुखी हैं, हमको राहत मिल जायगी।

अध्यक्ष महोदय, कल और आज जो भाषण सुने उनमें मैंने इस प्रस्ताव के समर्थन में बोलने वालों का भी भाषण सुना। उन्होंने इस प्रकार के प्रस्ताव का बहुत अच्छा समर्थन किया लेकिन जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने भाषण दिया उसको मैंने सुना; मैंने श्री त्यागीजी के भाषण को तो पूरी तरह से नहीं सुना किन्तु उनके समर्थन करने वाले साम्यवादी सदस्य का भाषण बड़े ध्यान से सुना। और भी भाषण इस पत्र के बारे में हुए वे भी सुने। आज जो हमारे संयुक्त दल के चीफ़ व्हिप ने, जो सिरोही से आये हुए हैं उन्होंने बड़ा ही मधुर भाषण दिया। मैं मानता हूं वे एक अच्छे वकील हैं तो फिर बोलने में कमी क्या हो सकती है? उनके भाषण से और उनकी वकालत से ऐसा मालूम होता था कि वे बड़ी अच्छी वकालात कर रहे हैं। मन्द मन्द मुस्कान के साथ उनका भाषण होरहा था। उस समय ऐसा मालूम होताथा कि अन्दर ही अन्दर वे उनकी पैरवी नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने ख़ुद की पैरवी कर रहे हैं (चीअर्स, लाउड चीअर्स) अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं आज जो इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं वे किस नीयत से कर रहे हैं और क्या क्या सोचकर कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे ख़याल से आज यह प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं है। मेरा पहले तो यह विचार था कि इस बारे में किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं लेकिन आज के भाषणों से मेरा यह निश्चित मत बन गया है और ख़ास तौर से कल जब कि माननीय मुख्य मन्त्री का जवाब सुना तो मुझे बड़ा दुःख हुवा, मैं सही निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, जब सदन में उन्होंने यह कहा कि वे इस बात की जांच करके सदन को जवाब देते लेकिन जो कुछ भी बातें उनकी तरफ़ से रखी गई जो उनकी तरफ़ से गोलमाल जवाब दिया गया वह एक प्रकार से सदन का अपमान है। यह मानते हुए कि माथुर साहब के खिलाफ़ कोई बात नहीं बनेगी फिर भी मैं यह कहता हूं कि जो सदन के नेता ने नेता की हैसियत से जो बातें कहीं वे उचित नहीं थीं। यह माथुर साहब के खिलाफ़ बात साबित नहीं हुई लेकिन जब यह बातें राजस्थान की जनता के सामने जायगी तो वे यही कहेंगे कि सदन में जाकर लोग दबाव में आजाते हैं मैं यह साफ़ कह देना चाहता हूं कि मैं किसी दबाव में नहीं, हम

[श्री मानसिंह महार]

तो सही बात की तरफ़ जाने वाले हैं और सब को भी सही बात की ओर जाना चाहिये। और उस पब्लिशर को ब्लेक लिस्ट में किया जाना चाहिये ब्लेक लिस्ट में ही नहीं उस किताब से जितना भी रुपया उसने कमाया है वह सरकार में जमा कराये, सरकार को दे। ऐसी अगर कार्यवाही की जाय तो आप पर किसी प्रकार का लांछन लगने वाला नहीं। मैं तो यह सुनना चाहता था कि मुख्य मन्त्री ऐसी कोई बात कहते किन्तु वे इस बारे में मौन रहे। इसलिये मेरा प्रस्तावक महोदय से निवेदन है कि अगर वे अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को तैयार हैं तो बहतर है मैं मानता हूं कि अगर किसी ने सदन का अपमान किया है तो वह सदन के नेता ने किया है, मुख्य मन्त्री ने किया है। मैं माथुर साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने उस बात को मन्जूर किया कि उन्होंने इस प्रकार की चिट्ठी लिखी। अगर कोई दूसरा होता ट्रेजरी बेन्च पर बैठने वाला कोई मेम्बर होता तो वह बिल्कुल इन्कार कर जाता। इसलिये यह निश्चित बात है कि एक एम. एल. ए. होने के नाते उन्होंने हमारी प्रेस्टिज को बचाया, उन्होंने इतना तो कुबूल किया कि जो पत्र लिखा वह मैंने लिखा, इसके लिये उनको धन्यवाद देना चाहिये उन्होंने इतना तो मोड आफ़ कन्डक्ट कायम रखा। अगर वे इन्कार कर जाते तो उनका बिगाड़ने वाला कौन था? लेकिन उन्होंने मोरल स्टेन्डर्ड कायम रखा और इस बात को स्वीकार किया कि चिट्ठी मैंने लिखी थी। लेकिन जो खास बात है अगर माथुर साहब के खिलाफ़ जांच होती है कि उन्होंने एक आदमी को टुकड़ा लिख दिया उसके लिये गवर्नमेन्ट को बाध्य करना कि अगर किसी आदमी से एक प्रकार से गलत बात हो गई है तो क्या गवर्नमेन्ट का यह फ़र्ज हो जाता है कि उस किताब को रखा जाय। मेरी धारणा है कि सरकार को आज भी इस बात को चाहिये कि उस किताब को आज से ब्लेक लिस्ट में करदे और उसको बिल्कुल बन्द कर दिया जाय अगर सरकार की नीयत साफ़ है तो। लेकिन साफ़ कहां है वे तो इसको शील्ड करना चाहते हैं और यह कहा जाता है कि मथुरादासजी को मोनीटरी गेन नहीं हुआ; अगर उनको गेन नहीं हुआ तो सरकार को हुआ होगा।

जिसने दो लाख का फिर आर्डर दिया और फिर लोगों में सुरसुराहट हुई तो आर्डर कैन्सिल कर दिया। तो इसमें जो कुछ गलती है वह सरकार की है और सरकार के खिलाफ़ हमें सारी बातें साबित करनी चाहिये। इसलिये मैं मानता हूं कि मथुरादासजी माथुर के खिलाफ़ तो कोई बात साबित नहीं हो सकेगी और इसलिये त्यागीजी का प्रस्ताव इस अमेन्डमेन्ट के साथ पास किया जावेगा और फिर कोई कमेटी बनाई जावेगी तो और भी कई गुल खिलने वाले हैं जो हमारे लिये भी बड़े उपयोगी और सहायक होंगे। यह हमारे सदन के सम्मान और इज्ज़त का प्रश्न है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी मोरल स्टेन्डर्ड हमारे में बाकी बचा है तो हमें चाहिये कि इसके आधार पर कमेटी बनाने की बात को सर्व सम्मति से हम मन्जूर करें।

आज के युग में अगर इस प्रकार की बातों पर भी हमारे ये साथी अपनी मेजोरिटी के आधार पर खिलवाड़ करेंगे तो यह अच्छी बात नहीं होगी।

आज तो ज़माना यह है कि मेजोरिटी आपकी है तो माइनोरिटी की बातों पर भी ध्यान देना चाहिये और जो सही दिमाग में आसानी से उतरने वाली बातें हैं तो उन पर तो अवश्य ध्यान देना चाहिये, अगर डेमोक्रसी को रखना है हमें हिन्दुस्तान में तो। और अगर मेजोरिटी के बलबूते पर ही

[श्री मनसिंह महार]

सब कुछ करना है, सब जा बेजा करना है तो फिर डेमोक्रेसी का ढकोसला क्यों रचते हो, असेम्बली का यह ढोंग फिर क्यों कायम रखते हो? आप करो अपने मेजोरिटी के बलबूते पर जो आपको अच्छा लगे और हम हमारे घर पर बैठेंगे। और कुछ नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि माथुर के स्थान पर मुख्य मन्त्री के नाम का अमेन्डमेन्ट करके यह प्रस्ताव स्वीकार करें तो उनके खिलाफ़ यह कमेटी ज़रूर बैठनी चाहिये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने सदन का भी अपमान किया है कि सदन के प्रस्ताव को अस्वीकार करके इस प्रकार की बात की है, इसलिये निवेदन करूंगा कि इस अमेन्डमेन्ट के बाद जो मेरे मित्र इस प्रस्ताव के खिलाफ़ भी बोले हैं वे भी इसको वाजिब मान लेंगे और सर्व सम्मति से कमेटी बनावेंगे। अगर यह कमेटी बनेगी तो बहुत गुल खिलेंगे। फ्रन्टियर पब्लिकेशन्स ने कल शाम तक लाखों रुपये कमाये हैं और वह रुपया कमाया गया है सरकार के उच्चस्तरीय आदमियों की मदद से। ये सब मिले हुए हैं। इसलिये इसकी जांच के लिये एक कमेटी बननी चाहिये और इस तरह का अमेन्डमेन्ट होकर बननी चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)--मैं समझ नहीं पाया कि वे जो बोले वह प्रस्ताव के समर्थन में बोले, विरोध में बोले या संशोधित प्रस्ताव लाने के लिये बोले? मूल की क्या बात है?

श्री मनसिंह महार--अगर अमेन्डमेन्ट स्वीकार कर लेते हैं त्यागीजी मेरा, तो अच्छा है। अगर नहीं तो फिर जैसा है वह प्रस्ताव अच्छा है या बुरा; तो उस अच्छी या बुरी चीज़ का भी समर्थन है ही। हम तो आपके खिलाफ़ साबित करेंगे, अगर मुझे उस कमेटी में रख लिया गया तो, कि एजुकेशन मिनिस्टर की ग़लती है, न कि माथुर की।

श्री हरिकृष्ण व्यास--अध्यक्ष महोदय, कोई माननीय सदस्य किस ओर राय देते हैं, इसके बारे में पूछ पूछ कर जानकारी करके दबाव डालने की कोशिश करने का यह तरीका कहां तक न्याय पूर्ण है सदन में?

श्री अध्यक्ष--Order please! यह तो स्पष्टीकरण चाहा गया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास--पर इस पर तो असर नहीं होता, दूसरे पर हो सकता है साहब।

श्री भोलानाथ--अध्यक्ष महोदय, आज का जो प्रस्ताव है वह वास्तव में जैसा कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा यह हमारी सरकार की कमज़ोरी का द्योतक है। मैं मानता हूं इस बात को कि यदि सरकार ने अपनी ओर से या अपने पीछे बोलने वाले सदस्यों ने इस प्रकार की परम्परा नहीं डाली होती तो आज इस प्रकार हमारे एक साथी को जिनको कि दो दिनों से बराबर परेशान किया जारहा है या जिसकी आलोचना हो रही है वह नहीं होती। होता असल में क्या है कि जब भी बजट सैशन आता है तो कुछ सरकार के खिलाफ़ इल्ज़ाम लगाये जाते हैं, उनमें करप्शन का भी इल्ज़ाम होता है, सिफ़ारिशों नेपोटिज्म, फ़ेवरेटिज्म के इल्ज़ाम होते हैं और जब वे इल्ज़ाम लगाये ज़ाते हैं तो तरीका सीधा सा यह होता है कि सरकारी बेंचों की तरफ़ से जवाब दे दिया जाता है, पर कभी कभी क्या होता है कि उनको चेलेन्ज

[श्री भोलानाथ]

कर दिया जाता है और वह चेलेन्ज की हालत में इस बात की आवश्यकता हो जाती है कि सुबूत पेश किया जावे। मैं समझता हूं कि यह इसी प्रकार का मसला आज हमारे सामने है।

हमारे यहां टैक्स्ट बुक्स का मामला जब से राजस्थान बना और यह पापुलर सरकार बनी तब से है। उस सरकार ने सोचा कि राजस्थान के बेसिस पर टैक्स्ट बुक का इस प्रकार से इन्तज़ाम किया जावे कि जिससे सबको सन्तोष हो। श्री माथुर के ज़माने में इस दिशा में प्रयास किया गया और उस समय भी जैसे कल कहा गया इसकी बहुत आलोचना हुई। पर बाद में उस तरीके में अमेन्डमेन्ट आया कि अगर ये टेक्स्ट बुक्स मन्जूर करनी हैं तो उसका ऐसा तरीका निकाला जावे जिससे सरकार की बदनामी न हो। मैं आज यह कहना चाहता हूं कि यह माथुर का मामला नहीं है बल्कि वास्तव में सरकार के सोचने का सवाल है और वह सवाल इस तरीके से सामने आया कि अगर इन किताबों को कुछ टैक्स्ट बुक कमेटी के लोग सिलेक्ट कर लें या सरकार के सेक्रेटरी या डाइरेक्टर या कोई उच्च अधिकारी सिलेक्ट करले, जिससे सही तरीके की किताबें सामने आवें, जिससे आम लोगों को सन्तोष हो और लोगों को भी अच्छी किताबें मिलें और यह भी साफ़ है कि किसी को गैरवाजिब तरीके से भी फ़ायदा नहीं पहुंचे; इसलिये यह सिस्टम निकाला गया कि जो किताबें भी हों, छपी हों या मेनुस्क्रिप्ट हों उनको सीक्रेट रक्खा जावे और उन पर सीक्रेट नम्बर डाला जावे जिससे कि ऐसी सम्भावना नहीं रहे कि किसी को इसकी मालूम हो सके और हैड रिव्यूवर भी जिससे प्रभावित न किया जा सके या रिव्युवर प्रभावित नहीं किया जा सके और जो वास्तव में उपयुक्त हो वे ही पुस्तकें छांटी जा सकें। यही एक ऐसा तरीका था जो उस स्थिति में ठीक समझा गया। यह ठीक भी था, इसमें शक नहीं। इसके बाद दूसरा तरीका राष्ट्रीयकरण का था और इस बारे में भी सोचा गया। पर इस बीच में क्या होता है कि कमेटी ने कोड नम्बर लगाकर इस मामले को हल करने की कोशिश की। पर इसकी सीक्रेसी लीक हो गई, जिसको लेकर आलोचना शुरू हो गई। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब सबसे ज्यादा चर्चा शुरू हुई, इसमें भी पहले जिसने हिस्सा लिया उन्हीं लोगों में चर्चा थी और मेरे भूतपूर्व साथी श्री नाथूराम मिर्धा, जब वे मिनिस्ट्री में मेरे साथी तथा एजूकेशन मिनिस्टर थे वे जब अपना चार्ज मुझे हैण्ड ओवर करने लगे और वह पोर्टफ़ोलियो मेरे पास आया तो और बातें सद्भावना के अतिरिक्त जो लिखीं वे यह थीं कि टैक्स्ट बुक के मामले को गम्भीरता से लेना क्योंकि इसका बहुत बड़ा स्केन्डल हमारे यहां है और इस पर विचार करना चाहिये कि कांग्रेस और सरकार की प्रेस्टिज किस प्रकार बच सकती है और आइन्दा राजस्थान के लोगों के सामने सरकार का भाव सामने आवे और किसी को नाजायज तरीके से किसी को फ़ायदा न हो और साथ ही यह भी कि बच्चों को अच्छी किताबें मिलें। इस तरह से वह पत्र आया, इसके बाद गरमी से मामला आगे बढ़ा। यहां तक बढ़ा कि आखिर में मामला पुलिस में देना पड़ा। इतना गम्भीर मामला था कि इसे एजूकेशन सेक्रेटरी और एजूकेशन मिनिस्टर ने ही डील नहीं किया पर यह मामला चीफ़ मिनिस्टर को दिया गया और चीफ़ सेक्रेटरी को सौंपा गया और चीफ़ सेक्रेटरी ने इसे पुलिस में देकर एन्क्वायरी कराई। इससे समझा जा सकता है कि मामला कितना गम्भीर था और सरकार भी इस पर कितनी गम्भीर थी और इस सारे मामले को किस तरह से लेना चाहती थी। उस मामले को जांच के लिये भेजा गया तो वहां यह साबित हुआ कि कुछ लोगों ने कोड नम्बर आउट

[श्री भोलानाथ]

किये और इसमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सौदे कर लिये थे और वे सौदे पक्के होगये थे एक प्रकार से और मैं तो यहां तक मन्जूर करने को तैयार हूं कि इसमें टैक्स्ट बुक कमेटी के मेम्बर भी शामिल थे। मैं यह मानता हूं कि शासन चलाने में कमजोरियां आती हैं, कुछ मजबूरियां भी होती हैं पर फिर भी इतना मालूम हो जाने के बाद उन्हें आगे बढ़ना चाहिये था। इसमें कमज़ोरियां थीं और उनको दूर करने के लिये जो पुलिस की रिपोर्ट आई उस पर सख्त एक्शन ले सकते थे क्योंकि नई किताबें जारी करने का समय आ रहा था। पर वे चुप रहे और इतने चुप रहे कि डेढ़ साल का समय गुज़र गया। दिक्कतयों भी बढ़ गई क्योंकि हर साल पुरानी किताबें खत्म होती थीं और उन किताबों को छपाने के लिये मन्जूरी नहीं देते तो ब्लैक मार्केट में प्रेशर होता था और बच्चों को बड़ी हैरानी का सामना करना पड़ता था। तो यह प्रेशर में सारा काम हुआ। तो इस प्रेशर में शक नहीं कि यह फ्रन्टियर पब्लिकेशन्स पुलिस की जांच से कैसे बच गया और उसकी किताब कहां खो गई। पर पुलिस की जांच जो हुई थी वह भी किस प्रकार से एग्जीक्यूट की गई, यह मेरी समझ में नहीं आया। फिर यह रहस्य उस समय अगर हाथ आ गया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। यह फ़र्म और यह पुस्तक उसी वक्त ब्लैक लिस्टेड कर दी गई होती। लेकिन उसके विरुद्ध होता क्या? मैं भी खुद इस बात से बहुत अपने आपको दुःखी महसूस करता हूं कि यह इल्जाम सीधा हमारे चीफ़ मिनिस्टर पर ही आ जाता है और शिक्षा मन्त्री पर आ जाता है कि जब पिछले साल यह बजट के टाइम पर आपके सामने सवाल आया कई बार तो वे खुद एजूकेशन मिनिस्टर थे। उनके किसी साथी ने कहा एजूकेशन के मिनिस्टर होते हुए भी चीफ़ मिनिस्टर ने जब कि कुछ आदमियों को ब्लेक लिस्टेड किया और इसका बाद में आउट होता है तो इसको भी इमीजिएटली ब्लेक लिस्ट करने का काम था। हाउस के अन्दर यह मालूम हुआ कि सीक्रेट कोड नम्बर आउट किया गया और यहां मन्जूर हो गया कि कोड नम्बर आउट होगया तो यह फ़ैक्ट्स आजाते हैं कि उसके मन्जूर करने के बाद में भी चीफ़ मिनिस्टर ने उस किताब को जारी रखा है तो यह वास्तव में निन्दनीय काम है जिसके लिए हमें शर्म आनी चाहिये, गवर्नमेंन्ट को शर्म आनी चाहिए और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिये। इतना ही नहीं पहले कोड नम्बर आउट हुआ, यह पुलिस के ज़रिये मालूम नहीं हुआ। तब तो वह किताब एक रीजन में जाने के बजाय ३ रीजन में आगई और दूसरे साल जारी नहीं रखने के बजाय तीन रीजन के बजाय ६ रीजन की उसको लीज़ मिल गई। और भी ब्लेक लिस्ट करते हैं तो भी उसने ६ साल तक मुनाफ़ा तो कमा लिया। उस किताब को फ़ौरन सूचना तक बाद ब्लेक लिस्टेड करना चाहिये था। उन ५ आदमियों ने क्या कसूर किया था? यहां हाउस में इल्ज़ाम लगे और उसका कन्फ़ेशन हो जाय और उसको फिर मन्जूर नहीं करें तो यह ठीक तरीका नहीं था और वास्तव में यह सोचेंगे कि इस तरीके से कार्यवाही की जाती है। चीफ़ मिनिस्टर द्वारा आश्वासन दिया गया और जांच करवाने के लिये कहा कि माननीय श्री मथुरादास का कितना क़ुसूर है, यह दूसरी बात है। श्री मथुरादास ने कितना कसूर किया? कोड नम्बर आउट किया और उसके स्वीकार करने के बाद चाहे किसी तरह का कितना ही जुर्म होता तो अलग से देख लेते, लेकिन आप जब इस तरह की कार्यवाही करते हैं और वह किताब भी आगे चलती है और फिर इतने साथियों ने कहा पिछले बजट के टाइम पर तो फिर श्री मथुरादास से इतना झगड़ा नहीं कि जितना कि झगड़ा आप से पैदा हो जाता है। वह यों पैदा हो जाता है कि जब एक तरफ़ तो आप इस किताब को जारी रखते हैं और दुसरी तरफ़ दूसरों को

[श्री भोलानाथ]

ब्लेक लिस्ट करते हैं। तो गवर्नमेंन्ट उनके साथियों पर क्यों महरबानी करना चाहती है? अगर आप महरबानी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मथुरादास को बचाना चाहते हैं या अपने फ्रन्टियर पब्लिकेशन के आदमी को बचाना चाहते हैं। दोनों बातें साबित होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि श्री मथुरादास पर संशय है, पूरी तरह से संशय है। दोनों चीजें साफ़ हो जाती हैं। मेरे ख़याल से यह बजट सेशन में ही साफ़ कर देते तो जिन लोगों ने कहा वे नहीं कहते और शायद आज भी इस प्रकार का कहने का मौका नहीं मिलता और वे न इस प्रस्ताव पर दुबारा विचार करते और न आपके आश्वासन पर वह प्रस्ताव वापिस लिया जाता, अगर फिर ८-१० महीनों के बाद फिर से यहां पर विचार करने के लिये इस सदन में आता और हाउस में दो दिन से उस पर चर्चा की जाती।

मैं फिर भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि और साथियों ने जिस प्रकार से कहा कि कांग्रेस के लोग बैठे हैं। वैसे तो कांग्रेस और सरकार सब के अन्दर यह बात आती है। वैसे गवर्नमेन्ट को हम चलाते हैं उसके बारे में प्रकाशन का ज़रिया यही है कि समय समय पर जो विचार हों वह हाउस के ज़रिये प्रकाशित किये जायें और सरकार के बारे में सब की क्या राय है, चाहे इस तरफ़ बैठे हुए हैं उनकी या उस तरफ़ बैठे हुए हैं उनका समाधान करने का फ़र्ज़ हो जाता है। समाधान नहीं करते हैं और केवल चुप कर बैठते हैं तो जो कुछ बातें कह सकते हैं वे कहेंगे, तो कोई ठीक बात नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यही एक कारण हो ऐसी बात नहीं। चीफ़ मिनिस्टर साहब ने मन्जूर किया है कि उसको २ लाख का आर्डर फिर उल्टा और करने वाले हैं तो स्थिति फिर यह हो जाती है कि क्या यह आपकी कमज़ोरी नहीं है? इसको आप भी मन्जूर करना चाहते हैं कि आपकी एफ़िशियन्टली सरकार चल रही है या नहीं? क्योंकि सीक्रेट नम्बर्स आउट होते हैं और क्यों इस तरह से आर्डर्स आउट होते हैं और किस तरह से पता लग जाता है कि टेन्डर मिलना चाहिये, कोशिश करनी चाहिये। ऐसे लोगों को अपनी कमज़ोरी से फ़ायदा पहुंचता है। अगर आप उसी वक्त सज़ा दे दें तो ठीक है। अच्छी गवर्नमेंन्ट होती, अच्छा शासन होता, अच्छी मशीनरी होती तो जिस समय पुलिस के हाथ में मामला सौंपा गया था उस समय इस कोड नम्बर का भी पता लग जाना चाहिये था और उनको सज़ा हो जानी चाहिये थी। खैर, उस समय पता नहीं हुआ होगा, लेकिन दूसरी बार बजट सेशन में लेटर पेश हुआ, टैक्स्ट बुक . मेटर के संबंध में डिपार्टमेन्टल चर्चाएं हुई, आलोचनाएं हुई तो उस समय तो आपको नोटिस ले लेना चाहिये था। उस वक्त उसको ब्लेक लिस्ट कर देते तो हर्ज नहीं होता, बल्कि उस पब्लिशर को मौका मिला। उसका इतना साहस हुआ कि आगे भी आपसे आर्डर ले। यही आर्डर नहीं, बल्कि डिपार्टमेन्टल मशीनरी को करप्ट करने की कोशिश करे। तो इससे सीधा इनफरेन्स यह निकलता है कि कोई इन्साफ़ नहीं होता है। साधारण सी बात है। ऐसे लोग सरकार को बदनाम करते हैं, गवर्नमेंन्ट को बदनाम करते हैं। चाहे वे चीफ़ मिनिस्टर के मित्र हों चाहे चीफ़ व्हिप हों इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे तो निश्चित रूप से वे कांग्रेस की कोई शान नहीं बढ़ाने वाले हैं। यह ठीक है कि आप बहुमत में हैं और इस प्रस्ताव को गिरा सकते हैं लेकिन यह उचित बात नहीं होती है। इस तरीके से हम अपनी कमजोरी को मन्जूर नहीं करते तो फिर सोचिये कितने दिन बहुमत के बल पर टिकेंगे। यह आसुरीवृत्ति है कि ताकत है, जिसे आप जबरदस्ती थोपे हुए रखना चाहते हैं। जिन बातों को हम

[श्री भोलानाथ]

कबूल करते हैं और जिस संस्था का जिक्र है तो वह किन उसूलों पर एक संस्था बनी थी । आज जो हम यहां इन बेंचों पर बैठे हुए हैं तो हमारे पास कोई विशेष ताकत नहीं थी, न विशेष योग्यता, मैं मानता हूं कि हमारे पास थी लेकिन हमारे पास एक प्रकार की वह शक्ति थी वह यह थी कि सच्चाई से हम कहते थे । सच्ची बातों का जनता में प्रचार करते थे, और सच्ची बातों का जनता में प्रचार करने का यह असर होता था कि जो लोग गलत राह पर जाते थे वे सही राह पर आजाते थे । वहां सत्याग्रह की बात थी तो वह उसूलों की बात थी । किसी ताकत से लोग हमारे पीछे आते थे । वे बहुमत से लोग आते थे, यह चीज मैं मानने को तैयार नहीं हूं । वैसी शक्ति हम में थी । गांधीजी एक आदमी थे कि वे एक आवाज उठाते थे वही माननी पड़ती थी चाहे बहुमत पक्ष में नहीं था । अंग्रेजों को बहुमत के बल पर नहीं जाना पड़ा, लेकिन वह हमारा सच्चाई का रास्ता था । आज हमारे सामने यहां हाउस के मेम्बर की सच्चाई के बारे में बातें बताने की कोशिश करते हैं तो मान लेना चाहिए यदि कन्विन्स्ड हो जायं तो । अगर गलती हुई है तो मन्जूर की जाय, और मन्जूर करके जो उचित समाधान हो वह निकाला जाय । फिर लोगों को संतोष हो जायगा । उनको मौका नहीं मिलेगा कि वे आपकी आलोचना करें, आपकी पार्टी की आलोचना करें ।

एक बात साफ जब आपके सामने त्यागीजी ने रखी है । श्री एच. के. व्यास ने आपके सामने एक प्रस्ताव पेश किया कि कोड आफ कन्डक्ट बनाने जा रहे हैं । पार्लियामेंट की एक किताब है कि इस संस्था के इस तरह से मेम्बरों को काम करना चाहिए, यह मामूली तौर से गाइडेन्स है । हर वक्त यह कह कर कि इस हाउस की कोई किताब नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, कोड आफ कन्डक्ट मेम्बर्स का बनाया जाय, इस तरह से कह कर बच नहीं सकते । वैसे बचने का कोई तरीका है तो वह यह है कि इस प्रकार की चर्चा हो जाने के बाद हम इस प्रकार की कार्यवाही करें कि जिससे हाउस में आयन्दा चर्चा का यह विषय दूसरी बार नहीं आये । इतना असर होना चाहिए, डिबेट का असर होना चाहिए । जब तक यह नहीं होता है तब तक इस हाउस में आकर गवर्नमेंट की तरफ से जवाब दें और बार बार आरोप होता है । वह बात सिद्ध होने के बाद जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह मामला ठीक नहीं बैठता है । अतएव श्रद्धेय व्यासजी ने जो प्रस्ताव रखा है वह करते हैं तो वह ठीक तरह से बैठ सकता है ।

शायद कुछ कमजोरी समझें, या कुछ भी समझ लीजिये । पहले चीफ मिनिस्टर का वक्तव्य हो जाता, सदन में उनका वक्तव्य हो जाता कि इन्क्वायरी में इतना२ फैसला हो गया है, फलां साथी यह कह रहा है; तो इस तरह की बातें हो नहीं आतीं और मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव ही नहीं मूव होता और यदि यह मूव होगया है तो सदन का फर्ज है, अब भी फर्ज है कि जिस तरह से शुरू से इस मामले को हैंडल किया है वह सही नहीं है । या तो आप चेलैन्जेज को मंजूर नहीं करने दीजिये और जब आप चेलैन्जेज को मंजूर कर लेते हैं तो वैसी हालत में जो परिणाम आते हैं उनको आपको पेश करना चाहिये । जो हाउस में पत्र पेश किया गया, उसको पढ़ कर सुनाया गया, चेलैन्जेज दिये गये और जब आप उन चेलैन्जेज को मंजूर कर लेते हैं तो छोटी बड़ी रिपोर्ट हाउस के सामने पेश कर देते और हाउस में पास हो जाने के बाद उस पर चर्चा ही नहीं होती । फ्रन्टियर पब्लिकेशन को बाद में ब्लेक लिस्ट किया गया, यदि आप उसको पहले ही कर देते तो कोई शंका ही नहीं होती । जैसा कि श्रद्धेय व्यासजी ने रखा

[श्री भोलानाथ]

है कि आप इन्क्वायरी करके उसकी रिपोर्ट सामने रख दीजिये और मथुरादासजी साहब को इसको मंजूर करना चाहिये। मैं तो यह मानता हूं, जैसा कि कल सदस्यों ने कहा कि गवर्नमेन्ट द्वारा जो सीक्रेट कोड नम्बर रखे गये थे उसका उल्लेख पत्र में किया, इस तरह से कोड नम्बर को हासिल करके बताना कानूनन गलत है। उस पत्र में उसका उल्लेख कर दिया। इतनी बात जरूर है कि जब हाउस में इसकी चर्चा हो गई है, इसको रिग्रेट करना चाहिये, लीडर ऑफ दी हाउस को हाउस में जो कुछ कहे उसके लिए उनको मंजूर करना चाहिये, आयन्दा के लिये परम्परायें कायम करने के लिये, आयन्दा जिन मामलों की जांच हो वह सेटिस्फेक्टरी होती है या नहीं, किसी प्रकार इस तरह की बातें होती हैं, उनको ध्यान देना चाहिये। इस बात को आयन्दा के लिये भी तय कर लेना चाहिये, ऐसे डॉक्यूमेन्ट पेश हों, इस प्रकार की आलोचनायें हों, आपका क्या तरीका होगा, बात बात में लोग चेलैन्ज करेंगे, आलोचनायें करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, इन्क्वायरी करानी पड़ेगी। आप अगर इन्क्वायरी कराके जवाब नहीं देना चाहते, यह बाकायदा तरीके से एक चर्चा का विषय बनेगा और इसका गव्हर्नमेन्ट के ऊपर असर आयेगा, लीडर ऑफ दी हाउस पर आयेगा और डिपार्टमेन्ट के जो मिनिस्टर इन्चार्ज हैं उन पर भी असर आयेगा। इसको इस दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये और मैं उम्मीद करता हूं कि श्रद्धेय व्यासजी ने जो कहा है उसको स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री टीकाराम पालीवाल।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—मैं समझता हूं, १२ बजे बहस समाप्त करके जिसमें माननीय त्यागीजी, माथुर साहब और मेरे उत्तर का समावेश हो सके।

श्री अध्यक्ष:—१५-२० मिनिट का समय दिया जा रहा है।

श्री भैरूंसिंह (वि. सं. १६):—माननीय अध्यक्ष, और भी लोग बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष:—जिन्होंने नाम दे दिये हैं वे बोलेंगे, औरों को नहीं बोलने देंगे।

श्री भैरूंसिंह—मैं कल एब्सेन्ट था। मेरा नाम बोलने वालों में लिख लिया जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष:—Yes, Shri Tika Ram Paliwal.

श्री टीकाराम पालीवाल:— अध्यक्ष महोदय, शायद तीसरी दफा यह प्रश्न इस सदन में आया है। सम्भवतः अध्यक्ष महोदय, आपको भी याद होगा, सदन के दूसरे सदस्यों को भी यह याद होगा कि पिछले सत्र में जब यह प्रश्न आया था और यह प्रस्ताव जो श्री त्यागीजी ने रखा था उस समय मैं भी उन लोगों में से था जिसने यह कहा था कि यह एक प्राइवेट मेम्बर के द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव आना संसदीय परम्पराओं के अनुकूल नहीं होगा और मैंने, जैसा कि और साथियों ने भी त्यागीजी को भी इस बात के लिए राजी कराने में प्रयत्न किया कि वे उस समय इस प्रस्ताव को वापिस ले लें, इस आश्वासन पर कि सदन के नेता स्वयं इसकी जांच करेंगे और यदि उनको प्राइमाफेसी केस मिलेगा

[श्री टीकाराम पालीवाल]

तो यह प्रस्ताव स्वयं लावेंगे। ऐसी धारणा सदन में बनी थी और इसलिये यह प्रस्ताव वापिस हुआ था। खेद का विषय है अध्यक्ष महोदय, उस समय जो एक ओकवर्ड पोजीशन आगई थी उसको किसी तरह से टाला गया और यह आशा की गई थी कि इस प्रकार के गंभीर प्रश्न पर उसकी वास्तविक गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जैसा उचित आचरण होना चाहिये एक सदन के नेता के लिये वैसी कार्यवाही की जायगी। खेद का विषय यह रहा कि छः महीने से अधिक समय समाप्त हो जाने पर भी फिर दुबारा यह प्रस्ताव इस विषय पर उसी रूप में आया कि जिस रूप में पहले आया था जिसे बडे प्रयत्न से वापिस कराया गया था। वर्तमान सत्र की शुरूआत हुए दो महीने से अधिक हो गये हैं और मुझे यहां तक मालूम है कि इस प्रस्ताव का नोटिस कुछ दिनों पहले ही दिया गया। यानी काफी समय तक, त्यागीजी को मैं समझता हूं, इसलिये दोष नहीं दे सकते हम कि उन्होंने कोई जल्दबाजी की हो या उतावलापन किया हो। सत्र के शुरू होने के बाद काफी समय तक सदस्य लोग, और लोग भी, जिनको इस चीज़ का ध्यान था, यह इन्तजार करते रहे कि सदन के नेता इस विषय में उन्होंने जो कुछ इन्क्वायरी की हो, जांच की हो, उसका परिणाम सदन के सामने रखेंगे लेकिन वह आया नहीं और आया तो वह प्रस्ताव ही दुबारा आया। जब प्रस्ताव दुबारा आया तब भी फिर कुछ सदस्यों ने यह जानना चाहा और असल में तो जब प्रस्ताव सामने आया और अध्यक्ष महोदय, आपने उसको एडमिट कर लिया, सदन के नेता की ओर से उसको एडमिट करने के बारे में कोई ऐतराज नहीं किया तो हम लोग थोडे आश्चर्य में पडे, थोडे चकित से हुए कि आखिर यह मामला क्या है? फिर प्रश्न उठाया और मैंने विशेष रूप से जानना चाहा कि आखिर इतना प्रयत्न करके इस प्रस्ताव को एक प्राइवेट मेम्बर की ओर से आने से उस समय टाला था फिर यह क्यों आवश्यक हो कि एक प्राइवेट मेम्बर की ओर से प्रस्ताव आये और उस पर विचार किया जावे। मैंने जानना चाहा कि सदन के नेता को पहले इस विषय में कुछ कहना चाहिये। और मुझे खेद हुआ, जब सदन के नेता ने अनिच्छा जाहिर की, वे नहीं कहना चाहते थे, वे चाहते थे कि पहले सारी बहस हो जाय उसके पश्चात् वे कुछ कहेंगे, वे पहले उस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहते थे जिसकी जांच करने का उन्होंने जिम्मा लिया था और तथ्य प्रकट करने का सदन में जिम्मा लिया था। फिर भी आग्रह करना पडा और मैं उनको धन्यवाद दूंगा उस आग्रह के बाद कुछ तथ्य रखे। वे (तथ्य) कल सामने आये और उन तथ्यों के बाद उन्होंने अपना यह मत भी प्रकट किया कि उनकी दृष्टि में, उनकी निगाह में इस प्रकार की कोई जांच समिति नियुक्त करने का आधार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह सदन के नेता ने कहा। मुझे बहुत खेद हुआ। मेरे जैसे और कितने ही साथियों को भी खेद हुआ। क्योंकि इस स्टेज पर न तो यह प्रस्ताव मांग करता है और न ही सदन के सदस्य इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस स्टेज पर श्री मथुरादासजी ने जो कुछ किया उस विषय में उनको कोई दण्ड दिया जाय।

यह प्रश्न नहीं है। यह किसी की मंशा नहीं है कि उन्होंने जो पत्र लिखा, जितना तथ्य सामने आया, जो कुछ उन्होंने स्वीकार किया उसके आधार पर उनको कोई दंड दिया जाय। ऐसा न कोई प्रस्ताव है और न ही सदन के माननीय सदस्यों का ऐसा मत है। इस समय तो केवल साधारण सी बात जो है वह यह है कि पत्र लिखा गया। पत्र लिखना मंजूर किया जाता है। मंजूर करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। एक माननीय सदस्य ने कहा कि धन्यवाद दिया जाय मथुरादासजी को

[श्री टीकाराम पालीवाल]

कि उन्होंने पत्र का लिखना स्वीकार किया। यह ठीक बात है, उनकी भलमंसाहत थी कि उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन किन परिस्थितियों में स्वीकार किया, किस प्रकार से स्वीकार किया, यह ध्यान देने की बात है। यह नहीं भूलना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि अभी निर्णय कर दीजिये। लेकिन इस सदन में खड़े होकर या बैठ कर जो जांच करते हैं, विचार करते हैं तो हमें अति-रंजित दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये, न विरोध में और न पक्ष में। जिस स्थिति में चीज है उसी प्रकार से देखना चाहिये। जो पत्र सदन की मेज पर रखा गया उसको स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता हो ही नहीं सकता, कम से कम किसी बुद्धिमान आदमी के लिये तो नहीं हो सकता। हम सब यह ज नते हैं कि श्री मथुरादासजी बुद्धिमान आदमी हैं। पत्र टाइप किया हुआ नहीं है, ऐसा नहीं था कि पत्र टाइप किया हुआ हो और हस्ताक्षर बनाये गये हों। सारा पत्र छोटासा था, दो लाइन के उनके हैन्ड राइटिंग में लिखा हुआ था। इसलिये उसको इन्कार करने का रास्ता हो नहीं सकता। उसे स्वीकार करने के अलावा और कोई बात नहीं हो सकती। इन्कारी करने से वे जानते थे कि विकार बढ़ेगा, और अधिक अपराध बढ़ेगा इसलिये उन्होंने बुद्धिमानी के साथ उसे स्वीकार किया। उसके लिये हम उनको धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन एक बात अध्यक्ष महोदय, और है और वह यह है कि इस संबंध में मैंने जो कुछ कहा है सदन में उससे अधिक बातें मैं जानता था। जिस समय यह पत्र सदन में पेश हुआ था उस समय मैंने कुछ जानकारी रखते हुए भी कुछ कहना ठीक नहीं समझा। जो जानकारी मैंने सदन के नेता को बाद में दी अपने पत्र द्वारा वह जानकारी उस समय भी मेरे दिमाग में थी लेकिन उस समय कहना ठीक नहीं समझा। इसलिये ठीक नहीं समझा कि मैं जानना चाहता था कि माथुर साहब क्या कहते हैं इस बारे में और सदन के नेता क्या रुख रखते हैं? उसके बाद अगले दिन १८ तारीख को आपने बयान दिया और पत्र लिखना स्वीकार किया और साथ में यह भी कहा कि समय ज्यादा हो गया था; मैं तो भूल चुका था उसका लिखना भी और जब मेज पर पत्र रखा गया तब जरूर याद आया, रिकलेक्ट किया, मेमोरी को ताजा किया तब याद आया कि पत्र लिखा था। याद आने के बावजूद उनको जरूरत मालूम पड़ी रिटायर्ड डाइरेक्टर आॅफ एज्युकेशन श्री मथुरालालजी शर्मा के पास जाने और उनसे पूछने की कि आपको यह पत्र कब मिला और उनसे जब यह जवाब मिला कि वह पत्र उनको मिला ही नहीं। इस जवाब के बाद उन्होंने अपना जवाब यहां दिया। जिस समय पत्र प्रस्तुत हुआ उनको याद आ गया कि उनका पत्र है उस समय कुछ नहीं कहा लेकिन अगले दिन डाक्टर मथुरालाल शर्मा से बात करने के बाद यह कहा कि यह पत्र पहुंचा ही नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि नहीं पहुंचा तो माथुर साहब को डाक्टर मथुरालालजी से पूछने की क्यों जरूरत पड़ी? १७ तारीख को जिस समय पत्र पेश हुआ उस समय उनको याद नहीं था लेकिन मेज पर रखने पर, देखने पर याद आ गया और याद इतना आ गया कि किस परिस्थिति में पत्र लिखा था, किस को लिखा, गनपत माथुर को लिखा था, पोलिटिकल सफरर था इसलिये लिखा था, मतलब यह कि पत्र के सारे डिटेल्स याद आ गई। लेकिन अगले दिन सदन में कहने से पहले उनको डाक्टर मथुरालालजी से बात करना जरूरी मालूम पड़ा। मेरी यह धारणा है कि उनसे पहले यह तय करना था कि क्या जवाब दिया जाय। जितना बच कर निकला जा सके निकला जाय। इसलिये यह कहना पड़ा कि यह पत्र उनके पास पहुंचा नहीं। कई सदस्यों ने कहा कि यह बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता। महत्व की बात तो यह है कि एक सदस्य को

[श्री टीकाराम पालीवाल]

इस प्रकार का आचरण करना चाहिये या नहीं और उसके विषय में कुछ संसदीय परंपराएं हैं। हमारे देश में ऐसी घटनाएं कम हुई हैं क्योंकि संसदीय संस्थाए भी हमारे देश में अभी चालू हुई हैं। दूसरे देशों में इस प्रकार की घटनाए हुई हैं और उनका उदाहरण आपके सामने रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इंग्लैंड के एक-दो केसेज बताये जांय, इंग्लेन्ड की पार्लियामेन्ट के एक केस का हवाला दिया जाय। मुझे आश्चर्य हो रहा था जब मैं सुन रहा था, एक दो सदस्यों ने कहा हमारे देश में सदस्यों के आचरण के लिये कोई नियम नहीं बना हुआ है और क्योंकि कोई नियम नहीं बना हुआ है इसलिये ऐसी बात नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, नियम नहीं होते हुए भी धारा सभाओं और विधान सभाओं के सदस्यों के नैतिक आचरण का एक माप दंड रहता है और उस माप दंड के अनुसार जो सदस्य काम नहीं करते हैं उनके आचरण की जांच करने का अधिकार सदन को होता है ऐसी मिसाल मौजूद है। जब कि इससे भी कम गलती होने पर सदस्यों ने अपने आप अपनी उन गलतियों के कारण उन्होंने स्वयं त्यागपत्र दिये हैं। इंग्लेन्ड का एक केस मुझे याद आता है। एक केस उसी किताब में है जिस में श्री मुद्गल का केस है। एक दूसरा केस और है जो उस किताब में नहीं दिया गया है लेकिन मुझे याद आता है कि मैंने अच्छी तरह पढ़ा था। उन दिनों में, सन् ४५ के आस पास की बात है, सर विन्सटन चर्चिल इंग्लेन्ड के प्राइममिनिस्टर थे। उनके एक जूनियर मिनिस्टर जो शायद बोर्ड आॅफ ट्रेड के प्रेसिडेन्ट थे उनकी मित्रता हो गई एक व्यापारी से और उस व्यापारी से बात चीत के दौरान में इन्डिस्क्रिमनेशन के कारण जानबूझकर सिफारिश करने या उनको फायदा पहुंचाने की वजह से नहीं लेकिन बातचीत के दौरान में कुछ बात, कुछ जानकारी उनके मुंह से निकल गई जिसकी वजह से उस व्यापारी ने लाभ उठा लिया, चीटिंग या धोखाधड़ी से नहीं लेकिन कन्ट्रोल का जमाना था इसलिये उसने व्यापार में लाभ उठा लिया। यह मामला प्रकट हुआ कि आखिर उस व्यापारी ने पहले से इस प्रकार के सौदे कैसे कर लिये, उसकी जांच हुई और जांच करने वाले वकील का नाम है सर हार्टले जो बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने केस को कंडक्ट किया, बल्कि इन्क्वायरी हुई और इन्क्वायरी के बाद यह निर्णय हुआ कि स्वयं मिनिस्टर इन्चार्ज ने जानबूझ कर कोई जानकारी नहीं दी और मिनिस्टर इन्चार्ज ने इसकी वजह से कोई लाभ नहीं उठाया फिर भी उनको स्वयं को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उन्होंने असावधानी के कारण ऐसे आदमी से निकट सम्बन्ध होने दिये जिससे कि उनसे बातों बातों में जानकारी प्राप्त करके लाभ उठा लिया। केवल इतना ही फाइंडिंग था और इस पर भी उसने इस्तीफा दे दिया। यह है आदर्श। दूसरा केस इसी पुस्तक में है। लेकिन हिन्दुस्तान में इस वक्त तक निश्चित रूप से अभी एक ही केस हुआ है और वह मुद्गल का केस है।

यह कहा गया और सदन के नेता ने कहा है कि वह केस श्री माथुर के केस के समान नहीं बनता। मुद्गल के केस में स्पष्ट रूप से उसने लाभ उठाया था और यहां लाभ नहीं उठाया। लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह चीज तो इन्क्वायरी से मालूम हुई थी। इन्क्वायरी हुई तभी मालूम हुआ कि मुद्गल ने लाभ उठाया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इंग्लेंड, भारत और दूसरे देशों में संसदीय परम्पराएं संसदों की धारा

[श्री टीकाराम पालीवाल]

सभाओं के एम. एल. एज. के आचारण के मुतल्लिक जो कायम हुई हैं वह सब को मथन करके हुई है और उसको मुद्गल केस में जो परम्पराए दूसरी जगह हैं उनको मथन करके सही रूप में रखी हैं और इसमें यह भी है कि जो कोई भी सदस्य सदन की सदस्यता की हैसियत से कोई ऐसा काम नहीं करेगा जैसे कोई ऐसी सिफारिश नहीं करेगा जिससे उसको स्वयं को लाभ हो या किसी दूसरे व्यक्ति को हो जिसमें वह दिलचस्पी या इन्ट्रेस्ट रखता है। इसके एक भाग को मानलें और दूसरे को नहीं मानें, यह नहीं हो सकता। यह ठीक है कि मुद्गल के केस में जो पहला भाग है उसको स्वीकार करते हैं उसको स्वयं को लाभ उठाना। जिससे यह मालूम है कि स्वयं लाभ नहीं उठाया इसलिये संसद की इन परम्पराओं को कायम रखने के लिये मैं कहूंगा कि सार्वजनिक जीवन के स्तर को ठीक रखने के लिये कांग्रेस के नेता और सारे देश के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं प्रस्ताव किया कि मुद्गल के खिलाफ कमेटी बिठाई जावे। शुरू में कोई यह प्रस्ताव नहीं किया कि उनको कोई दंड दिया जाए। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि इन्क्वायरी कमेटी बिठाई जावे जो सारी परम्पराओं और तथ्यों पर विचार करके और सब चीजों को ध्यान में रख कर कमेटी अपना निर्णय दे कि क्या होना चाहिये। एक कमेटी नियुक्त की गई। पं. नेहरू के प्रस्ताव पर इस कमेटी ने पूरा अवसर मुद्गल को सफाई देने का दिया और यह मानना चाहिये कि मुद्गल ने स्वयं कभी इस कमेटी का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा, ठीक है जांच हो जावेगी और अगर कोई दोष पाया जावेगा तो उसके अनुसार मेरे साथ व्यवहार किया जावे। किसी मित्र ने भी इस प्रकार की जांच का विरोध नहीं किया क्योंकि जांच का विरोध करना असल में मित्रता नहीं और गलती थी उसको ज्यादा गलती में रखना था। जांच हुई, जांच कमेटी में संसद के तीन सदस्य थे और वे ऐसे सदस्य थे जिन पर कोई भी पक्षपात का आरोप नहीं लग सकता। निष्पक्ष लोगों की समिति कायम की गई। उस कमेटी ने ठंडे दिल से बिना किसी पक्षपात के पक्ष या विरोध में जो २ तथ्य प्राप्त हुए उनका संग्रह किया और जिनके खिलाफ आरोप थे उनको अपने विचार रखने का पूरा अवसर दिया और सब कुछ करने के बाद वह इस निर्णय पर पहुंचे कि उन्होंने मर्यादा को भंग किया और यह रिपोर्ट उन्होंने सदन के नेता को दे दी। सदन के नेता ने इस आधार पर सदन के सामने प्रस्ताव रखा कि चूंकि उन्होंने मर्यादा को भंग किया और संसद के सदस्य के योग्य आचरण नहीं किया इसलिये इनको निष्कासित किया जाए।

एक बात मुझे और याद आती है, संभवतः मुद्गल ने इससे पहले त्यागपत्र दिया हाउस से लेकिन वह उस समय दिया जब उनको मालूम हो गया कि तहकीकात पूरी हो गई है और निर्णय तुम्हारे खिलाफ संभवतः हो सकता है। लेकिन उनका त्यागपत्र मंजूर नहीं किया गया और उनको निष्कासित किया गया। वह इसलिये कि आगे परम्परा कायम करने के लिये कि इस प्रकार की मर्यादा भंग करने की बात को बहुत नर्मी से नहीं देखा जाता। जो मर्यादा भंग करते हैं उनके प्रति दृढ़ता और न्याय से देखा जावे। शक्ति के साथ नहीं देखा जावे, मगर बहुत नर्मी के साथ भी नहीं देखा जाना चाहिये। उनके साथ न्याय और दृढ़ता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होना चाहिये करना चाहिये। यह परम्परा और आदर्श पार्लियामेंट ने और प्राइममिनिस्टर ने हमारे सामने रखी है।

यह हमारे लिये सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा नहीं हुई और इसके साथ २ दुर्भाग्य की बात यह है कि यह दूसरी घटना राजस्थान में हुई, यह राजस्थान के

[श्री टीकाराम पालीवाल]
लिये दुर्भाग्य की बात है । मैं तो यह कहूंगा कि इससे ज्यादा कलंक की बात यह होगी कि यदि हम इस घटना को आंख बन्द करके, अपनी आत्मा का हनन करके जो व्यवहार सदन को करना चाहिये नहीं करेंगे तो हमारे लिये इस प्रकार की घटना का कलंक लगा है वह कलंक चौगुना, दस गुना हो जायगा, अगर हम इसकी तरफ सही तौर से कदम नहीं उठाएंगे और देखेंगे । इन सब चीजों को सोच कर यह आशा की थी कि सदन के नेता का यह उत्तरदायित्व है कि वह इस प्रकार की चीजों में पहले पहल करने का साहस करे और यही सोचकर मैंने पहले सत्र में इस बात पर जोर दिया था कि प्राईवेट सदस्य इसको पेश न करें और विरोधी दल के नेता आदि के कहने पर इसको वापिस ले लिया गया कि सदन के नेता जो उचित समझें करें। लेकिन खेद की बात है कि उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं। लेकिन नहीं करने के साथ २ उन्होंने कोई भी चीज सदन में दो महीनों के दौरान में सत्र चलता रहा, मगर नहीं बताया कि क्या किया गया? उन्होंने जांच के नतीजे को सदन में बताने का साहस नहीं किया। इससे मुझे और दूसरे सभी लोगों को यह लगता है कि जो कुछ तथ्यों का संग्रह किया उससे उनके दिल में यह मालूम हो गया कि चीज तो गलत है और ऐसी चीज है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता, ऐसी चीज है जिसको सदन के सामने ला कर यह नहीं कह सकते कि इसमें कुछ नहीं रखा है । और इसीलिये वे चुप्पी साधे रहे । जब यह प्रस्ताव आया तब तक उन्होंने जितना उनसे टल सकता था, जितनी देर लगती थी जवाब देने में उतनी देर लगाई, उन्होंने उसका जवाब देने में पीछे हटने की चेष्टा की। उस समय उन्होंने कुछ कहना पसन्द नहीं किया। हम लोग यह चाहते थे और हम यह आशा करते थे मुमकिन है वे सही नतीजे पर पहुंचे हों और पहुंच सकते थे। यदि सदन के नेता उस समय सही चीज रख देते और सही तरीके से रख देते तो इस प्रकार प्राइवेट मेम्बर्स के प्रस्ताव की नौबत ही न आती और इस प्रकार सदन के माननीय सदस्यों को और हमारे दल के सदस्यों को दुविधा में नहीं पड़ना पड़ता । जब हमने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने कुछ तथ्यों को हमारे सामने रखा । उन्होंने उसमें यह बतलाया कि उनकी दृष्टि से यह कोई चीज नहीं है । मैं निवेदन करूंगा, बहुत ज्यादा लम्बी बहस में या बारीकियों में जाने की, मेरिट्स पर जाने की यहां आज स्थिति नहीं है, यह मौका नहीं है मेरिट्स में जाने का। सदस्यों को जो इसमें इतना समय लगा है अध्यक्ष महोदय, उसकी जिम्मेदारी सदन के नेता पर आती है। जो काम उनको करना चाहिये था वह उन्होंने पूरी तरह से नहीं किया । उन्होंने स्वयं ने इसकी बारीकियों में न जाकर, तफसील में न जाकर केवल एक चतुर वकील की तरह से शुरू से ही सफाई पेश करना शुरू कर दी इसलिये दूसरी ओर से अगर तफसील में बातें की तो उन्हें अस्वाभाविक नहीं कहा जासकता । बहुत अस्वाभाविक होते हुए भी अगर मुझे भी कुछ बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ा जिनको मैं समझता हूं इस स्थिति में नहीं कहा जाना चाहिये, वह भी विवशता वश कहनी पड़ी ।

दो तीन बातें हैं जो मोटी मोटी हैं और जो बहुत साफ भी हैं । पहली बात तो यह कि पत्र का लिखा जाना बहुत साफ है जिसको स्वयं माथुर ने स्वीकार किया और यह भी साफ है कि जैसा कि मुद्गल के केस में श्रीमती दुर्गाबाई ने जो शिफारिशें की जो कल यहां पढ़कर सुनाई गई उसमें इस प्रकार का पत्र लिखना भी विधान सभा के सदस्य के आचरण के विरुद्ध है । यह इतनी साफ बातें है जिनमें किसी की दो राय नहीं हो सकती । रही बात यह कि उनको आर्थिक लाभ हुआ या नहीं और उस पत्र के कारण किताबों के सिलेक्शन पर प्रभाव पड़ा या नहीं, ये दोनों ही ऐसे प्रश्न हैं जो बारबार दोनों तरफ से कहे गये ।

१० श्री मथुरादास माथुर के पत्र विषयक श्री वेदपाल त्यागी के प्रस्ताव पर वाद-विवाद

[श्री टीकाराम पालीवाल]

एक तरफ से यह कहा गया कि पत्र का प्रभाव कोई नहीं पडा और सदन के नेता ने जो रिपोर्ट पढ़कर सुनाई कि किस स्टेज पर क्या क्या हुआ जो उन्होंने विस्तार से सुनाई और सदन पर यह प्रभाव डालने का प्रयत्न किया कि जो सिलेक्शन हुआ वह स्वतंत्र रूप से और निर्दोष हुआ है और यह जो पत्र लिखा गया उस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनको इस बात का कोई सुबूत नहीं मिला कि इस चीज से श्री माथुर को किसी प्रकार का आर्थिक लाभ हुआ हो। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए हम यह भूल रहे हैं, हम लोग इतनी बातें कहकर भी यह कहना चाहते हैं क्योंकि कोई लाभ नहीं हुआ, लाभ पहुंचाने का सुबूत नहीं मिला, इस पत्र से सिलेक्शन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडा इसलिये जांच की जरूरत नहीं तब भूल जाते हैं इस बात को कि इसका निर्णय करना कि सिलेक्शन पर इसका प्रभाव पड़ा या नहीं और सिलेक्शन पर प्रभाव पड़ा तो कितना, अगर किसी को अनुचित लाभ हुआ है तो वह कितना हुआ, किस को हुआ, कैसे कैसे हुआ, इन सब बातों की जांच करने का काम सदन के नेता का नहीं। यह काम तो विस्तार से निर्णय करने का है, यह काम तो उस कमेटी का करने का था जिस कमेटी की नियुक्ति के लिये सदन के नेता को स्वयं को प्रस्ताव करना चाहिये था. अगर वे ऐसा प्रस्ताव करते तो उन्हें इस प्रकार अपना निर्णय देने की जिम्मेवारी न लेनी पड़ती। इसलिये आज जो बातें कही गईं वे बातें सदन में कहने की आवश्यकता न पड़ती। अभी अभी एक माननीय सदस्य ने कहा और उन्होंने श्री माथुर की बहुत प्रसंशा की, कई बातों में श्री माथुर प्रशंसा के पात्र हैं मैं भी उनकी कई बातों में उनकी प्रशंसा करता हूं, उन साथी ने यह भी कहा कि इसमें श्री माथुर का इतना दोष नहीं जितना कि सदन के नेता का है। मुझे माफ किया जाय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता ऐसा है उनका दोष हो या न हो लेकिन मुझे सदन के नेता के व्यवहार के बाद तो यह शंका और आशंकायें होने लगी हैं कि सदन के नेता की दिलचस्पी जरूर है। ठीक कहा था मेरे मित्र श्री यादव ने। उन्होंने इस बात को बहुत संजीदगी के साथ कहा और दूसरे सज्जन ने उसी बात को जैसा उनका तरीका है बोलने का वे उसी तरीके से बोले, थोड़े हंसते हुए इसलिये शायद उसको गंभीरता से न लिया जाय किन्तु श्री यादव ने बहुत संजीदगी के साथ कहा। मैं यह मानता हूं और यदि दूसरे माननीय सदस्य भी यदि संजीदगी के साथ सोचेंगे तो वे भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो तथ्य सामन आये हैं सामने ही नहीं बल्कि जितने तथ्य स्वीकार किये गये हैं माथुर द्वारा उन तथ्यों के आधार पर यह जांच होनी चाहिये। इस जांच के लिये प्रस्ताव करना सदन के नेता का स्वयं का कार्य था। मैं श्री यादवजी की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि यह नहीं हुआ, यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है। अगर सदन के नेता की तरफ से यह नहीं हुआ तो मैं यह सदन के माननीय सदस्यों से पूछता हूं कि अगर सदन के नेता अपनी जिम्मेदारी छोड दें तो क्या माननीय सदस्य भी अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देंगे, अगर ऐसा करते हैं तो इससे अधिक दुर्भाग्य की बात हमारे लिये क्या हो सकती है? आज हमारे सदन के नेता को इस समय सदन का नेता होने का सौभाग्य प्राप्त है, वे किसी भी कमजोरी के कारण अपने इस कर्त्तव्य को ठीक प्रकार से निभा नहीं पा रहे हैं जो उनको निभाना चाहिये तो क्या यह सौगुना हमारा दुर्भाग्य नहीं हो जायगा कि जो वे अपनी कमजोरी के कारण नहीं कर पा रहे हैं; सदन के सदस्य भी अपने कर्त्तव्य से परे हो जांय, क्या सदन के सदस्य भी अपनी जबान पर ताला लगालें, अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दें। उनको तो चाहिये यह कि अगर कोई जिम्मेदारी सदन के नेता निभाने के लिये तैयार नहीं हैं तो वे खुद अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक रहें। उनको यह नहीं सोचना चाहिये कि जो कर्त्तव्य सदन के नेता नहीं कर रहे हैं वह हम क्यों करें?

[श्री टीकाराम पालीवाल]

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि आप स्पष्ट रूप से निर्णय लीजिये। इसमें दो बातें हो सकती हैं या तो हम अपने नये आचरण का मापदण्ड कायम करें, ईमानदारी का नया मापदण्ड बनावें कि इस प्रकार की सिफारिश करना या अनुचित लाभ किसी को पहुंचाना यह उचित है इस प्रकार का निर्णय कर दें। हाउस अगर यह नहीं करता है तो मुझे खेद है सदन के नेता और श्री माथुर के समर्थक जो कई कई बार बोले और खास तौर से सदन के नेता जिनकी बहुत बडी जिम्मेदारी है दो तीन-दफा इस विषय पर यहां बोले। पिछले सत्र में भी यह बात आयी थी उस समय भी बोले और इस सत्र में भी बोले। उन्होंने तथ्यों को उलट फेर कर तो बातें अवश्य कहीं किंतु इस बात को कहीं नहीं कहा; यह चीज जो हुई गलत हुई। यह तो वे कह सकते थे कि जो यह चीज हुई गलत हुई, अनुचित हुई, सदस्य के योग्य नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बार भी इस प्रकार की बात नहीं कही। अगर वे ऐसा कह देते तो दूसरा ही प्रभाव होता सदन के सदस्यों पर और आम जनता पर, लेकिन ऐसा एक दफा भी उन्होंने नहीं कहा। जिन्होंने इतनी बात तक नहीं कही, आज वे इस बात का हठ करते हैं कि इन्क्वायरी कमेटी की जरूरत नहीं।

मुझे यह अच्छी तरह से याद पड़ता है कि जिस सत्र में यह मेटर पेश हुआ उसी सत्र में मुझे कम से कम यह याद पड़ता है कि श्री माथुर ने यह कहा कि इस मामले में इन्क्वायरी हो जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं; इस प्रकार का कथन उनका उतना ही श्रेष्ठ था जितना कि श्री मुद्गल का था इन्क्वायरी के संबंध में। जितनी भलमन्साहत का परिचय श्री मुद्गल ने इन्क्वायरी के लिये दिया उससे किसी कदर भी कम भलमनशी का परिचय इक्वायरी कराने में श्री माथुर ने नहीं दिया। यह बात उस सत्र की है जब कि यह मेटर सदन के सामने पेश हुआ, लेकिन सदन के नेता ने इन्क्वायरी के बारे जो उन्हें स्टेंप लेना चाहिये था नहीं लिया।

यह हमने गडबडी की, इसलिये यह सारा समय लगा, बदमजगी आई, आलोचनाएं हुईं और बदगुमानी आई। इसका अब कारण क्या है? और इससे कई चीजें और आगे आती हैं। जैसा एक दूसरे सदस्य ने कहा, ऐसी हालत में जब कि श्री माथुर चाहे उन्होंने दिल से कहो या गले से कहो, पर उन्होंने कहा कि एन्क्वायरी का मैं स्वागत करता हूं। जब वे यह कह चुके और उनके इस तरह कहने के बावजूद, इन तथ्यों के सामने होने के बावजूद, मुद्गल के और दूसरे केसों के सामने होने के बावजूद, श्रीमती दुर्गाबाई खोटे के नोट के, जिसमें कि सदस्यों के आचरण के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है उन सबके रहते हुए भी यदि सदन के नेता एन्क्वायरी का विरोध करते हैं तो इससे या तो वे इस मामले पर चुप्पी साधना चाहते हैं या जब बाध्य किया जाता है कुछ कहने को तो वे विरोध करते हैं। तब फिर सचमुच, मैं भी एग्री करता हूं इस बात से कि शिकायत इस प्रश्न को लेकर श्री माथुर साहब के खिलाफ इतनी नहीं रहती जितनी कि सदन के नेता के खिलाफ। इससे इतनी निराशा नहीं होती, जितनी कि हमको निराशा होती है सदन के नेता से। यह होता है कि आखिर यह बात क्या है? यह समझ में आने लायक नहीं है। फिर और चीजें भी साथ में दिखाई देती हैं और वे यह दिखाई देती हैं। कई चीजें ऐसी हैं जिनमें माथुर साहब ने तो साफ तौर से स्वीकार किया ही है कि उन्होंने वह पत्र लिखा। पर कई बातें ऐसी हैं जिनके कारण सदन के नेता भी इस चीज को साफ रूप से सदन के सामने आने नहीं देना चाहते गोकि व्यवहार में जो खराबी थी वह सामने आई, न केवल उसको रोका ही गया, बल्कि उसको और

[श्री टीकाराम पालीवाल]

ज्यादा चालू रक्खा, सहायता करते रहे, मेरी जो कुछ जानकारी है इस विषय में सदन के नेता मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलती कह रहा हूं तो. वह यह है कि यह तो और दूसरे सदस्यों ने भी इशारा किया कि जब सीक्रेट नम्बर मालूम करने पर पांच पब्लिशर्स को ब्लेक लिस्ट किया गया और चूंकि उनमें से कुछ को ब्लेक लिस्ट किया गया इसलिये यह विशेष पुस्तक जो एक जोन में होनी चाहिये थी तीन जोन में रहने का लाभ उनको मिला । जैसा मेरे साथी भोलानाथजी ने कहा कि जिस समय सीक्रेट नम्बर के आउट होने का मामला पुलिस के हाथ में था पुलिस की जांच जारी थी । उस समय और कई लोग तो पकडे गये । असल में ये भी पकड़े जाने चाहिये थे लेकिन ये गणपत माथुर नहीं पकड़े गये । जैसे और लोगों ने सीक्रेट नम्बर मालूम करने की कोशिश की उसी प्रकार श्री गणपत माथुर ने भी की; अब या तो उनने यह नम्बर मालूम किया या उनके किसी हितचिन्तक, शुभचिन्तक या जो उन्हें लाभ पहुंचाना चाहते थे उन्होंने मालूम किया, पर वह सीक्रेट नम्बर उनके पास था । उन्होंने श्री माथुर से चिट्ठी लिखवाई और इसका लाभ उठाया । यह तथ्य अगर उस पुलिस एन्क्वायरी के मौके पर मालूम हो जाता तो निश्चित रूप से श्री गणपत माथुर के खिलाफ और उनकी किताब के खिलाफ और उस सीक्रेट नम्बर को मालूम करने में जो जो लोग शामिल थे उन सबके खिलाफ एक्शन लिया जाता या लिया जाना चाहिये था । पर वह चीज मालूम नहीं कि पुलिस की दृष्टि में आई या नहीं, या किसी तरह से आने नहीं दी गई या आने के बाद भी और कोई दबाव चला हो जिससे कि दूसरे साधारण प्राणी तो पकड़े गये हों पर ऐसे अपराधी को कि जिसकी कोई पहुंच थी वह नहीं पकडा गया हो । ऐसा भी होता है । ४ चोर चोरी करते हैं तो तीन तो पकड लिये जाते हैं पर एक किसी प्रभाव के कारण बच जाता है । तो इसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह मालूम नहीं । कम से कम यह होता, अगर श्री गणपत भी उस समय पकडे जाते तो वे तो हो सकता है बच जाते पर उनकी किताब तो ब्लक लिस्ट जरूर हो जाती, और दण्ड उन्हें चाहे मिलता या नहीं; पर उस समय यह मालूम नहीं हुआ । इसके बाद १७ मार्च, ५५ को यह चिट्ठी से सदन को मेज पर रक्खी गई और उसका लिखना भी श्री माथुर द्वारा स्वीकार किया गया । वह नम्बर एक गुप्त नम्बर था । यह सरकार को और उस समय के मुख्य मंत्री को जो १७ मार्च को मुख्य मन्त्री के साथ साथ शिक्षामन्त्री भी थे उनको यह मालूम था कि यह नम्बर गुप्त नम्बर था और उस समय सदन में कहा गया था और अगर माननीय मुख्य मन्त्रीजी को ध्यान नहीं रहा है बहुत ज्यादा काम धन्धों में लगे होने के कारण तो जिस सज्जन ने पेश किया था उन्होंने कहा था कि यह गप्त नम्बर था जिसको आउट किया गया जिसकी बिना पर दूसरों को ब्लैक लिस्ट किया गया । यह १७ मार्च, ५५ को सदन में आया । कोई कारण नहीं मालूम होता कि जब कि १७ को यह मालूम हो गया तो १७ को नहीं तो १८ को उसको ब्लैक लिस्ट करने का क्यों नहीं आर्डर हुआ ? जिस कारण से पांच पब्लिशर्स की किताबें ब्लैक लिस्ट हो चुकीं उसी आधार पर इतने स्पष्ट रूप से सदन के सामने जो चीज आई और जिसको कन्फेशन किया गया और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जावे; यह क्या बात है ? यदि थोडी भी तत्परता होती और न्यायरीति से काम करनेकी इच्छा होती तो और एक्शन तो बाद में होते रहते कि माथुर साहब ने कसूर किया या नहीं या किया तो कितना किया, अच्छा किया या बुरा किया, ये चीजें बाद में होती रहती पर पहला जो एक्शन होना चाहिये था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होना चाहिये था वह १७ को होना चाहिये था और १७ को नहीं हुआ तो १८ को होना चाहिये था और वे उस किताब को

[श्री टीकाराम पालीवाल]

ब्लैक लिस्ट करने का ग्रार्डर देते । उसके स्थान पर कोई भी दूसरी किताब लगती । पर यह कहा जावेगा कि उस समय ब्लैक लिस्ट करने के क्या माने ? उस वक्त तो पढ़ाई चालू थी, लड़कों की परीक्षा होने वाली थी । इसलिये उस किताब को ग्राउट करके दो महीने के लिये फिर कोई किताब नहीं दी जा सकती थी । तो ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि यह नहीं हो सकता था, पर यह हो सकता था कि यह ग्रगले सत्र के लिये बन्द कर दी जाती ग्रौर तब से ब्लैक लिस्ट कर देते । ग्रगला सत्र शुरू होता था जुलाई से । १७ मार्च को जब मामला सामने ग्राता है तो उस समय यह ग्रार्डर हो सकता था कि ग्रभी के परीक्षा काल तक तो यह किताब चालू रहेगी क्योंकि मजबूरी है लेकिन ग्रगले सत्र से यह किताब राजस्थान में कहीं भी नहीं रहेगी । ग्रौर ऐसा ग्रार्डर १७ मार्च को हो जाना चाहिये था । हद से हद १८ तक हो जाना चाहिये था । नहीं हुग्रा वह ग्रौर वह ग्रार्डर ग्राज तक भी नहीं हुग्रा । सिर्फ यही नहीं कि यह नहीं हुग्रा, पर इसके बाद एक चीज ग्रौर चालू हुई ग्रौर वह यह हुई ग्रध्यक्ष महोदय, कि जहां तक मुझे मालूम है, मुझे तहकीक मालूम है इसको कोई हटा नहीं सकता । उसके बाद संभवत: मार्च के ग्रंत में, उसी मार्च के ग्रंत में या ग्रप्रेल के शुरू में किसी समय किताबों को नेशनेलाइज करने के लिए एक बोर्ड बैठाया गया । उस बोर्ड के सदस्य ग्रच्छी हैसियत के लोग थे । जनसेवा ग्रायोग के एक सदस्य उस बोर्ड के प्रधान नियुक्त किये गये । मुझे जहां तक मालूम है, यदि मैं भूल नहीं करता हूं तो भारत सरकार के उपशिक्षा मंत्री डा० श्रीमाली भी उस बोर्ड के मेम्बर थे । रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन उस बोर्ड के मेम्बर थे । उस समय डाइरेक्टर ग्राफ इन्स्ट्रक्शन्स भी उसके मेम्बर थे । संभवत: शिक्षा सचिव भी उसमें थे । ग्रौर उन लोगों को यह काम सौंपा गया कि वह किताबों का राष्ट्रीयकरण करें । किस ग्राधार पर करें, यह उनको नहीं बताया गया । बातचीत के बाद मैंने सुना कि यह तय हुग्रा कि बिना किसी ग्राधार को लिये चलेंगे तो किन्हीं किताबों का राष्ट्रीयकरण कर दें तो बोर्ड के सदस्यों ने महसूस किया कि पक्षपात करने का ग्रारोप ग्रायेगा । इसलिये कोई न कोई ग्राधार लेकर चलें । ऐसा बोर्ड के सदस्यों ने सोचा, ग्रौर उन्होंने जो ग्राधार तय किया वह यह बतलाया जाता है कि जिन किताबों के प्रति ग्रधिक से ग्रधिक शिकायतें हों, जो कि ग्रसंतोषप्रद खराब किताबें मानी गई हैं, जो ग्रधिक से ग्रधिक ग्रनुपयुक्त किताबें हैं उनका पहले राष्ट्रीयकरण करना चाहिए ग्रौर इस दृष्टि से वह किया गया । राष्ट्रीयकरण का मतलब यह है कि उन किताबों को बन्द करके उनकी जगह सरकार ग्रपनी तरफ से किताबें लिखकर ही पब्लिश करावे । यह इरादा था ग्रौर उसके ग्रनुसार बोर्ड ने, मुझे संख्या ठीक नहीं मालूम है, १४, १५ किताबों के ग्रासपास छांटी कि यह किताबें ग्रधिक से ग्रधिक ग्रनुपयुक्त मालूम होती हैं, मोस्ट ग्रनसूटबिल मालूम होती हैं, इनमें ज्यादा खराबियां हैं इसलिए १५ किताबों का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए । इन किताबों को बन्द करके इनके स्थान पर इन कक्षाग्रों के लिए सरकार की तरफ से किताबें छप कर निकालनी चाहिए, यह निर्णय लिया उस बोर्ड ने । वह करीब १४, १५ किताबें बताई जाती हैं । ग्रौर ग्रध्यक्ष महोदय, मुझे जो कुछ मालूम हुग्रा है वह यह है कि इन १४, १५ किताबों में यह किताब भी थी । श्री गणपत माथुर की वह किताब जिसके लिए श्री माथुर ने सिफारिश की है वह भी थी ग्रौर उस किताब को सबसे पहले रखा गया था ग्रनुपयुक्त, ग्रनसूटेबिल किताबों के ग्रन्दर । लेकिन फिर यह कहा जाता है, यह सुना गया है कि बोर्ड की यह सिफारिश क्रियान्वित नहीं हुई । क्यों नहीं हुई ? इसलिये नहीं हुई, मुझे बतलाया गया है कि पब्लिशर्स ने फिर एप्रोच किया श्री माथुर के पास, श्री गणपत माथुर तो उनका सहयोगी है ही, उन सारे पब्लिशर्स ने एप्रोच किया ग्रौर पब्लिशर्स

[श्री टीकाराम पालीवाल]

ने कुछ प्रयत्न भी किया और एप्रोच करने के लिए संग्रह भी किया पैरवी करने के लिए । तो फिर उनको यह सलाह दी गई कि अच्छा रिप्रेजेन्टेशन करो । बोर्ड के सदस्यों को यह संकेत किया गया कि इनके रिप्रेजेन्टेशन पर नरमी से विचार किया जाय, और इस संकेत से क्षुब्ध होकर, यद्यपि उन्होंने लिखित में ऐसा किया नहीं लेकिन बताया जाता है, जो उनके निकटस्थ लोग हैं उनका कहना है कि इस संकेत से क्षुब्ध होकर उस बोर्ड के चेयरमैन ने त्यागपत्र दे दिया कि एक बार राष्ट्रीयकरण किया और दूसरी दफा यह कराने की सोचते हैं, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, बोर्ड के चेयरमैन ने त्यागपत्र दे दिया । वह किताब उस साल वहां रह गई और यह कह दिया गया कि एक साल और वह किताबें रहेंगीं ।

(श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन)

और मालूम हुआ कि दुबारा बोर्ड बनाया गया, और इस वर्ष भी उन लोगों के, बोर्ड के सदस्य के ट्रान्सफर के साथ अन्तर हो गया, लेकिन फिर भी वह सर्विस के लोग हैं या दूसरे लोग हैं जिनके ऊपर में कई दफा छींटाकशी करते हैं, बडी लाइटली कह दिया करते हैं उनकी प्रमाणिकता के बारे में तो पिछले साल जब कि किताबों को छांटने का प्रश्न आया तो उन्होंने यही लिखा कि उन्हीं किताबों का राष्ट्रीयकरण किया जाय फिर भी दूसरी बार उस निर्णय को बदल दिया कि एक साल और चला जाय । आखिर क्या कारण है कि यह जो पक्षपात किया जाता है जो अनुपयुक्त किताबों को चलाया जा रहा है, जिन किताबों में इस किताब का पहला नम्बर आता है जिसको शुरू से ही १७, १८ तारीख, १९५५, को ही ब्लैक लिस्ट कर दिया जाना चाहिए था । उस किताब का उन अनुपयुक्त किताबों में पहला नम्बर है उसके साथ यह पक्षपात, यह नरमी, यह उदारता, विद्यार्थियों को नुकसान पहुंचाते हुए क्यों किया जा रहा है ? और करने वाले कौन हैं ? शिक्षा मंत्री, कोई दूसरे नहीं हैं और शिक्षा मंत्री ही इस सदन के नेता हैं । फिर क्या नतीजा निकाला जाय ? इस बात से हम इस नतीजे की ओर पहुंचते हैं । हम लोग इस नतीजे पर पहुंचेंगे, और फिर यह कहा जाय कि नहीं इसकी एन्क्वायरी की जरूरत नहीं है । मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि यह तो फिर सचमुच जो लोग दूसरे कहते हैं कि बहुमत के आधार पर सच्चाई का भी बिल्कुल स्पष्ट दिन दहाडे गला घोंट दें, ऐसी बात है ।

दुनिया में अपराध होते हैं । सभी अपराध पकड़े जाते हैं ऐसी बात नहीं है । बहुत से अपराधों का पता नहीं चलता है । जो अपराध पकड़ा जाता है, जिन अपराधों के बारे में जांच होती है वे सारे के सारे सिद्ध होते हों ऐसी बात भी नहीं है और सबको ही सजा मिलती हो यह बात भी नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि अपराध का सुबूत सामने दिन दहाड़े आता है और फिर हम उसको बचाने के लिये अपने साथियों की आत्मा का हनन करने का दूसरा अपराध दिन दहाड़े करते हैं । मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, कि इन चीजों पर इसलिये नहीं कहना चाहता हूं कि संभवतः कुछ लोग यह समझें, संभवतः माथुर साहब यह समझें कि मैं तो उनसे नाराज रहा करता हूं । तो यहां नाराजी का कोई प्रश्न नहीं है । माथुर साहब का यह मामला है जब भी उतना ही गम्भीर है और किसी और का होता तो भी उतना ही गम्भीर होता । माथुर साहब से विशेष रूप से नाराज होने का कोई कारण नहीं है । यह ठीक है कि मैंने उनको कुछ बरसों से साथी के रूप में कार्य करने वाले के रूप में जाना है,

[श्री टीकाराम पालीवाल]

और इसलिये उनके काम धन्धे से, तौर तरीके से मैं कुछ वाकिफ हूं, और इसलिये मेरी कुछ राय बनी है उनके बारे में जैसी कि और लोगों की बनी है, इसलिए मैं कहता हूं कि यदि कोई बिल्कुल ही ऐसा आदमी होता, जिसके बारे में, जिसके तौर तरीके के ऊपर या दूसरे लोग वाकिफ नही होते तब भी उसका भी मामला होता है तो मैं समझता हूं कि यह कहते कि जांच होनी चाहिये और जांच के बाद यदि अपराध अधिक है तो अधिक दंड दिया जाय और यदि अपराध कम है तो कम दंड दिया जाय । वह दंडनीय होते हुए भी यह सोच सकते थे कि गलती से होगया है, भूल हो गई है ईमानदारी की । उसे भुला सकते हैं, क्षमा करने के योग्य है तो क्षमा भी कर दी जाय । किसी दूसरे के लिए तो यह किया जा सकता है । यह ठीक है कि माथुर साहब के बारे में मैं छपाना नहीं चाहता । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नाराजगी के कारण यह बात कह रहा हूं । मगर मेरा रुख यह है, उसका कारण यह है कि उनसे मेरी पहले की जानकारी है । मेरी राय में माथुर साहब ने पत्र लिखा है, यह कोई एकाकीपत्र नहीं लिखा है, पहला ही पत्र नहीं लिखा है, यह कोई आखरी पत्र नहीं लिखा है ।

मेरी जानकारी उनके बारे में है और दूसरे लोगों को भी है । जब वे शिक्षा मंत्री थे, स्वयम् तब भी उन्होंने इन टेक्स्ट बुक्स के बारे में इस तरह का व्यवहार किया था जिससे उस समय सरकार की बहुत बडी बदनामी हुई थी क्योंकि मैं भी उस सरकार का सदस्य था । मुझे भी खेद हुआ था और अब भी खेद है । यही एक कारण है । मुझे मालूम है जैसा और लोगों को मालूम है क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के पत्र लिखना, इस प्रकार की सिफारिश करना करीब करीब धन्धा बना लिया और बहुत से इस तरह करते रहते हैं । एक प्रमाण सामने आया, सदन के सामने आया तब मैं कहता हूं हमें आखें बन्द नहीं करना चाहिये । उस रूप में माथुर साहब के सारे आचरणों को जानते हुए और इस पत्र को जानते हुए, आंखें बन्द करते हैं तो न केवल, जैसा व्यासजी ने कहा, न केवल प्रजातन्त्र की हत्या करेंगे, प्रजातन्त्र की हत्या करेंगे इस प्रजातन्त्र के सदन में बैठ कर, बल्कि अपनी आत्मा का भी हनन करेंगे । मुझे मालूम है, आज भी मालूम है, माथुर साहब और उनके साथी इस बात के प्रयत्न में हैं कि इस सदन से निर्णय करा लिया जाय कि इस प्रकार के पत्र लिखना तो कोई दोष नहीं है । वे इस बात को भुलाते हैं अपने को सेव करने (बचाने) के लिए वे इस प्रकार से जनतन्त्र की हत्या करना चाहते हैं, माननीय सदस्यों की अन्तरात्माओं की हत्या करना चाहते हैं और इस सदन की प्रतिष्ठा को भंग करना चाहते हैं हमेशा के लिए और राजस्थान पर कलंक लगाना चाहते हैं, अगर वे इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं । मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, पिछले दो तीन दिनों में सदन के कई सदस्यों से बात हुई ।

श्री अध्यक्ष--कितना समय और लेंगे आप ?

श्री टीकाराम पालीवाल--समय तो लगेगा ।

श्री अध्यक्ष--एक घंटा हो गया है आप को बोलते हुए ।

श्री टीकाराम पालीवाल--मुझे १५-२० मिनिट लग जायं, आधा घंटा और लग जाय और पूरी बात कहने की इजाजत दें तो घंटा भर और लग जाय ।

श्री अध्यक्ष--फिर गुलेटीन लग जाय, क्लोजर मव हो जाय ।

श्री टीकाराम पालीवाल:—माननीय अध्यक्ष, में यह जानता हूं कि इस सदन में सदन के नेता की भी यह इच्छा होगी और उनके कई मित्रों की भी यह इच्छा होगी कि इस विषय को जल्दी खत्म करके टाल दिया जाय। यह गंभीर मामला है, इसको जल्दी खत्म करके टालने की कोशिश न की जाय। ज्यादा तो नहीं कम से कम जो लोगों के विचार हैं सदन के सामने आ जाय, जनता के सामने आ जांय, आपके सामने आ जांय जिससे यह तो रहे कि कुछ लोग गलत चीजों को गलत जानते हैं और गलत करते हैं।

(करतलध्वनि)

मैं निवेदन यह कर रहा था अध्यक्ष महोदय, कि इस सदन में सदस्यों में एक प्रकार का आतंक का वातावरण पैदा किया जा रहा है और अलग २ सदस्यों को लेकर भिन्न २ प्रकार से दबाब डाले जा रहे हैं। इस बात का दबाव डाला जा रहा है इस प्रश्न पर जो कि इतना साफ प्रश्न है, उस पर भी वे अपनी इमानदारी से स्वतन्त्र राय न दें, ऐसा प्रभाव डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है और उस दबाव को डालने में अकेले श्री माथुर नहीं हैं इसलिये उनका व्यक्तिगत दोष हल्का हो जाता है, उनके कई साथी उसमें शामिल हैं और काम कर रहे हैं।

श्री हंसराज आर्य—क्या आप भी शामिल हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल—कौन बोले हैं?

श्री हरिकृष्ण व्यास—बहुत से हैं, आप उतावलापन क्यों कर रहे हैं, आप भी हो सकते हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं आपको बतलाना चाहता था, नाम किसी का नहीं बताऊंगा आपको, जिनको दबाया जा रहा है वे डर रहे हैं, दब रहे हैं, उनके नाम लेकर उनको किसी खतरे में नहीं डालूंगा। मेरी स्वयं बातें हुई, दूसरे लोगों की बातें हुई दूसरे लोगों से बातें करते हुए मैंने सुना है। एक सज्जन कहते हैं कि बात तो ठीक है, यह जो कुछ हुआ है गलत हुआ है. यह प्रस्ताव पास होना चाहिये लेकिन क्या करें, अमुक व्यक्ति मेरा सम्बन्धी है, अमुक २ नौकरी पर है, एक को जैसलमेर फेंक दिया, दूसरे को धौलपुर फेंक दिया, मेरा घर ही अस्तव्यस्त हो जायगा। दूसरा कहता है, मेरा अमुक काम अटका हुआ है, कहीं कम्पेन्सेशन का मसला है, कर्ज का प्रश्न है, जमीन का काम है, नौकरी की तलाश में बैठे हैं, स्वयं उम्मीदवार बैठा हूं, दूसरा अपने रिश्तेदारों के लिये उम्मेदवारी कर रहा हूं। यह चीज एक की नहीं कम से कम छः आदमियों से यह जानकारी हुई। कितनी चीजें हुई हैं?

तो मैं निवेदन करता हूं कि इन तरीकों से संभव हो सकता है कि आज बहुमत इस प्रस्ताव के विरोध में ले जांय सदन के नेता, जब लोगों से बात हुई तो मैंने उनसे कहा, जब तुम चाहते हो, तुम्हारी अन्तरात्मा चाहती है कि ऐसा होना चाहिए फिर रुकावट क्या है, क्योंकि यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है, इसमें अपनी अन्तरात्मा के अनुसार कहने में और राय देने में पार्टी का डिसिप्लिन आड़े नहीं आ रहा है, यह पार्टी का प्रश्न नहीं है, कोई व्हिप नहीं हो सकता है, हरएक व्यक्ति स्वतन्त्र राय दे सकता है देना चाहे। फिर किन किन बातों कि अटक होगी? कहा कि कोई काम तो नहीं चाहते लेकिन अमुक स्टेन्डर्ड को यह नुकसान पहुंचा दिया जावेगा। और यह कहा गया, फाईलें मंगाई जाती हैं, केस निकाले जाते हैं, व्यक्तियों

[श्री टीकाराम पालीवाल]

की तरफ इशारे किये जाते हैं और मैं अर्ज करूं कि इस हद तक जाते हैं, इस हद तक अख्तियार कर लिया है रवैया मेरे साथियों ने। मेरे नोटिस में एक मामला आया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के एक सदस्य थे जो कि एक एडवोकेट हैं यहां के, परसों एक साथी मिल गया, उनके सम्बन्ध में सुना था, हमारे मंत्री मंडल के एक सदस्य के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया इसलिए एक मंत्री ने उनको धमकी दी अपमानित किया, आपने हमारे खिलाफ फैसला दिया। मैंने सुना, [illegible] वे मिल गये, मैंने उनसे पूछा कि ऐसा सुना है, यह कहां तक सही है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की।

श्री मोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, क्या यह नो कान्फीडेन्स मोशन मंत्री मंडल के खिलाफ है और क्या उसको अलाऊ किया है ?

(करतलध्वनि, "बैठ जाओ, बैठ जाओ" व "शेम, शेम" की आवाज)

श्री अध्यक्ष—आप रिलेवेन्ट रहें।

श्री टीकाराम पालीवाल—तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथी ? वह आदमी सर्विस में नहीं है, स्वतन्त्र है, एडवोकेट है, उसने पुरे भरे गले से कहा कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ और मैंने निर्णय कर लिया है कि भविष्य में इस प्रकार के किसी ट्रिब्यूनल का मैं सदस्य नहीं रहूंगा।

('शेम शेम' की आवाज)

श्री हरिकृष्ण व्यास—नाम तो बतायें ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—सब जानते हैं, श्री रस्तोगी। वे ट्रिब्यूनल के एक ही नॉन ऑफिशियल मेम्बर थे। जब इस हद तक हमारे साथी जाते हैं तो क्या उन सदस्यों पर भी दबाव नहीं डाला गया होगा ? डा० मथुरालाल, जिनके दो-तीन लड़के सर्विस में हैं, निश्चित रूप से दबाव नहीं डाला गया होगा, डराया नहीं गया होगा। दो-तीन एम. एल. एज. कहते हैं कि अमुक रिश्तेदार हैं, उनको किसी को जैसलमेर भेज दिया जायगा, किसी को बांसवाड़ा भेज दिया जायगा, अमुक का क्या केस निकलवाना है, अमुक का ४०-५० हजार लेना है, उनके दिल में भय है, गलत कैसे इसको मान लें, क्या उनको भय नहीं होगा ?

मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार का दबाव चल रहा है और इस प्रकार का दबाव डालने के अभ्यस्त हैं हमारे कुछ साथी लेकिन मैं उनको यह बतलाना चाहूंगा कि इस प्रकार का दबाव डाल करके चाहे वे यह आशा रखते हों कि इस प्रस्ताव को गिरा दिया जायगा, स्वयं भी नहीं चाहता कि यह प्रस्ताव इस रूप में एक प्राइवेट मेम्बर की तरफ से आवे। प्राईवेट मेम्बर की तरफ से प्रस्ताव का आना ही ठीक नहीं है लेकिन फिर भी वे हिम्मत करके लाये हैं। यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से आना चाहिये था, हमारे नेता की तरफ से आना चाहिये था लेकिन उन्होंने इसे पेश नहीं किया इसलिये किसी दूसरे कान्सस आदमी ने साहस करके सदन के सामने रखा। तो मैं चाहता हूं कि हममें यह तो साहस होना चाहिये इतनी अंतर

[श्री टीकाराम पालीवाल]

में जागरूकता तो होनी चाहिये कि सही बात का समर्थन करें, उसका विरोध तो न करें (हीग्रर हीग्रर) ग्रौर उसका विरोध करने के लिये दूसरों को बाध्य न करें क्योंकि ग्रध्यक्ष महोदय इस प्रकार दूसरे साथियों को बरगलाते हैं, दबाव डाल कर, लालच देकर, धमका कर ग्रौर टिकटों का भय दिखला कर उनको दबाया जाता है। में नहीं कहूंगा कि इसका समर्थन किया जाय या नहीं। मैं "हम" शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा लेकिन मैं निश्चय तौर पर यह कहूंगा कि मेरा मत तो प्रस्ताव के पक्ष में ही जायगा (हीग्रर हीग्रर) लेकिन मुमकिन है कि यह संभव हो सके कि कुछ लोग जो प्रस्ताव को गिराना चाहते हैं, वे संभव है बहुमत बनाने में सफल हो जांय। लेकिन मैं एक बात निवेदन करता हूं वह यह है कि कोई भी बहुमत, कितना ही बड़ा बहुमत चाहे वह सर्वसम्मति से हो जायगा तब भी यदि किसी के दबाव के कारण या मति भ्रम के कारण कई लोग यह कहने लगें कि ग्राज का सूर्य सूर्य नहीं है, दिन दिन नहीं है तो क्या वह दिन नहीं है ? यह भी कोई कहे कि इस कुर्सी का या कुशन का रंग काला नहीं है ग्रौर वास्तव में वह रंग काला है लेकिन किसी के दबाव के कारण यह कहे कि यह रंग काला नहीं सफेद है तो क्या बहुमत के कारण वह सफेद हो जायगा ? क्या बहुमत का यह ग्रर्थ है कि काले को सफेद कहे तो वह सफेद हो जायगा ? यह ग्रसंभव चीज है। यह न हुग्रा है ग्रौर न होगा ही। संभव है कि उनका प्रयत्न थोडी देर के लिये सफल हो जाय, टेम्पोरेरिली सफल हो जाय लेकिन ग्रंत में उसका क्या नतीजा होगा ? मुझे हिस्ट्री का एक इन्स्टान्स याद ग्राता है। बहुत पुरानी रोमन हिस्ट्री की बात है। रोमन सिनेट के एक सदस्य थे, जिनका नाम था लूसियस सरजीनस केटिलिन। वे रोमन सिनेट के सदस्य थे। यह ग्राज से बहुत दिन पहले की बात है, करीब ६० बी. सी. की बात है, लेकिन वह करेक्टर ग्राज तक हिस्ट्री में नोटेड है। नोटेड है ग्रपनी भलमंसाहत के कारण नहीं, लेकिन ग्रपनी गुस्ताखी के कारण। उस शख्स का यह रवैया था कि एक तरफ तो प्रजातंत्र का हामी होकर वह सिनेट का मेम्बर बना ग्रौर वहां ग्राकर बड़े २ सिद्धान्तों की रक्षा करता ग्रौर बड़े २ भाषण देता था ग्रौर दूसरी ग्रौर ग्रपना बहुमत बनाने के लिये सिनेट के दूसरे मेम्बर्स पर किसी न किसी प्रकार का दबाव डालता था। हत्याएं उसने करवाई, एक्सपरसन उसने करवाये, लोगों के बच्चों को उसने उडवाया, कुछ दिन तक तो उसकी खूब चली। सीनेट में उसका ग्रौर उसके साथियों का कुछ ग्रसर रहा। सिनेट पालतू जानवर की तरह उसके नाम पर नाचने लगी। लेकिन ग्रध्यक्ष महोदय सीनेट के निर्जीव लोग जो रोज उससे कांपते थे ग्रौर उसके इशारे पर चलते थे ग्रौर उसके इशारे के ग्रनुसार ही राय देते थे, उसके कहने के ग्रनुसार हाथ उठाया करते थे, ग्राखिर एक दिन उनमें भी जान ग्राई ग्रौर उन्होंने सोचा कि ग्राज यह ग्रादमी टिरेन्ट बनता जा रहा है। उसके सामने जितना सर झुकाते जायेंगे उतना ही यह बलशाली होता जायगा ग्रौर हम कमजोर होते जायेंगे ग्रौर उसका ग्रंत नहीं होगा यदि हम उसका मुकाबला नहीं करेंगे। इसलिये एक दिन, वन फाइन मोर्निंग उन्होंने तय किया ग्रौर उसको इंपीच कर डाला। जिस समय उसको ऐसी ग्राशा नहीं थी उस समय सीनेट ने उसको इंपीच करने की कोशिश की ग्रौर उसको दोषी सिद्ध किया। उसका दोष साबित हुग्रा जिसके फलस्वरूप वह सीनेट से निकाला गया ग्रौर देश से बहिष्कृत किया गया ग्रौर उसका इतिहास खत्म हुग्रा, उसकी टिरेनी खत्म हुई। मैं नहीं कहता कि यहां भी इस प्रकार की बात होने वाली है। यहां इस प्रकार का टाइरेन्ट कोई नहीं हो सकता। लेकिन इस प्रकार की प्रवृत्ति कि दूसरों पर दबाव डाल कर पक्ष में राय ली जाय, यह प्रवृत्ति इस प्रकार की है कि ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती, यह भरोसा ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता ग्रौर जो ग्राज यह समझते हैं कि सत्ता के जोश में इशारा करेंगे वैसा ही होगा क्योंकि लोग

[श्री टीकाराम पालीवाल]

हमसे दबे हुए हैं, उनके रिश्तेदार सर्विस करते हैं, उन पर टिकट न देने का दबाव डाल सकते हैं, इन कारणों से यदि यह विश्वास किया जाता हो कि बहुमत बनेगा तो मुमकिन है बन भी जाय और न भी बने लेकिन आखिर में जो लोग यहां हैं वे मिट्टी के पुतले नहीं हैं, कागज के पुतले नहीं हैं। वे यहां आने से पहले अपनी आत्मा बेच कर नहीं आये हैं। उनमें से एक २ आदमी एक २ लाख आदमियों का प्रतिनिधि है और उनके प्रतिनिधि बन कर वे यहां आये हैं इसलिये वे सोच-समझ कर ही काम करेंगे और दबाव व लालच में नहीं आयेंगे। यह उचित प्रस्ताव है। वह इस भरोसे पर नहीं है जैसा कि बहुमत समझता है वैसी मनमानी नहीं चलेगी और यदि यह प्रस्ताव गिर भी जाता है तो भी यह समझना चाहिये कि कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और सोचने के अनुसार आचरण करें। आपके सारे दबाव, सारी धमकियों के बावजूद और जो लालच आप दिखला सकते हैं उसके बावजूद भी वे दूसरा पक्ष लेंगे, सच्चाई का पक्ष लेंगे और सच्ची बात कहेंगे। यदि यह होता है तब फिर मैं निवेदन करता हूं कि मुमकिन है इधर जीत जावें या आपकी जीत हो सकती है और संख्या के कारण प्रस्ताव हार भी सकता है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस जीत में भी आपकी बड़ी हार हो जायगी क्योंकि मुझे चिन्ता होने लगी है कि उन लोगों की हार बिल्कुल नहीं है जो जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे चिन्ता इस बात की है कि उनकी हार में हमारे दल की हार होगी, डेमोक्रेसी की हार होगी और लोगों का विश्वास उठ जायगा डेमोक्रेसी पर से, लोगों का विश्वास उठ जायगा बहुमत पर भरोसा करने का। इसलिये मैं कहता हूं कि क्योंकि आखिरकार जो सच्ची बात है उसको आप कैसे बदल सकते हैं। पत्र लिखा गया उसको आप नहीं बदल सकते। पत्र डाईरेक्टर के पास सिफारिश करने के लिये लिखा गया इसको आप नहीं बदल सकते, पत्र व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिये लिखा गया इसको आप नहीं बदल सकते। आप इसको भी नहीं बदल सकते कि इस किताब के छपने से कम से कम ५० हजार रु० साल का फायदा हुआ है। यदि इस चीज को नहीं बदल सकते तो इस बात का अनुमान लगाना कि एक आदमी को ५० हजार रुपया साल की जागीर देते हैं तो अकारण देते हैं क्या? आप कहते हैं कि वह आपका रिश्तेदार नहीं है, वह पोलिटिकल सफरर था। जो कि असल में था नहीं, जैसा कि लोग बतलाते हैं। पोलिटिकल सफरर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक हलका सा पत्र निकाला था और उसमें बहुत हलके टाइप के लेख लिखने शुरू किये थे और इस लेख के आधार पर कुछ दिन कस्टडी में रहे थे। यह उनकी पोलिटिकल सफरर की तारीफ है। ऐसे आदमी जो आपके रिश्तेदार और दोस्त हैं उसके साथ ५० हजार रुपया सालाना का फायदा आप दिलाते हैं और यह मालूम हो जाने पर जो एक्शन दूसरों के खिलाफ लेते हैं वह एक्शन इनके खिलाफ नहीं लेते हैं क्योंकि आपको उन पर इतना भरोसा है और उनको आप पर इतना भरोसा है कि दो लाख की जो नई खरीद होती है उसका भी वही सर्वे सर्वा माना जाता है वह इसके लिये सक्यूलर इश्यू करता है। ऐसी हालत में १७ मार्च को एक वक्तव्य दिया जिसमें कहा था कि वह कोई पब्लिशर नहीं है, न कोई डीलर है वह तो पोलिटिकल सफरर था उसको सहायता देने के लिये यह सिफारिश की गई, ऐसा माथुर ने कहा। मतलब यह कि फ्रन्टियर पब्लिकेशन का जन्म उसी वक्त से हुआ पहले नहीं था। वह कोई बुकसेलर नहीं है लेकिन किताबें छपवाने के लिये फ्रन्टियर पब्लिकेशन से तय किया। यह उसकी हैसियत खुद आप बतलाते हैं। जब आप उसकी इस प्रकार की हैसियत बता रहे हैं तो उसी आदमी को दो लाख की खरीद के लिये आप उसको एजेन्ट मुकर्रर कर रहे हैं।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

यह तो व्यवहार चल रहा है। इसमें सदन के नेता और माथुर साहब दोनों के दोनों मिल कर इस हद तक इस आदमी का साथ दे रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं और जिसकी कोई हद नहीं बताई जाती। जिसकी हैसियत बहुत छोटी बताई जाती है। तो सारे के सारे लोग इसमें अन्दाज लगावें कि ५० हजार रुपये साल की आमदनी है और दूसरी हजारों रुपयों की आमदनी सरकार के द्वारा उसको होती है क्या वह एक साधारण पालिटिकल सफरर जो मामूली बुकसेलर नहीं था उस हजारों रुपयों की आमदनी को हजम कर सकता है। इससे लोगों को शक होता है। लोगों को शक होता है उसका तो क्या इलाज है? लोगों के दिमाग का कैसे रोकेंगे? उनको रोकने का कोई तरीका नहीं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि मुमकिन है आप बहुमत के आधार पर इसको हरा दें। मगर फिर लोगों के दिमाग में एक विचार-धारा चलेगी। लोग अनुमान लगावेंगे कि यह सही हो सकता, कई लोग कहेंगे कि यह गल्त हो सकता, तो कई लोग कहेंगे कि यह सही हो सकता है। ५० प्रतिशत इसको गल्त कहें तो ५० प्रतिशत इसको सही मानेंगे और यदि कहीं ७५ प्रतिशत सही मानेंगे तो २५ प्रतिशत गल्त मानेंगे और कहेंगे कि गल्त हो सकता है। इसका नतीजा जनतन्त्र में क्या होगा, लोगों का विश्वास जनतन्त्र से हट जाएगा, हमारे दल की नैतिकता से लोगों का विश्वास हट जाएगा। हमारी इस हानि का कोई इलाज नहीं। आज बहुमत के बल पर जीत जावेंगे मगर इस प्रकार की जीत में भी बहुत बड़ी हार हो जावेगी, आप लोगों की और हमारे दल की।

(घंटी)

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता से आपके द्वारा अपील करना चाहूंगा कि आज आपको नेता होने का सौभाग्य है, आज आपको सौभाग्य है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर होने का, आज आपको सौभाग्य है कांग्रेस दल, जिसका बहुत पवित्र त्याग है उसके नेता होने का, वे इस जिम्मेदारी को ठीक तरह से समझें और इस पर अच्छी तरह से आचरण करें और मैं समझता हूं कि इसका यही तरीका है कि वे इस इन्क्वायरी से झिझक नहीं करें। हो सकता है श्री माथुर इस इन्क्वायरी के बाद निर्दोष साबित हों, उसके बाद यह पाया जावे कि यह कोई बड़ा दोष नहीं है यद्यपि रिकमन्डेटरी लेटर पहुंचाया है लेकिन यह कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है। यह भी हो सकता है कि इन्क्वायरी में और ज्यादा मामला मिले, कई चीजें जो अभी तक आपके सामने नहीं आई हैं और आवें। जैसे यह बात अब तक कोई सामने नहीं आई कि इसमें कमाई जरूर हुई। इसमें से इस लाभ का सारा का सारा लाभ गनपत माथुर को मिला या उसमें और कोई हिस्सेदार है। यह एक इन्क्वायरी का प्रश्न है। यह तो इन्क्वायरी का विषय है। मैं समझता हूं कि इन्क्वायरी से बहुत सी बातें सामने आ सकती हैं, कई कागजात पेश हो सकते हैं। असल में तो जिस प्रकार का तरीका सदन के नेता ने अख्तियार किया उसको देखते हुए शायद कई लोग उनके सामने इमानदारी से पूरे तथ्य रखना नहीं चाहते। क्योंकि शुरू से उनका रुख निष्पक्ष मालूम नहीं पड़ा और आज भी नहीं पड़ता। वे अंतिम रूप से कह दें कि मैंने जांच कर ली और उसमें उनको कुछ मालूम नहीं होता। इसलिये यह हो सकता है कि लोगों ने उनके सामने तथ्यों को नहीं रखना चाहा हो। अगर निष्पक्ष कमेटी बैठे तो हो सकता है कि तथ्यों को उसके सामने रखे जिसको उन्होंने आपके सामने रखने की आवश्यकता और लाभ नहीं समझा हो।

इसलिये इसमें मुख्य बातें दो आती हैं। एक तो इस किताब को सिलेक्ट करने में व दूसरा इस सिफारिश का कोई असर हुआ या नहीं और आया वह किताब अपने आप मेरिट पर इन सिफारिश के

[श्री टीकाराम पालीवाल]

बावजूद भी पास हुई। फिर भी यह हो सकता है जैसा कि सदन के नेता ने कहा कि सिलेक्शन के कई स्टेजों पर अलग अलग रायें हुईं। रिव्यूवर ने एक किताब को पहले नम्बर पर रखा था, उस पर नहीं रखा और दूसरी को उसके नम्बर पर रखा। हैड रिव्यूवर ने उसको एक नम्बर पर से हटा कर दूसरे को एक पर रख दिया। फिर बताया कि सिलेक्ट कमेटी ने अपनी राय और भी बदल दी। जो पहले नम्बर की किताब थी वह बिल्कुल नहीं रही और दूसरे नम्बर की किताब को पहले नम्बर पर कर दिया। कहने का मतलब यह कि भिन्न भिन्न रायें हैं। मैं यह मानता हूं कि वे भिन्न भिन्न रायें स्वतन्त्र रायें हो सकती हैं। मैं भी इसको मानता हूं और आप भी मानिये और दूसरे भी कई इस बात को मानेंगे। लेकिन संभावना इस बात की है, मैं नहीं कहता कि यह निश्चय है कि इस पुस्तक के बारे में जो राय बनी वह सिफारिश के कारण बनी। मैं नहीं कहता कि सिफारिश के कारण बनी, लेकिन संभावना इस बात की है और कोई इस बात की जांच करके निर्णय करे कि सिफारिश ने इसमें अपना काम किया या नहीं। इसके कई तरीके होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि सदन के नेता ने नहीं अपनाये होंगे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा यह किया होगा कि रिव्यूअरों की रिपोर्ट पढ़ली होगी और ज्यादा से ज्यादा यह किया होगा कि जिन सज्जन के नाम सिफारिश की उनसे बात की होगी और उन्होंने निश्चित रूप से यही जवाब दिया होगा जब उनसे पूछा गया होगा कि आपने स्वतन्त्र रूप से अपनी राय दी या सिफारिश से; तो उन्होंने यही जवाब दिया होगा और देना चाहिये कि मैंने स्वतन्त्र रूप से किया, सिफारिश से नहीं। मगर इस चीज को दूसरे तरीकों से जांचा जा सकता है। जितनी किताबें फर्स्ट क्लास के लिये आईं निश्चित रूप से वे सब डिस्ट्रोय नहीं की गई होंगी। उनके मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद होंगे। अगर कोई कमेटी जांच के लिये मुकर्रर की जावे तो वह इसकी जांच कर सकते हैं। आप चाहें तो साहित्यिक लोगों की इसमें सहायता ले सकते हैं, आप इसमें विशेषज्ञों की सहायता ले सकते हैं जिनका राजस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं हो। ऐसे आदमियों से जांच कराई जावे जिन पर शंका करने की कोई गुंजायश नहीं है कि वे पक्षपात करेंगे या किसी के लालच में आ जावेंगे। ऐसे लोग राजस्थान में मिल सकते हैं, अगर नहीं मिल सकते तो राजस्थान के बाहर तो जरूर मिल जावेंगे और उनके लिये आवश्यक था कि प्रतिष्ठित आदमियों के सामने इस किताब को दुबारा रख कर उन सब किताबों के साथ उनकी राय लेते। उनसे कहा जाता, आप ही बताइये यह सब चीजें हैं इन चीजों के होते हुए सब से अच्छी किताब कौनसी है? साथ साथ आप यह भी बात देखिये कि जजमेन्ट के एरर से इस किताब को उन दूसरी किताबों के मुकाबले प्रिफरेन्स दिया जा सकता है या नहीं। (घंटी)

श्री अध्यक्ष—I am to tell one thing that the Hon'ble Member has been once the Leader of the House and I have every regard for him but then he has already taken more than one and a half hour and if he wants to speak more that will be taking the time of other members. I request him to wind it up.

श्री टीकाराम पालीवाल—(जारी रखते हुए) मुझे खेद है कि मैं पहले ही इस सम्बन्ध में कह चुका हूं, फिर भी आपकी आज्ञा हो तो मैं यहीं खत्म कर सकता हूं। लेकिन यदि आप मुझे पांच-सात मिनिट और दे सकें तो उपसंहार करके मैं अपना वक्तव्य खत्म कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—Members will have to sit more. I want to finish the motion today.

श्री टीकाराम पालीवाल--(जारी रखते हुए) अब में ज्यादा नहीं कहूंगा थोड़े से शब्द ही कहूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)--माननीय अध्यक्ष, में अपनी जानकारी के लिये क्या यह पूछ सकता हूं कि आपके बाद में और तो कोई बोलने वाले नहीं है?

(सदन में आवाज "हम भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे")

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, कल सदन में यह निर्णय हो गया था कि आज १२ बजे तक सदन चलेगा और उस समय तक यह मोशन समाप्त होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--पहले ये (श्री टीकाराम पालीवाल) अपना भाषण समाप्त करलें, उसके बाद में पोजीशन को एस्टिमेट कर दूंगा।

श्री टीकाराम पालीवाल--(जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, में निवेदन यह कर रहा था कि अगर इस प्रकार की जांच समिति हो तो वह इस प्रकार से जांच हो सकती है कि इस किताब को और इसके साथ की दूसरी किताबों को जो उस समय सिलेक्शन के लिये आई थीं उन किताबों के मुकाबले यह रहने लायक है या नहीं। सब लोग मानते हैं कि जो किताब का सिलेक्शन हुआ सिफारिश के बावजूद अपनी मेरिट से हुआ, उसका सिफारिश का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। रिव्यूअर्स की इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र राय थी। दूसरे पक्ष की यह दलील है कि दूसरी किताबों के मुकाबले यह किताब पहले नम्बर नहीं आ सकती थी, यह किताब सिलेबस के अनुकूल न होने से प्रेस्क्राइब करने के योग्य ही नहीं; पहले नम्बर पर आना तो दूर रहा। तो इसका निर्णय इसी प्रकार हो सकता है कि दूसरे, शिक्षा विशारद, साहित्यिक लोग जो राजस्थान के बाहर के हों, जिनकी ऊंची प्रतिष्ठा हो, जो सन्देह से परे हों उनसे इस बारे में राय पूछी जा सकती है सब किताबों को उनके सामने रख कर। उससे साफ पता चल जायगा कि सिफारिश का किताबों के सिलेक्शन पर असर पड़ा या नहीं। मेरा यह खयाल है कि इस प्रकार की कोई जांच सदन के नेता ने न तो की होगी और न करने की स्थिति में है और न करेंगे।

दूसरी बात और हो सकती है और वह यह हो सकती है लाभ के बारे में। इसके लिये यह कहा जाता है कि इस किताब से कम से कम पचास हजार रुपया सालाना लाभ होता है। जैसे तीन लाख किताबों को एक साल में मेल हुई एक किताब की कीमत सवा पांच आने हैं। तो इस तरह से तीन लाख किताबों की छपाई ज्यादा से ज्यादा २५,२६ हजार बताई जाती है कमीशन को बाद देकर। अगर इतना ही नहीं इससे भी ज्यादा खर्चा मान लेते हैं तो फिर भी ५० हजार का नेट प्रोफिट है इससे अधिक भी हो सकता है। अगर इस पर समिति बैठे तो वह इस बात की छानबीन कर सकती है कि आया इसमें पचास हजार का ही प्रोफिट रहता है या इससे भी ज्यादा सत्तर और ७५ हजार तक भी हो जाता है। उस सम्बन्ध में समिति गनपत माथुर के अकाउन्ट का भी जांच कर सकती है कि उन्होंने इस रुपये को कहां लगाया, वह इस बात की भी जांच कर सकती है कि इतना रुपया किस किस जगह इनवेस्ट किया, शादी विवाह में कितना खर्च किया, दान दक्षिणा में कितना दिया, यह सब जांच कमेटी कर सकती है और फिर उसीसे मालूम हो सकता है कि क्या उन रुपयों में कोई भागीदार तो नहीं है; अगर भागीदार है

Page No.53

[श्री टीकाराम पालीवाल]

तो कौन है ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसकी गहराई में जाकर समिति ही जांच कर सकती है तभी पता चल सकता है कि किसी को आर्थिक लाभ हुआ या नहीं। एक तरफ तो जांच के लिए इन्कार करते हैं तो by implication अपनी complicity स्वीकार करते हैं। सदन के नेता ने न तो इतनी जांच की और न वे इतना कर ही सकते हैं। वैसी हालत में मेरा उनसे निवेदन है और साथ ही प्रजातन्त्र का अनुरोध है कि वे इस बात को स्वीकार करें। इस पर बहुमत से निर्णय नहीं, यह सर्व सम्मति से निर्णय होना चाहिये। सर्व सम्मति से यदि कोई निर्णय होता है तो उसमें सदन की प्रतिष्ठा, अपने दल की प्रतिष्ठा बढ़ती है और साथ में सरकार की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर सर्व सम्मति से निर्णय नहीं होता है और बहुमत से प्रस्ताव पास होता है तो उसमें सदन की तो प्रतिष्ठा रह जायगी किन्तु हमारे दल की प्रतिष्ठा भंग होगी। अगर बहुमत से यह प्रस्ताव गिर गया तो जहां सदन की प्रतिष्ठा खतम होगी हमारे दल की प्रतिष्ठा होगी और राजस्थान की डेमोक्रेसी के लिये भी वह घातक होगा।

श्री अध्यक्ष—कल मैंने माननीय सदस्यों को यह पूछ लिया था कि कौन कौन बोलने वाले हैं। उस समय जिन्होंने बोलने की इच्छा प्रगट की उनके नाम मैंने उसी समय नोट कर लिये थे। उनके अलावा भी मैंने दो-तीन माननीय सदस्यों को आज बोलने का अवसर दिया। बडा आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि आज फिर १२ आदमियों के बोलने की सूची आ गई। अगर यह डिबेट कल भी चली तो फिर पन्द्रह सदस्यों के नाम बोलने के लिये आ सकते हैं। इस तरह से तो बहस का कभी अन्त होने वाला नहीं है; जब कि इस मोशन के लिये केवल एक दिन का समय था, दो दिन दिये गये। मैं समझता हूं वह काफी है।

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष, अगर कोई माननीय सदस्य अपनी राय जाहिर करना चाहे तो आपको उसमें क्या ऐतराज है?

श्री अध्यक्ष—मुझे ऐतराज तो नहीं, लेकिन आखिर किसी चीज की सीमा होती है। जब कल यह तय हो चुका था कि १२ व्यक्ति ही बोलेंगे, उनके अलावा भी मैंने दो-चार माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दे दिया और १४ माननीय सदस्य बोल चुके हैं तथा वे ही बातें रिपीट होती हैं तो इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं।

श्री किशनलाल शाह—अध्यक्ष महोदय, राय के अलावा भी कई माननीय सदस्यों के दिमाग में ऐसे प्रश्न हैं, वे कुछ बातों का स्पष्टीकरण चाहते हैं तो उनके लिये क्या प्रोसीजर होगा, क्या उनका जवाब भी दिया जायगा या उनके लिये कोई अन्य मार्ग है?

श्री अध्यक्ष—Question hour.

श्री किशनलाल शाह—दोनों तरफ के वक्तव्य के सुनने के बाद भी कुछ प्रश्न ऐसे रह जाते हैं जिनका उत्तर देना आवश्यक है। If this is put to vote, and a member on reading both

[श्री किशनलाल शाह]

the sides is not in a position to come to a definite conclusion and he wants to put some querries by way of clarification, in that case what is the way of proceeding with that matter ?

श्री अध्यक्ष--आप आधी हिन्दी और आधी अंग्रेजी में बोले, मैं कुछ समझ नहीं पाया।

श्री किशनलाल शाह--तो मैं अर्ज कर दूं उर्दू में। मेरे दिमाग में कुछ ऐसे प्रश्न हैं। (घंटी)

श्री अध्यक्ष-- कल तो आप यहीं थे। जब मैंने माननीय सदस्यों से यह पूछा कि कौन कौन बोलना चाहते हैं तो उस वक्त आप खड़े नहीं हुए। इसके अलावा आज मैंने १४ माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दे दिया, जो नाम मैंने नोट किये थे उसके अलावा भी; जैसे श्री जयनारायण व्यास आदि को बोलने का समय दिया। अब मैं समझता हूं कि सारे सदन की, इस प्रस्ताव पर जो विचाराधारायें हैं वे सब विचारधारायें आ चुकी हैं। अब ज्यादा समय इस पर नहीं दिया जा सकता।

श्री किशनलाल शाह--अध्यक्ष महोदय, कल जब आपने स्पीकर्स के नाम पूछे थे उस समय मैं खड़ा हुआ था। उस समय, इसके अलावा दूसरा प्रश्न यह था कि एक बजे तक हम बैठेंगे तो उस समय मैं बोलने के लिये तैयार नहीं था। उस समय भी मैंने पोइन्ट ऑफ आर्डर रेज किया था।

श्री अध्यक्ष--मैं इसको बारह बजे खत्म करना चाहता हूं।

श्री गुलाबचंद कासलीवाल--कल मैं अनुपस्थित था, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)--मैं समझता हूं कि कल जिस वक्त चर्चा शुरू हुई थी उस वक्त निवेदन किया था कि कल ही समाप्त कर लिया जावे तो उपयुक्त है। पर आज १२ बजे निश्चित तौर से समाप्त करने के लिये कहा गया। पर अब मुझे लगता है कि दो ढाई तो यों ही बज जावेंगे। इस पर कितनी बहस करते जाइये, कोई नई बात तो सामने आती नहीं है, फेक्ट वही आते हैं जो आलरेडी कह दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में समय ज्यादा रखने से क्या लाभ होगा, यह नहीं समझ में आता। इसलिये समय के लिये कल जैसा ऐलान किया गया था उसी पर अध्यक्ष महोदय, स्टिक करें तो बहतर हो।

श्री अध्यक्ष--मैं तो स्टिक करना चाहता हूं, but I am between two.

श्री हरिकृष्ण व्यास--अध्यक्ष महोदय, कल आपने जब नाम लिये थे बोलने के लिये तो उस समय कैसे यह सदस्य को महसूस हो सकता है कि उनका बोलना आवश्यक नहीं है। पर यहां जो राय अब तक सदस्यों ने व्यक्त की उस पर से अगर किसी सदस्य को यह महसूस होता है कि वह भी अपनी राय जाहिर करे तो फिर ऐसा भी क्या बन्धन कि किसी को बोलने से भी रोका जाय, कन्वेंसिंग तो रात भर से चल रहा है तो फिर मतलब क्या सदन में बहस करने का ? तो इस बोलने के मामले में तो रियायत कर दें और सारी चीजें सामने आने दें। यह पास होगा या नहीं, पर पाबन्दी लगा कर इस तरह से इस बात को तो खत्म करने की कोशिश नहीं करें।

श्री अध्यक्ष--यह पंखा आपके और मेरे बीच में आ जाता है इसलिये आपकी बातों का कोई असर नहीं होता ।

श्री एच० के० व्यास--असर होता या नहीं, पर बात मुद्दे की जरूर कहता हूं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष--(**श्री भैरोंसिंह से**) हां, तो आप बोलिये तीन मिनिट में खत्म करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह--है तो यह मुश्किल । अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जिनको लेकर चर्चा हो रही है उसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, यह समझ में नहीं आया । इस सदन में जब राज-प्रमुख के अभिभाषण के समय यह चर्चा हुई तो उस वक्त सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये थे । उस समय, जिस तरह से अभी जमुआ रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने श्री मथुरादासजी को धन्यवाद देते हुए जो बात कही यदि वही बातें इस समय में कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । मैं उनकी उस बात की सराहना करूंगा कि उन्होंने केवल पत्र लिखने की बात को ही स्वीकार नही किया पर उस दिन आवेश में नहीं बल्कि बहुत सोच-समझ कर इस बात पर भी जोर दिया था कि यदि सदन आवश्यक समझे तो इस मामले की इन्क्वायरी कराली जावे, त्यागीजी यदि आवश्यक समझें तो वे स्वयं इन्क्वायरी करालें, लीडर ऑफ दी हाउस अगर उचित समझे तो वे स्वयं इस बात की जानकारी करके जिस प्रकार का ढंग अपनाना चाहें अपनावें ।

एक तरफ जिस माननीय सदस्य के विरुद्ध यह प्रस्ताव आ रहा है वे स्वयं इस बात के लिये तैयार हैं कि उनकी एन्क्वायरी होनी चाहिये, इसमें उनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। दूसरी तरफ जब कल जोधपुर से आने वाले सदस्य ने कुछ पत्र इस सदन में प्रस्तुत कर इस बात को स्पष्ट किया कि हमारे इस सदन के नेता भी इन्क्वायरी कराने को तैयार थे, इन्क्वायरी कराना चाहते थे और इन्क्वायरी कराने के लिये जोधपुर के माननीय सदस्य से इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहते थे कि कम से कम कौन कौनसी ऐसी फाइलें हैं जिनको देखने के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुँच सकता हूं कि इसमें लाजिमी तौर से घोटाला हुआ है । पर इसके बाद भी माननीय अध्यक्ष, इस सदन में पहले सत्र में जिस वक्त त्यागीजी के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के इस आश्वासन पर उसे वापिस लिया था कि वे इन्क्वायरी करेंगे । तो जहां तीन-तीन बार कमिटमेन्ट होते हैं, लीडर ऑफ दी हाउस की तरफ से दो दो बार कमिटमेन्ट होते हैं जिनके विरुद्ध प्रस्ताव आया उनकी तरफ से और वे स्वयं सहमत हैं तो फिर कौनसी आपत्ति आ गई कि हम फिर चर्चा करें कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये या नहीं ।

मुझे तो ऐसा लगता है कि सदन जानबूझकर सारे घपले में पड़ा है । जब माथुर साहब चाहते हैं कि जांच की जावे, वे इसे पसन्द करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई इसमें आपत्ति नहीं तो फिर कोई कारण नहीं कि हम वह एन्क्वायरी नहीं करें । मैं उनके कुछ शब्दों को जो उन्होंने अपने भाषण में कहे थे, सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

"इस सदन को अधिकार है कि वह इस पर विचार करे, सदन के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे जो करना चाहें करें और अगर हाउस का नेता इन्क्वायरी कराना चाहे तो अवश्य कराए और अगर वह इन्क्वायरी कमेटी बनाकर कराना चाहे तो इन्क्वायरी कराए ।"

[श्री भैरोंसिंह]

मैं समझता हूं कि कमेटी के उस प्रिन्सिपल को जहां उन्होंने स्वीकार कर लिया वहां हम इस पचड़े में क्यों पड़ते हैं कि हम अपनी राय व्यक्त करके उनकी इच्छा में बाधक बनें ? एक तरफ इल्जाम लगाते हैं, एक तरफ सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न आता है । डेमोक्रेसी के कन्वेन्शन का प्रश्न आता है तो उनके ऊपर चुप्पी साधकर उनकी भावना की कद्र नहीं करते हैं तो अन्याय करते हैं मुख्य मंत्री महोदय । उनको चाहिये कि उसी समय जिस समय सम्बन्धित माननीय सदस्य ने अपनी भावना व्यक्त की इन्क्वायरी कमेटी अपोइन्ट करते, पर आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया । इस बात को डेढ़ साल निकल गया । पर फिर भी आज समय है । वे इस कमेटी का निर्माण करके सारी चीजों की इन्क्वायरी करावें । जहां तक इन्क्वायरी करने का प्रश्न है यह कहा जाता है कि यदि इन तथ्यों को लेकर सदन में वह चर्चा की जाती है तो रिपीटीशन होता है । मैं समझता हूं कि इस रिपीटीशन से भी लाभ होगा । यदि माननीय मथुरादासजी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने पत्र लिखा, इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि पोलिटिकल सफरर को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से लिखा तो हमें जांच करनी पड़ेगी कि वह पोलिटिकल सफरर था या नहीं या इसकी परिभाषा क्या है ? यदि उस परिभाषा से भी वह पोलिटिकल सफरर था तो सत्ता के आधार पर राजनैतिक दल के आधार पर जिम्मेदार व्यक्ति के नाते कितना लाभ पहुंचा सकते हैं । राजस्थान सरकार ने पोलिटिकल सफरर को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से नियम बनाये हैं । उन नियमों के अनुसार जो फायदा देना चाहिये उन नियमों का पालन हुआ या नहीं, इसकी किसने जांच की । फिर अगर इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि वास्तव में वह पोलिटिकल सफरर था तो दूसरा प्रश्न आता है कि लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कोई अधिकार अगर किसी को था तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी को था या कांग्रेस दल के चीफ व्हिप को था । इसके बाद अगर इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि किसी जिम्मेदार नेता की तरफ से नहीं, राजनैतिक दल के चीफ व्हिप की तरफ से नहीं, एम. एल. ए. की तरफ से नहीं, बल्कि मुख्य मन्त्रीजी की तरफ से उनको लाभ पहुंचाने का कोई अधिकार उनको दिया गया था तो इसके लिये उनके पास क्या अधिकारपत्र था ? तो अगर वास्तव में नियमानुसार वह पोलिटिकल सफरर थे तो उनको लाभ पहुंचाने का अधिकार और जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर थी, न कि किसी मामूली सदस्य पर । यह भी कहा जावे कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनको आदेश दिया है जिसकी ताईद में उन्होंने यह तजवीज की थी पर अभी तक इस बात का सुबूत इस सदन में नहीं आया ।

यदि यह बात अपना ली जाती है कि हम किसी पोलिटिकल सफरर को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से पत्र लिख सकते हैं और इसके बाद किसी भी अधिकारी को इन्फ्लुएन्स कर सकते हैं तो मैं कह सकता हूं कि फिर राजस्थान में तो गवर्नमेन्ट नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी । इससे तो असेम्बली के मेम्बर रात दिन सरकारी मशीनरी पर इस ढंग से हावी हो जावेंगे कि वे जैसा उन्हें कहें उसी तरह से काम करना होगा और अगर किसी ने उनकी मरजी के खिलाफ कुछ भी अवांछनीय काम करने से इन्कार किया तो उनको इसकी सजा भुगतने को भी तैयार रहना पड़ेगा और इसका नतीजा यह होगा कि जिनका एप्रोच विधान सभा के सदस्यों के पास तक हो सकता है उनको तो न्याय मिलेगा, सरकार से कोई भी काम करा सकेंगे; नहीं तो जिनका एप्रोच विधान सभा के सदस्यों तक नहीं है वे कभी भी किसी भी सरकारी अधिकारी से किसी भी प्रकार से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते । आज इतनी बातें

[श्री भंवरसिंह]

कह कर कि इस पत्र में धरा क्या है, यह कह कर, उस पत्र से उनको किसी प्रकार का गेन नहीं हुआ कह कर, उस किताब के छापने में किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ, उस पत्र का किसी पर कोई असर हुआ यह कह कर एक राय हमारे सामने आई और दूसरी राय यह आई कि पत्र लिखकर और सीक्रेट कोड नम्बर मालूम करके अनुचित काम किया, सरकारी अधिकारी को अनुचित रूप से प्रभावित किया गया; इसकी जांच होनी चाहिये, यह कह कर हमारे सामने दो रायें आई हैं। तो एक तो यह कहते हैं कि मथुरा लाल शर्मा उस पत्र से प्रभावित नहीं हुए, दूसरी बात यह कहते हैं कि वह पत्र उनके पास पहुंचा ही नहीं, पर इसके साथ ही हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने, जो एक जिम्मेदार सदस्य रहे हैं यह कहा कि श्री शर्मा ने इकरार किया है कि उनके पास पत्र पहुंचा। अब हमारा यह कहना कि शर्मा पर असर हुआ या नहीं, या वह पत्र पहुंचा ही नहीं या पहुंचा तो इसकी छानबीन करनी होगी। फिर हमें यह देखना पड़ेगा कि यह पत्र पहुंचा और इस तथ्य को इन्कार किया तो इसमें उनका कोई मैला फाइडी इन्टेशन तो नहीं है। अगर है तो यह मथुरादासजी स्पष्ट कहें। अब वे यह कहें कि इसमें उनका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं था, रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से भी काम यह नहीं किया तो यदि इस मैला फाइडी इन्टेशन को देखें तो या तो मथुरालालजी शर्मा झूठे हैं या माननीय भूतपूर्व मुख्य मन्त्री झूठे हैं। तो मथुरादासजी का मैला फाइडी इन्टेन्शन था। उन्हें यह पता तक था।

अब प्रश्न यह आता है कि मथुरालालजी ने इन्कार क्यों किया। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कही थी, लेकिन यह ठीक है कि इस बात का उनके ऊपर प्रभाव नहीं होता है, तो भी हमको राजस्थान के हित में इस बात की जांच करनी चाहिये कि राजस्थान की युनिवर्सिटी का, एक जिम्मेदार पद पर काम करने वाला व्यक्ति और एक तरफ राजस्थान के भूतपूर्व मंत्री दोनों में सच्चा कौन है, इसका निर्णय करना चाहिये। यदि पालीवाल जी ने झूठ बोला है तो वह सदन से माफी मांगेंगे और यदि श्री मथुरालालजी शर्मा ने झूठ बोला है तो मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि ····· (घंटी)।

श्री अध्यक्ष:—'सच' नहीं बोला, 'झूठ' नहीं।

श्री भंवरसिंह:—सच नहीं बोला है, माननीय अध्यक्ष, तो आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वे युनिवर्सिटी में हैड ऑफ दी हिस्ट्री डिपार्टमेन्ट के हैं, इस प्रकार के उच्च पद पर काम करने वाले हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि जरूरी जानकारी देने के लिये एक व्यक्ति इस प्रकार की गैर उत्तरदायी की बात कर सकता है तो उनकी सारी बातों को देखकर अलग करना पड़े। इस बात का उस समय पता लगेगा जिस समय कि इस बात की एन्क्वायरी करें।

अब प्रश्न यह रहता है कि व्यक्तिगत लाभ हुआ है या नहीं? मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि सदन का कोई सदस्य इस दृष्टिकोण से पत्र लिखे कि मुझे मालूम नहीं था, वैसे ही दे दिया। पत्र लिखकर दिया है, सिफारिश करते हैं। मैं समझता हूं कि उसे आर्थिक लाभ नहीं होगा, मैं यह भी समझता हूं कि उसको राजनैतिक लाभ नहीं होगा, लेकिन एक आदमी को ओब्लाइज किया है तो उस अमुक आदमी के पक्ष में फैसला हो इस दृष्टिकोण को अपने सामने रखकर पत्र लिखते हैं ताकि उसकी प्राप्ति के बाद इन फेवर

[श्री भैरूंसिंह]

फैसला देते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस व्यक्ति के हक में वह फैसला होना चाहिये था, जिस व्यक्ति के हक में न्याय होना चाहिए था, मेरे कागज के दबाव में आकर एक प्रकार का उसके साथ अन्याय हुआ है। राजस्थान विधान सभा के बाहर लोग यह समझेंगे कि राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के प्रति लोग इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य खुले पत्र लिखते हैं और राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में हर प्रकार का इन्टरफियरेन्स कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष, यदि इन्टरफियर करने के पावर्स आते हैं तो यह पत्र उसमें आता है, इस बात के लिए पत्र लिखा गया है। केवल यह सिद्ध किया जाय कि किसी प्रकार से उनको व्यक्तिगत आर्थिक लाभ नहीं हुआ है, तो हमारे पास उसका माप दंड नहीं है। यह हम कैसे कहें कि उसको आर्थिक लाभ हुआ है या नहीं ? उसके लिए एन्क्वायरी करनी पड़ेगी और उस एन्क्वायरी में यह पता लग सकेगा कि वास्तव में आर्थिक लाभ हुआ है या नहीं ? यह भी मान लिया जाय कि उस पत्र के द्वारा आर्थिक लाभ नहीं हुआ है, लेकिन उस पत्र के कारण निष्पक्ष जांच करने वाले के मस्तिष्क में कोई असर हुआ है। यदि असर नहीं हुआ है तो यह निवेदन करूंगा कि जिस दिन मथुरादास जी ने यह स्वीकार किया था कि एक ऐसे आदमी को ओब्लाइज करने की दृष्टि से, एक पोलिटिकल सफरर को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से यह पत्र लिखा है; यह इस बात का अन्याय की तरफ स्पष्ट संकेत है कि वह चाहते हैं कि अन्याय हो। उस चिट्ठी के द्वारा जिस व्यक्ति की सिफारिश की जाती है उस व्यक्ति की किताब का सिलेक्शन होता है और प्रतिवर्ष उसको ५० हजार रुपये का लाभ हुआ है तो यहां आपका मेलाफाइड इन्टेन्शन था। इस बात की आवश्यकता नहीं कि आपने पैसा लिया है या नहीं, वह पोलिटिकल सफरर था या नहीं। यहां मेलाफाइड इन्टेन्शन इस बात से स्पष्ट है कि जो उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है कि वे पोलिटिकल सफरर को ओब्लाइज करना चाहते थे, कोई कानून ऐसा दुनिया में नहीं है कि जिसके जरिये से पोलिटिकल सफरर को ओब्लाइज किया जाय। जिस समय पोलिटिकल सफरर को ओब्लाइज किया गया था उस समय कोई नियम या कायदा नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे, विधान सभा द्वारा पारित कोई एक्ट नहीं था व न उनको इस प्रकार का कोई प्रिविलेज ही था। जब कोई आपको प्रिविलेज नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था, उसके अभाव में पत्र लिखकर ओब्लाइज करना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कानून की खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं, कन्वेन्शन के विरुद्ध काम करना चाहते हैं और आप जिनको पोलिटिकल सफरर कायम किया है उनको ओब्लाइज करना चाहते हैं। वैसी सूरत में निवेदन करूंगा कि यदि हम सारी चीजों में न जायें और उनके कहे हुए भाषण को ही सामने रखें तो इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि दरअसल उनका मेलाफाइड इन्टेन्शन था। उनके मेलाफाइड इन्टेन्शन की जांच करनी चाहिये थी। तो सिवाय इसके कि एन्क्वायरी कमेटी के प्रपोजल को स्वीकार करें कोई दूसरा तरीका हमारे सामने नहीं आ सकता है।

माननीय अध्यक्ष, आज यह कहकर कि यदि सदन में इस बात की चर्चा करके बहुमत से इस चीज को तय कर लेंगे कि मेलाफाइड था या नहीं तो निश्चित रूप से कहूंगा कि सदन आज इस बात पर अधिकृत जरूर है, सदन इस बात पर अधिकृत है कि किसी सदस्य के चरित्र के बारे में, आचरण के बारे में अपना निर्णय ले, पर वह सदन के लिये शोभा की बात नहीं होगी; "आचरण" और "चरित्र" आदि शब्दों की जो परिभाषा बनी हुई है बरसों की उस तरह की परिभाषा में वह किसी प्रकार का हेर-फेर कर

[श्री भैरोंसिंह]

दे । चरित्र का मतलब है कि एक आदमी अपने कर्तव्य का पालन करे । जहां कहीं भी वह कर्तव्य से च्युत होता है तो वह इस बात का संकेत करता है कि जो उसका कर्तव्य था वह उसे नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उसने चरित्र में दाग लगाया है । "चरित्र" की परिभाषा आप डिक्शनरी में देख लें । "आचरण" की परिभाषा यह है कि वह अपना कर्तव्य करता जाय । हर आदमी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये । अब सवाल आता है कि माननीय मथुरादास ने पर्सनल पत्र लिखा, क्या यह उनका कर्तव्य था ? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विधान सभा के किसी सदस्य का यह कर्तव्य है कि किसी प्रकार फेयर सिलेक्शन न हो। इस फेयर सिलेक्शन में लोग किसी प्रकार से, चाहे इन्टेन्शन मेलाफाइड हो, चाहे इन्टेन्शन बोनाफाइड हो, इन्टरफियर करे तो अपने कर्तव्य से च्युत होता है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार और हर सदस्य का यह कर्तव्य है कि पोलिटिकल सफरर को अोब्लाइज करना चाहे तो इस प्रकार से सिलेक्शन कमेटी में किसी बात की सिफारिश कर सकता है । यदि विधान सभा के माननीय सदस्यों का भी यह कर्तव्य है तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा और दाद दूंगा कि श्री मथुरादासजी ने वास्तव में कर्तव्य का पालन किया है । यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी यह कहेंगे कि ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसा कोई कर्तव्य कोडेड नहीं है, किसी बात का लिखा हुआ नहीं है तो निश्चित रूप से इस बात को न मानने को सदन को तयार होना चाहिये कि उन्होंने कर्तव्य का पालन नहीं किया है बल्कि कर्तव्य च्युत होकर इस प्रकार की परम्परा बनाने की चेष्टा की है कि वह परम्परा किसी भी हालत में स्वस्थ नहीं की जा सकती है ।

अब प्रश्न आता है कि कर्तव्य नहीं किया है वैसी सूरत में आचरण उनका ठीक रहा या नहीं तो यदि "कर्तव्य", "आचरण" और चरित्र इन तीनों चीजों की परिभाषा को बढाया जाय तो निश्चय ही यह फैसला ठीक नहीं रहता है । वे कहते हैं कि पैसा नहीं लिया गया, उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं पहुंचा, लेकिन इन सारी चीजों को गौण समझकर केवल एक चीज को सामने रखें कि विधान सभा के सदस्य का कर्तव्य है या नहीं ? यदि कर्तव्य है तो कर्तव्य का पालन भी किया गया है या नहीं, कर्तव्य का पालन नहीं किया गया है तो उसका चरित्र ठीक है या नहीं ? मैं नहीं समझता हूं कि आज सारी बातें सदन के सदस्यों के सामने आई हैं । जो रेकार्ड दखा है उसके आधार पर विधान सभा के सदस्य का कर्तव्य था या नहीं ? उस कर्तव्य के करने में आज तक विधान सभा के सदस्य ने कोई कार्यवाही की है ? वैसी सूरत में अपना कर्तव्य पालन नहीं करते हुए किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस बात का पत्र लिखा वह कर्तव्यपरायणता नहीं, बल्कि कर्तव्य से दूर जाने की भावना को व्यक्त करता है । वैसी सूरत में निवेदन करूंगा कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है और कर्तव्य का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति का चरित्र अशुद्ध है, वह शुद्ध नहीं कहा जा सकता है, उसके चरित्र के बारे में शक किया जा सकता है, उसके चरित्र के बारे में जांच की जा सकती है और जांच की जा कर इस निर्णय पर पहुंचा जा सकता है कि वास्तव में चरित्र उनका किसी प्रकार से किस हद तक सही है ।

मैं निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष, कि यहां पर मुद्गल रिपोर्ट में इस प्रकार की बातें लिख दी हैं । श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने जिन बातों को रेफर किया है वे बातें इसको कवर नहीं करती हैं। मैं कुछ ही शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ दिनों पूर्व एक घटना हुई थी हमारे यहां और घटना के फलस्वरूप कुछ व्यक्तियों को १५, १५ दिन की सजा दी थी ! मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि

[श्री भैरोंसिंह]
भारत की संसद में या किसी भी विधान सभा में इस प्रकार की अभूतपूर्व घटना नहीं हुई जिसके कारण लोगों को १५, १५ दिन की सजा देने का अवसर आया हो। हमारे सामने भारत की जितनी भी विधान सभायें हैं या संसद है उन्होंने उदाहरण पेश नहीं किया है कि विधान सभा के प्रांगण में कोई आन्दोलन करने की चेष्टा करे तो उस व्यक्ति को किस प्रकार सजा दी जा सकती है। माननीय अध्यक्ष, हम इस बात को गौरव के साथ कह सकते हैं कि भारत की तमाम विधान सभाओं ने हमारे उस एक्शन को एप्रिशिएट किया सारी जगहों पर उसकी तारीफ की गई। आज यह मानते हैं कि मुद्गल के केस से माथुर साहब का केस कवर नहीं होता है तो जाने दें उसको भाड में। किसी विधान सभा ने नहीं किया है तो भी हम यहां अपनी विधान सभा में न्याय करें, उस निर्णय पर पहुंच कर ऐसी परम्परा कायम कर दें कि वह दूसरी विधान सभाओं के लिये उदाहरण का काम कर सके कि राजस्थान विधान सभा के एक व्यक्ति ने इस प्रकार का पत्र लिखा था उसके ऊपर विधान सभा ने इस प्रकार एक्शन लेकर सजा दे दी। मैं निवेदन करूंगा कि यदि इस प्रकार का उदाहरण पेश करेंगे तो जो कुछ पहले काम किया है उसी तरह से इसकी प्रशंसा होगी। उस प्रशंसा के जरिये राजस्थान विधान सभा का मुख बहुत ही उज्ज्वल होगा।

वैसी सूरत में दूसरा प्रश्न आता है।

श्री अध्यक्ष :—५ मिनट में खत्म करदें।

श्री भैरोंसिंह :—तो मैं उनकी बातों पर और इसलिये नहीं जाना चाहता था कि उन पर मतभेद का प्रश्न आ सकता है। कई ऐसा कह सकते हैं कि कमीशन की रिपोर्ट में मेम्बर के करेक्टर के बारे में जिन बातों को लिखा है कि उस तरह से यदि कोई करेक्टर के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है तो मैं यह मानता हूं राजस्थान विधान सभा, करेक्टर की जो परिभाषा बड़े २ विद्वानों ने स्वीकार की है, जो डिक्शनेरी में लिखी हुई है उस करेक्टर की परिभाषा को स्वीकार करती है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, बिना एन्क्वायरी के कि श्री मथुरादास का करेक्टर उस परिभाषा में नहीं आता है, बल्कि उन्होंने अपने चालचलन के बारे में कोई साक्षी नहीं दी और उनके चालचलन पर शक किया जा सकता है; इस प्रकार के वातावरण का निर्माण किया है।

वैसी सूरत में जहां करेक्टर का प्रश्न आता है, आचरण की कमी का प्रश्न आता है, काम और कर्तव्य का प्रश्न आता है, ये तीनों चीजें इस बात को साबित करती हैं कि इस मामले की इन्क्वायरी कराना चाहिये। माननीय अध्यक्ष, जिन बातों की इस सदन में पहले चर्चा हुई और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि इन्क्वायरी करेंगे, अब वे यह कहें कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी से उनकी तसल्ली नहीं हुई। उन्हें तसल्ली होती, जिन लोंगो ने यह प्रश्न हाथ में लिया है, जो लोग समझते हैं कि अगर इन्क्वायरी की जाय तो उन सबको बुलाकर कान्फीडेन्स में लेते और उसके बाद उनकी तसल्ली हो जाती और इन्क्वायरी कराने के बाद कोई तथ्य नहीं निकलता तो वे निश्चित रूप से कहने का साहस करते कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी से यह निर्णय कर लिया है कि इसमें कोई तथ्य नहीं लेकिन जानकारी से उनको पता लगा, न माननीय त्यागीजी को, एच. के. व्यास को और न ऐसे सदस्यों को जिन्होंने इसमें दिलचस्पी ली है, पूर्णतया कान्फीडेन्स में लाया गया। बल्कि एक सदस्य ने तो इन चीजों का उल्लेख किया था कि मेरी मदद से अमुक २ रेकर्ड देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि क्या २ घोटाला हुआ है। वह रेकार्ड देखकर, उनको

[श्री भरूंसिह]

कान्फीडेन्स में लेकर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी कराते तो उससे पता चलता । लेकिन मुख्य मंत्री ने जान बूझकर, न कि अनजाने में, इस मामले को टालने की दृष्टि से, उसको खत्ते में डालने की दृष्टि से, उस मामले में कार्यवाही नहीं करने की चुप्पी साधी। यह एक ऐसे सदस्य का प्रश्न नहीं है, अगर नेता महोदय के स्वयं के चरित्र में शंका की जाती हो, नेता अगर प्रोटेशन देते हों, उनका ऐसा मेलाफाइडी इन्टेन्शन हो, जिन माननीय सदस्य के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी एन्क्वायरी करायी जानी चाहिये। तो ऐसी सूरत में यह सदन के लिये एक गंभीर, गहरा प्रश्न है । एक माननीय सदस्य के चरित्र और मुख्य मंत्री की चेष्टा इन दोनोंमें सामन्जस्य है, तो इन्क्वायरी कमेटी ही नहीं, यदि और भी कार्यवाही करनी पडे तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिये और मैं समझता हूं कि यह सदन की शोभा की चीज होगी कि सदन एक सदस्य के आचरण के प्रति की जाने वाली इन्क्वायरी से जोड कर इसको स्वीकार कर लेना चाहिए ।

जहां बहुमत के आधार पर इसको गिराने का प्रश्न आता है तो यदि सीक्रेट बेलेट होंगे, लोगों को छूट दी गई कि स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान देने की तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय सदस्य इतने गिरे हुए नहीं हैं कि वे श्री मथुरादासजी माथुर के प्रभाव में आकर, उनके दबाव में आकर प्रस्ताव के खिलाफ वोट दे दें और सीक्रेट वोट्स से जो प्रस्ताव पेश हुआ है वह कितने बहुमत से पास होता है । यदि ऐसे सीक्रेट वोट्स नहीं होते हैं, जैसा कि पालीवालजी ने कहा, लोभ-लालच से, दबाव से, लोग दबाव में आवेंगे, वोट नहीं देंगे । माननीय अध्यक्ष, वह स्टेज दूर है, जब ऐसी इच्छा प्रकट की जावेगी माननीय अध्यक्ष, मुझे विश्वास है कि सदस्य इसको एप्रीशियेट करेंगे और न्याय प्राप्त करेंगे। इन सब बातों के होते हुए भी हमें परम्पराओं की दृष्टि से सोचना पड़ेगा कि हमने ऐसी परम्परा आज कोई गलत तो नहीं डाली है ।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष :—टाइम हो गया ।

श्री भैरूंसिंह :—थोड़ा सा और टाइम चाहता हूं. माननीय अध्यक्ष ।

श्री अध्यक्ष :— More than 15 minutes.

श्री भैरूंसिंह :—दो चार मिनिट और

श्री नाथूराम मिर्धा :—माननीय अध्यक्ष, I beg to move closure.

(शोर गुल एवं घंटी)

श्री अध्यक्ष :—No, Order please ;

(करतल ध्वनि)

श्री भैरूंसिंह :—तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि वैसी सूरत में चरित्र के सम्बन्ध में, मेलाफाइडी चीज स्पष्ट है ।

[श्री भैरूंसिह]

जहां कन्वेन्शन्स का प्रश्न आया, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा निवेदन करूंगा और सदन के नेता से न्याय चाहूंगा। पत्र लिखने का प्रश्न नहीं है लेकिन गरीब जनता को न्याय देने का प्रश्न है। अगर पत्र लिख कर भी उसको बहुमत से जायज मना कर यह कहा जाय कि यह तो कुछ नहीं है, में निश्चित रूप से कहूंगा कि यह गलत परम्परा होगी और गरीब जनता, जिनका कोई एप्रोच नहीं है, किसी कोर्ट में न्याय प्राप्त नहीं कर सकेगी। मैं यह निवेदन करूं कि विधान सभा के सदस्य और कांग्रेस की सत्ता और कांग्रेस में भी सतारूढ दल है वह सतारूढ दल, माननीय सदस्य जो उनके साथी बन रहे हैं उनमें से कोई भी सदस्य किसी कोर्ट में चला जायगा तो उस सूरत में भी गरीब जनता को न्याय नहीं मिल सकेगा और जो त्यागीजी ने प्रस्ताव पेश किया है उसको यदि स्वीकार करते हैं तो, आपने उसपर गौर किया तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान की गरीब जनता का भाग्योदय होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस गरीब जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं सदन के सदस्यों से फिर निवेदन करूंगा कि गरीबों को न्याय मिले उनको न्याय प्राप्त कराने के लिये सत्ता के प्रभाव में न आकर आजादी से अपनी राय व्यक्त करनी चाहिये। अगर मतदान सोक्रेट नहीं होते हैं तब भी परवाह नहीं करते हुए त्यागीजी का प्रस्ताव पास कर दें, नहीं तो विधान को गलेरीज में बैठे लोग क्या कहेंगे ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member should address the Chair and not the gallaries.

श्री भैरूंसिह—मैं निवेदन कर रहा था····

श्री अध्यक्ष—It is 12.

श्री भैरूंसिह—मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज हमें·······

(घंटी)

दो मिनिट।

श्री अध्यक्ष—दो मिनिट करते २ तो ७ मिनिट हो गये।

श्री भैरूंसिह—सिर्फ दो मिनिट।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय अध्यक्ष कि हमें आज इस सबजेक्ट मेटर की इम्पोटन्स इस बात से आंकनी है कि लोगों की इसमें कितनी रुचि है? आज राष्ट्रदूत, नवयुग, लोकवाणी को पढ़ने वाले इतने मूर्ख नहीं। विजिटर्स गेलेरी में कितनी भीड है·······

(घंटी)

श्री अध्यक्ष--इसके लिए दो मिनिट ले रहे थे ?

श्री भैरोंसिंह--मैं इसको कन्क्यूल्ड कर रहा हूं।

तो इन सारी चीजों से ऐसा पता लगता है कि मेटर वास्तव में इम्पोर्टेन्ट है। अगर यह प्रस्ताव गवर्नमेंट बहुमत से गिराना चाहती है तो जनता इसे डिमोरेलाईज्ड होगी, गवर्नमेंट के अधिकारी इससे डिमोरेलाइज्ड होंगे, गवर्नमेंट डिमोरेलाइज होगी, डेमोक्रेसी डिमोरेलाइज होगी राजस्थान में और यदि यह प्रस्ताव पास होता है तो प्रेशर टेक्टिक्स नहीं हो सकेंगे, गवर्नमेन्ट ओफिसर्स डिमोरेलाइज्ड नहीं होंगे, पब्लिक में डेमोक्रेसी के प्रति श्रद्धा बनी रहेगी लोग उसमें विश्वास करते रहें तो इन सारी चीजों को समक्ष रखते हुए बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर देना चाहिये।

एक माननीय सदस्य :--माननीय अध्यक्ष,

श्री नाथूराम मिर्धा:--I beg to rise to move ....

श्री रामकरण जोशी :--माननीय अध्यक्ष, ...

श्री अध्यक्ष :--एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री रामकरण जोशी :--मैं बहस के दौरान में बोलना चाहता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा :--मैं क्लोजर मूव कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष :--(श्री भैरोंसिंह से) आप क्या बोलना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह :--क्लोजर कैसे मूव किया है ?

श्री रामकरण जोशी:--मैं इस बहस के दौरान में निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष और उस बहस को रोकने के लिए ......

(बाधाएं एवं घंटी)

श्री अध्यक्ष:--इनका क्लोजर मूव हो जाने दीजिये।

श्री रामकरण जोशी:--तो फिर मुझे बोलने की इजाजत रहेगी ?

श्री अध्यक्ष :--मैं क्लोजर को वोट पर रख दूं।

श्री रामकरण जोशी:--मैं उस क्लोजर को रखने के पहले बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(शोरगुल एवं घंटी)

श्री अध्यक्ष :—Order ! Order !!

(शोरगुल)

श्री रामकरण जोशी :—मैं क्लोजर के मूव करने के पहले खडा हुआ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ......

(घंटी एवं शोरगुल)

श्री अध्यक्ष :—Order please ! जब बोलने का प्रश्न हो तो एक माननीय सदस्य बोल सकते हैं । Shri Nathuram caught my eyes, so he has the prior right.

श्री रामकरण जोशी :—निवेदन में बीच में कर दूं ।

श्री अध्यक्ष :—फिर आप बाद में ऑब्जेक्शन करिये ।

श्री रामकरण जोशी :—मैं पहले बोलने के लिए खडा हुआ हूं । मेरे शब्दों ने पहले आवाज सदन में पैदा की और उसके बाद किसी ने आवाज कुछ की । खडे होकर मैंने बोलना शुरू किया ।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष :—Order please ! The Hon'ble Member had been a very important Member of the Treasury benches and he should abide by the decision of the Chair.

श्री रामकरण जोशी :—तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि मेरे बोलने के बारे में एक दूसरे माननीय सदस्य पाबन्दी नहीं लगा सकते । उनको पाबन्दी लगाने का क्या हक है ? यह राइट का सवाल है।

श्री नाथूराम मिर्धा :—मैं किसी के बोलने पर पाबन्दी नहीं लगाना चाहता । बोलने का सदन में हर किसी को अधिकार है, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने फरमाया था कि १२ बजे तक बोलने की इजाजत है । जब मैं १२ बजे बोलने के लिये खडा हुआ तो एक माननीय सदस्य को ५ मिनिट के लिये इजाजत दी थी इसलिये मैं बैठ गया । अब मेरा राइट है कि मैं क्लोज़र मूव करूं लेकिन इसी बीच में माननीय सदस्य खडे हो गये ।

श्री रामकरण जोशी :—Certainly I will accept the decision of the chair एसेम्बली में भाषण के लिये जिसको पहले परमिशन मिलती है वही पहले बोलता है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि सभी को बोलने का राइट है ।

श्री नाथूराम मिर्धा :—मर्जी आवे तब बोलने लग जावें, मर्जी आवे तब गैर हाजिर हो जावें, यह कोई तरीका है ? अध्यक्ष महोदय. I move that the question be now put.

श्री अध्यक्ष—Motion is moved that the question be now put.

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ऐतराज है और वह यह है कि यह मोशन रूल ६७ की तहत रखा जा सकता है और यह उन मोशन्स के लिये है जिसमें मोशन मूव करने वाले को राइट ऑफ रिप्लाई है और जिसके खिलाफ मोशन्स मूव किया जाता है उसको भी एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है। जब कि मथुरादास जी को रिप्लाई का राइट है, सदन के नेता को रिप्लाई का राइट है और उसके बाद मुझे रिप्लाई करने का राइट है, इसलिये आप इसको देखने की कृपा करें। सब रूल (३) में लिखा है कि इसमें राइट ऑफ रिप्लाई मूवर को है। जब कि बोलने का अधिकार आप नेता का भी मानते हैं हालां कि मैं इस पर ऐतराज करता हूं लेकिन जिसके बारे में मोशन लाया गया है उसको बोलने का अधिकार नहीं है क्या ?

श्री अध्यक्ष—कौनसा रूल लागू होगा ?

श्री वेदपाल त्यागी—कोई रूल लागू नहीं होगा। इसमें आपका डिस्क्रीशन लागू होगा। यदि आप समझते हैं कि यह इम्पोर्टेन्ट है तो लोगों को राय देने की इजाजत दी जाय। इसमें लोगों का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनेरिली यह मोशन नेता की तरफ से आता है। चूंकि नेता तैयार नहीं थे इसलिये प्राइवेट मेम्बर को मूव करना पड़ा। इसलिये जो बोलना चाहें उनको इजाजत देनी चाहिये। इसमें क्लोजर का रूल एप्लाई नहीं करता।

श्री अध्यक्ष—After a reasonable debate on a motion, a closure can be moved. That is the principle underlying a closure motion. We had allotted yesterday's time only but to day's time also we have superseded. So I will be guided in this connexion by the majority. If the majority does not want that the debate should continue I will close the debate and put the closure to vote.

श्री श्रीदास गोयल:—अध्यक्ष महोदय, क्लोजर मूव करने के साथ साथ उन्होंने रीजनिंग ...

श्री अध्यक्ष—Now as regards the objections raised by Shri Tyagi I observe that the member against whom the motion has been moved has a right of reply if he so wants, after the closure is moved and so the Leader of the House and then after that the mover of the motion has a right of reply.

श्री श्रीदास गोयल—मेरा यह निवेदन है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में यह लिखा है कि मेजोरिटी के बावजूद भी आपका डिस्क्रीशन है। जहां पर अहम मसले के लिये कोई जिम्मेदार साथी अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो आप उनको इजाजत दे सकते हैं। इसलिये इस पर विचार करना चाहिये।

श्री रामकरण जोशी—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि .....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे क्षमा करेंगे, मैं बीच में कुछ निवेदन करदूं कि माननीय श्री नाथूरामजी ने क्लोजर मूव करने का कहा है क्योंकि समय पहले निश्चित किया गया था। अधिक से

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

अधिक और इच्छा हो तो रामकरणजी को भी बोलने दिया जाय, उसके बाद क्लोजर एप्लाई हो सकता है । मैं नहीं समझता कि इतना समय जब लिया गया है तो एक सदस्य के बोलने के ऊपर डिस्प्ले-जर क्यों हो ?

श्री अध्यक्ष — I have no objection but the hon'ble member will keep the time factor in view.

श्री रामकरण जोशी — Time is nearly over, Sir.

श्री अध्यक्ष — So we are discussing in zero hour.

श्री रामकरण जोशी —Not exactly that.

अध्यक्ष महोदय, दो दिनों से लगातार सदन में एक मसले पर बहस हो रही है और वह मसला सदन के लिये, सदन के बाहर के लोगों के लिये और हिन्दुस्तान के लिये भी एक अहम मसला है । एक तरीके से कइयों के लिये यह नजीर बन सकता है और कइयों के लिये यह सदन की प्रतिष्ठा का द्योतक बन सकता है । इस मसले को इस सदन में आने का यह तीसरा मौका मिला है । दो दफा पहले भी जब हमारे सदन का अधिवेशन चालू था तब इस पर बहस हुई थी । मैंने उस दिन भी पहली दफा जब यह मसला सामने आया था और वही प्रस्तावक महोदय थे जिन्होंने अब प्रस्ताव पेश किया है,तब भी मैंने इस बारे में निवेदन किया था कि यह ट्रेडिशन जनतंत्र के लिये वाजिब नहीं बनेगी । जो ट्रेडिशन्स अब तक मोजूद हैं उनके मुताबिक हमें आगे बढ़ना चाहिये । इस तरह का मसला जब उठता है तब सदन के नेता की तरफ से प्रस्ताव आता है और सदन के नेता निश्चित तौर से आधारों के ऊपर विचार करके स्पीकर महोदय से सलाह मशविरा करके प्रस्ताव पेश करते हैं । इसी तरह के विचार के लिये उस दिन यह प्रस्ताव वापिस लिया गया था और हम यह उम्मीद करते थे कि दुबारा मिलेंगे तब सदन के नेता अपनी राय इस पर जाहिर करेंगे । लेकिन सदन के नेता राय जाहिर नहीं कर सके, उससे पहले यह दूसरा प्रस्ताव सदन में पेश कर दिया गया । पहली बार जब यह प्रस्ताव आया था तब मैं समझता था कि इस तरह से प्रस्ताव नहीं उपस्थित करना चाहिये था और इस तरह का वाद विवाद नहीं होना चाहिये था । ऐसी ट्रेडिशन्स हैं कि जब तक प्राइमाफेसी केस नहीं बनता है उस वक्त तक इस तरह के विचार प्रकट नहीं किये जाते हैं और जब प्राइमाफेसी केस बनता है तो फिर सदन के नेता प्रस्ताव पेश करते हैं और कार्यवाही जारी होती है । लेकिन ऐसा नहीं हुआ । सदन में तीन दफा लगातार ६ दिनों तक बहस मुबाहिसा होता रहा और उसका नतीजा फिर भी वैसा ही निकलता है जो परंपरा के विपरीत पड़ता है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या बात है, ऐसा क्यों होना चाहिये ? एक पत्र लिखा गया और लिखने वाले सज्जन उसको स्वीकार करते हैं । पत्र लिखा है यह स्वीकार किया गया है और जिस किताब को सिफारिश के लिये लिखा गया था वह किताब भी किसी तरह से सिलेक्शन में आगई थी तो प्राइमाफेसी केस बनाने और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती । जब लेटर लिखना स्वीकार किया जाता है और उसका परिणाम भी आपके सामने मौजूद है व वह किताब सिलेक्ट हो गई है तो फिर कैसे हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि इसके आधार पर वह सिलेक्ट नहीं हुई बल्कि पहले ही सिलेक्ट हो गई थी, यह गौरतलब बात आ जाती है । और जब इस तरह की चीज आती है तो प्राइमाफेसी केस के बाद

[श्री रामकरण जोशी]

जांच होनी चाहिये, इन्क्वायरी होनी चाहिये। यदि मेजोरिटी के आधार पर हम यह फैसला करना चाहते हैं कि इन्क्वायरी तलब मामला नहीं है इसलिये इन्क्वायरी नहीं करनी चाहिये तो ठीक है लेकिन हमारी मेजोरिटी हाउस में हैं और हाउस के बाहर बहुत से लोग हैं जिन पर इसका बुरा असर होता है। इस हाउस में बरती जाने वाली नीति से हमारा प्रान्त गाइड होता है तो हाउस में रहने वाले आदमी मेजोरिटी को लेकर चाहे जैसी बात, सही गलत कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि यह सवाल मेजोरिटी का नहीं है। यह इन्क्वायरी तलब सवाल है। इसमें निश्चित इन्क्वायरी करनी चाहिये थी और तय किया जाना चाहिये था। इन्क्वायरी के बाद क्या नतीजा निकलता यह सोचने की बात है। दो तीन नतीजे ही तो हो सकते थे। एक तो यह कि चिट्ठी लिखने वाले को मोनिटरी गेन हुआ या नहीं।

अगर वह मिली है तो वह चार्ज ब ा सीरियस हो जाता है और अगर वह नहीं मिलती है तो इसमें काफी हल्कापन आ जाता है। हर एक आदमी महसूस करता है और वह यह कि इस केस में एक बात उलझी हुई है, वह है सीक्रेट कोड नम्बर बाहर आने की बात। वह कोड नम्बर उनके पास कैसे आया और किसके मारफत आया और चिट्ठी देने के बाद हमारे सामने आ जाता है कि उन्होंने लिखा है जिससे मालूम होता है कि उनको मालूम था और इसके लिये वे यह कह सकते हैं कि फलां आदमी की मारफत मालूम हुआ कि यह कोई गवर्नमेंट का सिक्रेट नम्बर है। लेकिन यह भी एक इन्क्वायरी की बात रह जाती है। इसमें यह जांच की जानी चाहिये कि उन्होंने इस नम्बर को इन्नोसेन्टली यूज किया या उनको यह मालूम था कि यह सिक्रेट कोड नम्बर है इसकी सब जांच के बगैर नहीं हो सकती।

मैं समझता हूं, इसमें ज्यादा बहस की बात नहीं थी। यह एक मामूली और आसान बात थी। इसके लिये ट्रेजरी बेंच को इन्कार नहीं करना चाहिये था मगर शुरू से ही उसने इन्क्वायरी से इन्कार किया। मैं यह कहूंगा कि इस इन्क्वायरी के माने यह नहीं हो जाते कि हम सदस्य के खिलाफ इन्क्वायरी करा कर फैसला कर चुके हैं कि हमारे साथी जिन्होंने यह चिट्ठी लिखी है उन पर कोई अपराध साबित हो जाता है। इस प्रकार की इन्क्वायरी का मतलब यह हो जाता है कि हमारे ऐसे साथी जिन पर लोग इस प्रकार के इल्जाम लगाते हैं जो सही नहीं हैं तो उन इल्जामों से बरी होने के लिये यह इन्क्वायरी बहुत जरूरी है। इसलिये यह कहा जाता है कि मेलाफाइड इन्टेन्शन से इस हाउस में बहस खड़ी करके और बदनाम करने की नीयत से हाउस का समय खराब किया और उनको बदनाम करने की नीयत से ही यह लाया गया है, इसकी जरूरत नहीं थी। मैं निवेदन करूंगा कि कैसे ही विरोध की नीयत से यह लाया गया हो लेकिन ट्रेजरी बेंचेज और मुख्यतः सदन के नेता को अपनी तरफ से कभी भी इस प्रकार का मौका नहीं देना चाहिये जिससे कि लोगों को शक पैदा हो कि हम इन्क्वायरी से घबराते हैं। हमें इस बात को मन्जूर करना चाहिये कि इन्क्वायरी शुरू होनी चाहिये क्योंकि न तो इसमें उनको कोई मोनिटरी गेन मिला है और जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में बयान किया उन्होंने कोई सिक्रेट नम्बर हासिल ही किया। उसने ही लाकर उनको कोड नम्बर दिया। इसलिये सदन के नेता को सारे सदन के सदस्यों को कहना चाहिये था कि इंक्वायरी हो जाए। इससे बाहर के लोगों पर यह राय बनती कि राजस्थान की धारा सभा में चाहे जैसा चार्ज, चाहे जितने बड़े व्यक्ति के खिलाफ क्यों न हो, चाहे वह ट्रेजरी बेंच के मेजोरिटी पार्टी का चीफ व्हिप ही क्यों न हो, चाहे वह मुख्य मंत्रीजी का निकट से निकट साथी ही क्यों न हो, विधान सभा की परम्परा है कि मेजोरिटी के होते हुए भी उस मेजोरिटी का ध्यान नहीं देते हुए इन्क्वायरी करा रहे हैं।

[श्री रामकरण जोशी]

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार कई बार हाउस में जब यह प्रश्न आया था तो मेरे साथी ने अपनी तरफ से यह दरख्वास्त की थी कि उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये और जांच करके उसका निपटारा होना चाहिये ताकि आयन्दा से इस प्रकार की गंदगी उनको न छू सके । सीधा मार्ग था और उसको अपनाया जाना चाहिये था। बस इतनी बात माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये हाउस के नेता से कहूंगा कि इस पर विचार करें और अपनी तरफ से खुद इस मामले को पेश कर दें । कमेटी से इन्क्वायरी नहीं कराने का मतलब यह होगा कि लोग यह शंका करेंगे कि इसमें कोई न कोई सच्चाई निकलती है और लोग यह कहेंगे कि इन्फल्युएन्स से कांग्रेस संगठन भरा है । यह कांग्रेस संगठन के लिये, ट्रेजरी बेंच के लिये और हमारे निकटतम साथी श्री मथुरादास माथुर के लिये बुरा है । इसलिये मैं यह कहूंगा कि कमेटी बिठाई जावे ताकि आवाज उठाने वाले आदमियों को किसी प्रकार से कुछ कहने का मौका नहीं मिले । जब वह निर्दोष हो जावेंगे तो हम आवाज उठाने वालों से कह सकेंगे कि इसकी जांच भी हो चुकी है और इसकी रिपोर्ट सदन के अन्दर पेश हो चुकी है । सदन अपनी राय और छाप इस पर दे चुका है । मैं समझता हूं कि यह सबसे अच्छी बात होगी । इसलिये मैं इस बात को ज्यादा जरूरी मानता हूं क्योंकि इस प्रकार की शिकायत बहुत दिनों से होती चली आ रही है कि वर्तमान सरकार में रिकमन्डेशन का आधार ही मेन आधार है या कई लोग कहते हैं कि गुट बंदी के आधार पर सरकार काम करती है । मैं समझता हूं कि जब हम इन्क्वायरी कराने को तैयार हो जावेंगे तो उसके बाद सारी बातें साबित हो जावेंगी, यह जो बात कही जाती है कितनी सत्य है । आप मेजोरिटी के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि इन्क्वायरी नहीं हो सकती, इसकी इन्क्वायरी नहीं होनी चाहिये । मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी इन्क्वायरी हो जानी चाहिये । हमको इन्क्वायरी के लिये हजार दफा तैयार रहना चाहिये । मैं यह कहूंगा कि अगर १०० आदमी भी एक आदमी के खिलाफ साजिश करना चाहें तो वह पूरी नहीं पड़ती मगर उसका तरीका होना चाहिये । हाउस में हमें इसके लिये इन्क्वायरी कमेटी को बनाना है और जो इल्जाम लगे हैं वह उसकी जांच करे । १५६ आदमी मिल कर एक कमेटी बिठा दें जब वह जांच करेगी और जो नतीजा होगा हमारे सामने आएगा । इसलिये हमें यह खयाल नहीं रखना चाहिये कि हम मिनिस्ट्री में हैं इसलिये ऐसा नहीं होना चाहिये । हमको विश्वास रख कर अपनी राय सही ढंग से देनी चाहिये । आज हम मेजोरिटी के आधार पर यह कह देते हैं कि जांच नहीं होनी चाहिये। जांच कराना एक प्रकार से उन पर इल्जाम लगाना है तो मैं यह कहूंगा कि वह इतना ही सत्य से परे है और वे भूल में हैं जैसे की एक माइनोरिटी होकर कोई कार्य करे तो मेजोरिटी उस कुल माइनोरिटी पर इल्जाम लगा देगी । कहना एक मामूली बात है लेकिन साबित करना बड़ी बात है । इसलिये महज प्रिजम्पशन से इल्जाम साबित नहीं होते ।

इसलिये माननीय अध्यक्ष, मैं सदन के नेता और मेरे साथी से यह कहूंगा कि इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश को स्वीकार करें । मेरे एक माननीय सदस्य ने यह फरमाया कि इस प्रकार की एक परम्परा है कि सिफारिशी चिट्ठियें लिख कर सरकार की तरफ से प्रभावशाली होने का असर डाल कर सरकारी निर्णय को बदलवाने के लिये गोकुलभाई चिट्ठी लिख सकते हैं या आदित्येन्द्रजी चिट्ठी लिख सकते हैं । मैं यह समझता हूं कि वे कांग्रेस संगठन के सस्दय नहीं हैं । मैं यह कहूंगा कि वे इस प्रकार की चिट्ठियें कभी नहीं लिखेंगे । इस किस्म की चिट्ठी लिखने की उनकी आदत हो सकती है, हर एक आदमी की आदत नहीं हो सकती । यह हर एक आदमी को पेइंग नहीं होती । इसलिये इसके लिये कमेटी बैठाना जरूरी है ।

[श्री रामकरण जोशी]

उसके बाद ही हम देखेंगे कि जितने इल्जाम लगाये गये हैं वे झूठे हैं या सच्चे हैं। ब हमारे साथी उस जांच में सही, निर्दोषी निकल जावें। इतनी बात कह कर मैं सदन से माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वे अपनी राय दें। जांच से इन्कार होना में यह कहूंगा कि सत्यता से घबराना है। इसकी जांच जरूर होनी चाहिये। प्राइमाफेसी केस तो मैं इस बात पर मानता हूं कि लेटर लिखा गया है और किताब फ्रंटियर पब्लिकेशन को मिली है। इसलिये इन्क्वायरी कमेटी बननी चाहिये यही मेरी राय है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) :—अध्यक्ष महोदय, जहां से मेरे पूर्व वक्ता ने बात समाप्त की वहीं से मैं शुरू कर दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि लेटर लिखना ही काफी है और उसी पर इन्क्वायरी सेट अप कर देनी चाहिये। मैं एक बात समझ नहीं पाया माननीय अध्यक्ष, लेटर का लिखना आज से करीब एक साल पहले माननीय श्री माथुर साहब ने स्वीकार किया था; लेटर के लिखने सम्बन्धी डिस्प्यूट कभी नहीं रहा। पिछले सत्र के समय भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ था तब भी लेटर के बारे में जो जानकारी थी सब जानकारी उसके अन्दर थी। उस समय भी माननीय मित्र ने इस बात पर जोर दिया था कि इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिये, कोई निर्णय नहीं होना चाहिये फरदर इन्क्वायरी करने की बात है वह स्पीकर और लीडर मिलकर सोच लें तब फिर इसको सदन में लेना चाहिये। मैं नहीं समझता कि उस समय सारे सदन ने मिलकर कमेटी एस्टेब्लिश करना पर्याप्त नहीं समझा सारे कारणों को लेकर, तो आज ऐसी कौनसी स्थिति पैदा हो गई आज उसके अलावा और कौन से कारण सामने आये जिसके कारण वे आज कमेटी की स्थापना के लिये जोर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह आपकी जानकारी में है कि मैंने स्वयं ने इस सम्बन्ध में कुछ कागजात आपके सामने पेश किये थे और उस पर आपने खुद ने फरमाया था कि इस विषय पर सदन के अन्दर और सदन के बाहर इतना कीचड़ उछाला जा चुका है कि इस पर इन्क्वायरी करके किसी परिणाम पर पहुंचना आसान ही नहीं होगा, बल्कि उचित भी नहीं होगा। आपकी यह राय थी कि इस विषय को वापिस सदन के अन्दर भेजा जाय। आज इन्क्वायरी कमेटी सेट अप करने की बात कही जाती है। आज से दो रोज पहले जितना इस विषय में कहा जा सकता था और जो कुछ कीचड़ उछालना बाकी रहा था वह मकसद पूरा हो चुका और आज हम इस स्टेज पर कहते हैं कि यह मामला कमेटी को रेफर किया जाय··

श्री हरिकृष्ण व्यास —अध्यक्ष महोदय, यह जो कहा गया कि हमने जो बातें यहां कहीं उसको कीचड़ उछालना कहा जाता है; क्या माननीय मुख्य मंत्री किसी माननीय सदस्य की राय को कीचड़ उछालना कह सकते हैं, क्या वे इस प्रकार का आक्षेप किसी सदस्य की राय पर कर सकते हैं?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष— Hear him.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) (जारी रखते हुए) —अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन दो दिनों की बहस के बाद क्या इन्क्वायरी के लिये जो फिर से प्रश्न उपस्थित हुआ क्या उस पर विचार किया जा सकता है क्या कमेटी की स्थापना के बारे में निर्णय लिया जा सकता है? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं इन दो दिनों की बहस के अन्दर कोई ऐसे तथ्य हमारे सामने नहीं आये जिन तथ्यों के कारण

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

अब तक जो स्थिति थी मोशन के आने के वक्त तक जो स्थिति थी और मेरे जवाब देने तक जो स्थिति है उसमें किसी प्रकार का अंतर होता तब तो मुझसे ऐसी आशा की जा सकती थी कि मैं इस बात को सदन के समक्ष रखूं। अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है वह प्रस्ताव यह है, उस प्रस्ताव के सारे पोर्शन को न पढ़ कर टर्म्स ग्रोफ रेफरेन्स ही पढ़ देता हूं जिसके अनुसार उनके कहने से प्राइमाफेसी केस बन सकता है "Shri Mathur obtained the secrets of the Government in an unauthorised manner for business contact."

इस चीज को कि अनग्रोथोराइज्ड मेनर में उन्होंने गवर्नमेन्ट सीकरेट्स को प्राप्त किया उसके बारे में कोई सुबूत नहीं दिया गया।

दूसरी बात जो रखी गई है वह यह है कि "He wrote recommendatory letter to an official of the Government to secure business from the Government for Shri Ganpat Mathur in whom he was directly interested".

'डाइरेक्टली इन्टरेस्ट' के बारे में कोई चीज सदन के सामने नहीं आयी किसी भी माननीय सदस्य की तरफ से और तीसरी बात जो इसमें रखी गई है "He influenced or attempted to influence the Government official in the discharge of his function for the furtherence of his personal ends."

पर्सनल एन्ड्स की भी कोई बात नहीं रखी गई। बहस के अन्दर जो बातें सामने आयी हैं उसमें खास तौर से सिर्फ यह जिक्र किया गया कि जो पत्र लिखा गया उससे उनको हजारों रुपयों का फायदा हुआ उसमें श्री माथुर भी शरीक हैं क्योंकि उन्होंने पत्र लिखा है; इस कारण इस मामले में ऊपर से लगाकर नीचे तक इसका असर पड़ता चला गया है, इसी बात पर जोर दिया गया।

इसके अलावा एक बात और कही गई वह यह कि इस किताब को दूसरी जोन के अन्दर भी लागू किया गया जब कि अन्य किताब वालों को यह सुविधा नहीं दी गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं मैंने इस बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और जो मैंने जानकारी प्राप्त की उसके आधार पर मैं बता सकता हूं कि जिन दो किताबों का उन्होंने जिक्र किया उनके अलावा बाकी सबको उन जोन्स के अन्दर परमीशन दी गई। जिनकी किताबें रिजेक्ट हुईं वे तीन जगह के लिये तीन नहीं थीं बल्कि दो ही थीं। जिन किताबों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया मेरा खयाल है कि उनका मतलब मेकमिलियन की किताब से था। उनको यह अवसर नहीं दिया गया कि उनकी किताबें दूसरे जोन्स में लागू की जायं। इस क्लास की किताब किसी भी जोन के लिये रिजेक्ट नहीं की गई, ब्लेक लिस्ट नहीं की गई तो वैसी हालत में उस किताब को दूसरे जोन में लागू करने का प्रश्न नहीं उठता। एक दूसरी किताब के बारे में कहा गया कि मि० कपूर एन्ड कम्पनी और टी. सं. कोआपरेटिव सोसाइटी की जो किताबें थीं मेरा खयाल है कि उन्होंने इसी का ही रेफरेन्स किया होगा। इसके संबंध में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं दोनों जोन्स के अन्दर एक ही व्यक्ति ने दोनों नामों से दो जोन के लिये किताबें प्रेसक्राइब की थीं, दो जोन के अन्दर एक ही व्यक्ति के नाम से किताब प्रेसक्राइब हुई थी। वे यह

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

चाहते थे कि दूसरे जोन की किताब जो दूसरे के नाम से ली थी वह उसे छपवा नहीं सके वैसी हालत में उन्होंने यह कहा था कि पहले वाली किताब लागू कर दी जाय। उसको हमने नामन्जूर किया क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार टैकटिक्स काम में लिये उसके लिये वह किताब नहीं ली जा सकती थी।

अध्यक्ष महोदय, मेरे लिये यह कहा जाता है कि मैं श्री माथुर को डिफेन्ड कर रहा हूं, इस संबंध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं न तो श्री माथुर को ही डिफेन्ड कर रहा हूं और न अपने आपको बल्कि सन् १६५३ और ५४ में जो नीति अपनायी गई उसको डिफेन्ड करता हूं (हर्ष ध्वनिय) यह सन् '५३ की बातें हैं जिसकी बहस सन् ५६ के अन्दर हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया वह श्री माथुर के बारे में था लेकिन इसके साथ माननीय सदस्य ने मि० कपूर एन्ड कम्पनी और टीचर्स कोआपरेटिव सोसाइटी पर जो एक्शन हुआ उसको भी इस प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया। उस पर भी यह कहा गया कि श्री रंगा ने कुछ पोइन्ट लिखकर भेजे उन्होंने उसके साथ २ कुछ एग्रीमेन्ट्स और डोकूमेंटस भी भेजे थे जिसके अन्दर रिव्यूअर्स और हैडरिव्यूअर्स का हिस्सा साबित होता था। मैंने इस संबंध में जांच की मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस फाइल के अन्दर जो पहला पत्र था उसके अन्दर यह लिखा गया था कि सरकारी अधिकारियों का इस पार्टनर शिप में हाथ रहा है इसलिये वे एग्रीमेन्ट भेजे गये थे उसके आधार पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। अगर उसमें रिव्यूअर्स और हैड रिव्यूअर्स के बारे में जिक्र होता तो और हम उसकी इन्क्वायरी करते तो उसके अन्दर यह भी साबित हो सकता था कि इसमें किन २ लोगों का हाथ है। जब इस बारे में डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी शुरू की गई उसमें श्री रंगा को भी बुलवाया गया और उनको यह कहा गया कि आपने जो लिखा उसको सबस्टेन्सियेट किया जाय लेकिन उनके द्वारा उन बातों को सबस्टेन्सियेट नहीं किया गया जो फाइल पर आज भी मौजूद है। जो बातें कहीं गई इस बारे में उन माननीय सदस्य ने कुछ उनकी आधी सूचना के आधार पर बातें कह दी शायद वे पूर्ण सूचना प्राप्त न कर सकें हों।

मैं साथ में निवेदन करूं कि उन्होंने कहा कि पीले-पीले लाल-लाल निशान लगे हैं। सही बात है यह और उन निशानों की वास्तविकता यह है कि जो किताब ब्लेक लिस्ट की गई उन पर निशान लगे हैं और दूसरे निशान जो लगे हैं वह उन पर लगे हैं जो ब्लेक लिस्ट की गई किताबों की जगह रखी गई हैं। तो इसमें यह चतुराई तो कही जा सकती है कि कौन से पेन्सिल के निशान हैं वह जो उन्होंने बताये। पर इससे तथ्यों पर कोई असर पड़ता हो ऐसा इससे साबित नहीं होता।

दूसरी बात जो कही गई कि २२ तारीख को हैड रिव्यूअर और रिव्यूअर दोनों ने मिल कर जो राय दी वह एक थी और ८ तारीख को दूसरी राय थी वह राय क्यों दे दी। तो मैं निवेदन करूं कि जो २२ को दी गई और जो ८ तारीख को दी गई, उन दोनों रायों में एक दूसरे से कोई मैटीरियल मतभेद नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—२२ तारीख को यह लिखा था कि No number was placed for that book.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

और ८ तारीख की राय में यह लिखा है कि It may be treated as No. 11, यह material difference है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मैंने निवेदन किया कि जो नोट लिखा हुआ है २२ का और दूसरा बाद में जो दिया उनमें कोई अन्तर नहीं है । नोट में पहले जो लिखा गया उसमें नम्बर नहीं है बाद में जो दिया गया उस पर तो एक ही नम्बर है नम्बर २ । इसलिये पहला नोट जो दिया गया वह दूसरे से भिन्न था यह मैं नहीं कह सकता क्योंकि इस कागज पर एक ही नम्बर है ।

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कल बातें सदन के समक्ष आई उस संबंध में कुछ जानकारी आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयत्न किया । उन माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि मैं उनके सामने तथ्य नहीं रखना चाहता इसलिये कि तथ्य रख दिये जावें तो न मालूम क्या क्या चीजें इसमें से आ जावें । पर अध्यक्ष महोदय, जिन फाइलों के बारे में मैंने कहा उनकी पूरी जानकारी मैंने की । मैं इसके साथ यह भी कह दूं तो गलत नहीं होगा कि इस सारे किस्से को मैंने अपनी योग्यता के अनुसार पूरी डिटेल में एग्जामिन करने का प्रयत्न किया और मैंने यह उपयुक्त समझा कि जैसा आम तौर पर प्रोसीजर होता है कि जिन चीजों जिन रेकार्डों और जिन फाइलों के बारे में कहा गया उन सबको मैं आपके (श्री अध्यक्ष के) समक्ष रखूं बजाय इसके कि इनको उनके सामने रख कर उनके साथ चर्चाओं में पड़ जाऊं ।

श्री किशनलाल शाह--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह कहने को तैयार हैं कि इस प्रस्ताव के पहले अनुच्छेद के चौथे भाग में जो यह लिखा है कि वे ऐसे काम करने के आदी हैं तो क्या इस दृष्टिकोण से भी आपने इस मामले की छानबीन की जिससे कि उनके (श्री मथुरादास माथुर) के सही इण्टेन्शन का पता लगता ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--I am sorry. This disturbance is not good.

श्री अध्यक्ष--Order please ? (घंटी) I have given the possession of the House to the leader of the House.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--यह तो कोई बात नहीं हुई । I don't wish there should be any confusion due to my attitude.

तो यह बात संक्षेप में रखी । अब एक बात की चर्चा जो आम तौर से आती है और इस विषय पर विचार करने के अन्दर मेरे दिमाग पर भी जिस चीज का वजन बराबर रहता है, मैं स्पष्ट कहूं, वह यह है कि जितनी जानकारी यहां या बाहर उन केसेज के संबंध में, प्रकट रूप से और अप्रकट रूप से मुझे जहां तक हुई, यही जानकारी प्राप्त हुई है कि इन्क्वायरी कमेटी एस्टेब्लिश तभी की गई है कि जब फाइनेन्सियल गेन उस व्यक्ति विशेष का साबित हुआ है । मुद्गल केस में बहुत स्पष्ट तौर से यह है कि वह कण्ट्राक्ट कि जो उन्होंने बुलियन एक्सचेन्ज के साथ किया इन्क्वायरी सैट अप करने से पहले कागजों पर साबित हो गया था । यह भी कहा गया कि फलां मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया । तो वह

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]
कब, जब कि सीक्रेट उसने ग्राउट कर दिये। तो जो मिनिस्टर है वह सीक्रेट ग्राउट कर दे तो उसे तो इस्तीफा देना पड़ेगा ही। हमारी ग्रोथ के मुताबिक देना पड़ेगा। वह प्रोसीजर हम यहां पर इस केस में एडोप्ट करते हों ऐसा मुझे नहीं लगता क्योंकि वह सीक्रेसी की जो बात थी उससे उसको फाइनेन्सियल गेन हुग्रा। बजट के लीकेज में ऐसी बात हुई है। पर जो उदाहरण हमारे सामने ग्राये हैं उसका पैरेलल केस मेरे सामने कोई दूसरा नहीं देखने में ग्राया।

ग्रब यह कहा गया कि श्री दुर्गाबाई ने एक नोट दिया है ग्रौर उस नोट का जिक्र माननीय त्यागीजी ने ग्रपने रेजोल्यूशन की ताईद में दोहराया है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय ग्रापकी इजाजत से मैं उस सारे नोट को सदन में पढ़ देना चाहता हूं ग्रौर फिर ग्राशा करता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य हैं वे ग्रच्छी तरह ग्रपने ग्राप ग्रनुभव करें कि इसका कौन कितना पालन कर रहा है। इसके मुताबिक सबसे पहले तो जोधपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य, मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ प्रस्ताव ग्रावेगा मिसकण्डक्ट का कि जिन्होंने ग्रोफिसियल सीक्रेट प्राप्त करने के लिये प्रयास किया ग्रौर कहा कि मैं ऐसा किया करता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं इसके लिये तैयार हूं। ग्राप चाहें जो जांच करलें। इस तरह की धमकी देने से कोई ग्रसर नहीं होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Please don't interrupt me. तो उन्होंने जो नोट दिया है उसके ग्रन्दर बारह बातें कही हैं। पहली बात यह है, "The information given to members in confidence or by virtue of their being members of committees of parliament should not be divulged to anyone nor used by them directly or indirectly in the profession in which they are engaged such as in their capacity as editors or correspondents of newspapers or proprietors of business firms and so on.

(2) A Member should not try to secure business from the Government....

(3) A Member should not give certificates which are not based on facts.

(4) A Member should not make profit out of Government residence allotted to him by sub-letting the premises.

(5) A Member should not unduly influence the Government officials....."

यह इसमें ग्रा गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह माथुर साहब के लिये लागू होता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(6) "A Member should not receive hospitality of any kind for any work that he does or proposes to do from a person or an association

[श्री मोहन लाल सुखाड़िया]

(7) A Member should not in his capacity as a lawyer or legal adviser or a counsel or a solicitor appear before a minister or an executive officer exercising quasi-judicial power."

श्री हरिदेव जोशी—ये तो बीसियों होगये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—Please hear me.

"(8) A Member should not proceed to take action on behalf of his constituents on some insufficient or baseless facts.

(9) A Member should not permit himself to be used as a ready supporter of anybody's grievances or complaints.

(10) A Member should not endorse.................................. leaving amounts due to him.

(11) A Member should not elicit information from the Government in an unauthorised manner by inducing a subordinate to give information which in the course of his normal functions he should not do nor encourage any such person to speak against his senior officials on matters of public importance or policy.

(12) A Member should not write recommendatory letters to speak to Government officials for employment or business contacts for any of his relations or other persons in whom he is directly or indirectly interested."

श्री चन्दनमल बैद—लीकेज का क्वेश्चन १२ में नहीं ग्राता है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—मैं निवेदन करता हूं इसके संबंध में कि जो कोड ग्राफ कण्डक्ट इसमें दिया गया है उसके बारे में श्रीमती दुर्गाबाई ने कहा है कि उनके ये सुझाव हैं कि ये यू.के., यू.एस.ए. में लागू हैं। पार्लियामेण्ट इसके लिये कमेटी सैट ग्रप करे कि जो यह विचार करे कि हमारे यहां क्या होना चाहिये ?

ग्रब ग्रध्यक्ष महोदय, इसको हम ग्रगर मान कर चलें तो मैं समझता हूं कि मिनिस्टरों के सामने ग्रौर एग्जीक्यूटिव ग्रफसरों के सामने कोई लायर ऐसा नहीं मिलेगा यहां बैठा हुग्रा कि जो उनके सामने नहीं जाता हो, मुकद्दमों ग्रौर केसों की पैरवी करने के लिये। मिनिस्टरों के पास इण्डस्ट्रीज के या ग्रन्य ऐसे ही जो बहुत बड़े बड़े केसेज होते हैं कण्ट्राक्ट्स होते हैं उनके ग्रन्दर जो माननीय सदस्य पैरवी करते हैं वे हम से छिपे नहीं हैं।

ग्रौर इसमें यहां पर बताऊं इस केस में कि इसमें तो यह डिस्प्यूटेबल है कि फाइनेन्शियल गेन हुग्रा या नहीं, पर जो वकील बन कर पैरवी करने ग्राते हैं उनको तो फाइनेन्शियल गेन स्पष्ट है। तो

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]
इस बेसिस को जिसको हम यहां पर सामने लेकर चलते हैं उसके एक हिस्से को तो मान कर चलना चाहते हैं और एक हिस्से को नहीं । फिर उस हिस्से के अन्दर भी जैसा मैंने कहा इस बात को कहा गया है कि डाईरेक्ट और इन्डाईरेक्ट परसनल गेन होना चाहिये और फाइनेन्शियल गेन का जहां तक सवाल आता है, जहां जहां हमने दूसरी जगह देखा कि जो इन्क्वायरी सैट अप की गई उन उन जगहों पर इन्क्वायरी सैट अप करने से पहले फाइनेन्शियल गेन की बात एस्टेब्लिश हो गई ।

आज मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि भाषण देने के अन्दर यह बातें कही गईं। मुझे अफसोस है कि आज यह प्रस्ताव था जिसको कि यहां राजनैतिक स्वरूप दिया गया है। वह न केवल माथुर के खिलाफ है बल्कि सरकार के खिलाफ है ।

श्री जयनारायण व्यास—On a point of order, sir, the Hon'ble Leader should not use the word 'Mathur' but 'Shri Mathur'.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने माननीय माथुर कहा है । I am sorry. मेरा खयाल है कि मैंने माननीय माथुर कहा है । हो सकता है ।

तो, अध्यक्ष महोदय, इस अवसर को एक राजनैतिक अवसर की तरह कुछ माननीय सदस्यों ने उपयोग में लाने का प्रयत्न किया है । एक माननीय सदस्य जो इस पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रचार के लिये सारी की सारी बातें इस प्रकार की की जाती हैं । वोट के अन्दर स्वतन्त्रता होनी चाहिये । सारी बातें यहां जो उन्होंने कही हैं इस सदन के अन्दर हर एक को स्वतन्त्रता है। प्रश्न इस बात का है कि यह एक गम्भीर विषय है। माननीय माथुरजी के केस की इन्क्वायरी में कोई चीज साबित नहीं होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन परम्पराओं की बातों पर हम इन्क्वायरी सेट अप करना चाहते हैं वह परम्परा यह है कि जिनके खिलाफ इन्क्वायरी सेट अप की गई उन्हें फाइनेन्शियल एडवान्टेज हुआ है, यह इन्क्वायरी सेट अप करने से पहले एस्टेब्लिश हो और वह एस्टेब्लिश होने के बाद इन्क्वायरी सेट अप की जाय। साल भर पहले बहस चली थी चिट्ठी वाली बात पर। चिट्ठी वाली बात सामने होते हुए भी सारे सदन ने पर्याप्त नहीं समझा कमेटी एस्टेब्लिश करना और स्पीकर महोदय और मुझे काम सौंपा कि जांच की जाय, तो जांच करना, जैसा मैंने कहा कि पर्याप्त नहीं था एक समय वही कारण आज पर्याप्त कैसे हो जाता है इस कमेटी को एस्टेब्लिश करने के लिये । तो यह आवश्यक है कि किसी भी माननीय सदस्य के कन्डक्ट के बारे में हम कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो यह एक गम्भीर प्रश्न है क्योंकि यह उनके क्रेडिट का सवाल है। किसी ने कहा तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्रेडिट की दृष्टि से देखते हैं लेकिन जो माननीय सदस्य इतने लम्बे टाइम तक बोले वे महरबानी करके क्रेडिट की तरफ नहीं देखें और इस प्रश्न के मेरिट्स पर हम आयेंगे कि उसका असर क्या हो सकता है उस तरफ को देखें। क्या आप इन्क्वायरी सेट अप कराने का, प्रोसीजर सदन के अन्दर स्वीकृत कराना चाहते हैं, तो जहां फाइनेन्शियल क्वेश्चन एस्टेब्लिश नहीं होता है। जहां कि यह बात एस्टेब्लिश नहीं होती है कि इस प्रकार की बात हुई है तो जैसा कि मैंने आप से निवेदन किया कि यह तो साबित नहीं होता है कि एक लेटर की वजह से इस किताब के बारे में स्पेशल एडवान्टेज हुआ हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल निवेदन किया व आज भी

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]
करना चाहता हूं कि यह घटना ५१ से चली आ रही है। इस घटना के बाद इस सरकार ने कुछ किया है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि कहा गया है कि दो लाख का आर्डर दिया गया तो दो लाख का आर्डर फ्रन्टियर पब्लिकेशन को नहीं दिया गया है। इस सरकार ने रिफ्यूज किया है। इसके लिये जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने इस काम के लिये उसका नाम सजेस्ट किया था, प्रोपोज किया था लेकिन मिनिस्टीरियल लेवल पर इसको रिफ्यूज किया गया है कि आर्डर नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि २ लाख के आर्डर के लिये उन्होंने इसकी जानकारी पहले प्राप्त कर ली और इस प्रकार से पहले पेम्फलेट निकाला था और एडवरटाइजमेंट किया था इसलिये उनको ब्लेक लिस्टेड किया। उनको ब्लेक लिस्ट ही नहीं किया है बल्कि इस किताब को भी २० रोज पहले हम ब्लेक लिस्टेड कर चुके हैं। (करतल ध्वनि) कोई यह समझ कर न चले कि किसी का पक्ष करना चाहते हैं या यह या वह करना चाहते हैं। हम इन्डिपेन्डेन्ट एक्शन लेना चाहते हैं, फैसले करना चाहते हैं, लेकिन एक बात मान कर चलता हूं कि एक माननीय सदस्य से नाराज हो जाने के तरीके से यह बात कहें और किसी अपार्चुनिटी को युटिलाइज करके, उसको पोलिटिकल पोइन्ट बना कर उस इश्यू को प्रेस करें तो मैं समझता हूं कि वाजिब नहीं होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस प्रस्ताव के पीछे राजनतिक स्वरूप है, वह ठीक है और जो कि बहस के अन्दर से स्पष्ट होता था। कुछ लोगों ने बोलने के अन्दर, अध्यक्ष महोदय मुझे क्षमा करें, कुल मिला कर यह रखा कि मैं डेमोक्रेट तब होऊं जब कि उनकी राय मान लूं वर्ना मैं डेमोक्रेट नहीं रहता यदि मैं अपनी इन्डिपेन्डेन्ट राय कायम रखूं। मैं नहीं समझता कि डेमोक्रेट के लिये यह लाजिमी है कि कोई उदाहरण नहीं लेकर जहां फाइनेन्शियल क्वेश्चन नहीं बने तो भी इन्क्वायरी सेट अप कर दे। उसका उदाहरण तो बतलाइये, किसी लेजिस्लेचर का किसी पार्लियामेंट का। वह नहीं बतलाकर अन्डेमोक्रेटिक मेजोरिटी के जोर पर करना चाहते हैं, यह करना चाहते हैं, वह करना चाहते हैं, यह कहा जाय तो मैं यह कहूं कि मुझ पर एक पोलिटिकल तरीके से यह कराना चाहते हैं कि जो चीज कहीं नहीं हुई हो उस चीज को राजस्थान के अन्दर करूं।

आज मैं इन सारी बातों को इसलिए रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार बहस की गई है, जिन बातों पर जाना चाहिये था वह बातें सामने आतीं तो यह प्रश्न अलग होता कि पोलिटिकल स्वरूप इस प्रकार से दिया जाता है, किसी घटना को दिया जाता है। कहा जाता है कि टाप करने का तरीका यह है। मेजोरिटी बनाये रखने का तरीका यह है। मैं समझता हूं कि जैसे राजप्रमुख के भाषण पर बहस हो रही हो उस प्रकार से इस पर बहस चल रही है जब कि एक इन्डिविजुअल मेम्बर के कन्डक्ट का आज यहां प्रश्न इन्वोल्व्ड है उस पर डिस्पेशनेटली विचार किया जाय। उसे एक प्रकार से ट्विस्टेड रखना चाहते हैं। दुर्गाबाई ने क्या कोड सजेस्ट किया है? उनके सजेशन के अन्दर ऐसा कहा गया है। अगर उसको मानते हैं तो उसके परिणाम पर जाइये तो कई माननीय सदस्य कहेंगे, यह दूसरी बात है कोड नहीं है, अधिकांश यह कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है कि वकालत करने के लिये किसी एक्जीक्यूटिव आफिसर के सामने नहीं जाय, मिनिस्टर के सामने नहीं जाय। हम जानते हैं कि कितने माननीय सदस्य इसके लिए कहते हैं, कितने इस मामले में कहते हैं। इसको एक विशेष दृष्टि से देखना चाहिए।

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

मैं, अध्यक्ष महोदय, इसका एक पहलू और रखता हूं जो कि मेरे दिमाग में असर रखता है। फाइल्स के फेक्ट्स पर साबित नहीं होता कि वास्तव में माननीय माथुर का जैसा कि कई सदस्यों ने कहा कि हजारों लाखों का इन्ट्रेस्ट है; हजारों या लाखों का इन्ट्रेस्ट होता है तो यह एक मनोवैज्ञानिक फेक्ट है कि वह एक छोटी सी स्लिप लेकर काम नहीं करायेगा। वह स्वयं वहां जा कर, बैठकर, परिचित व्यक्ति से स्वयं बातचीत करके काम कराना चाहेगा। वह एक छोटी सी स्लिप नहीं भेजेगा। तो इस तरह से सोच कर चलें कि खुद का क्वेश्चन कितना है, उस बात को देखें तो मैं समझता हूं कि वह कुछ रोशनी डालने वाली बात होगी। मैं उसके लिए भी नहीं कहता। उसको आप पूरा मानलें, लेकिन सोचने के लिए यह भी एक कारण हो सकता है कि इसको भी सामने रखकर विचार करें तो दरअसल में जो आप सोचते हैं वह बात साबित नहीं होती है। जब कहा जाता है कि साबित कीजिये तो कहते हैं कि इन्क्वायरी की स्टेज पर साबित होगा। मैं नहीं समझता कि फाइल्स पर तो माननीय माथुर को क्या प्रोफिट हुआ है निकलने वाला नहीं है, फिर उसकी जानकारी हो सकती है तो बाहर ही हो सकती है कि उनको एडवान्टेज हुआ या नहीं हुआ? जहां पर्सनल एडवान्टेज का प्रश्न है, फाइल्स की इन्क्वायरी में जाने पर जो नोट्स हैं उनसे यह नहीं निकलेगा। आप कोई आंकड़े दीजिये। फेक्ट्स करीब २ बहस के अन्दर आ चुके हैं।

बहुत सी बातें इस सदन के अन्दर आई हैं बहस में और इस संबंध में इस गवर्नमेंट को इतना जोड़ा गया है और नेशनेलाइजेशन आफ टेक्स्ट बुक्स की बातें कही गई हैं। मि० वर्मा के इस्तीफे की बात लाई गई है। कुछ न कुछ होने के कारण इस्तीफा दिया गया है। तो मैं निवेदन करूं कि श्री मदन मोहन वर्मा ने इस्तीफा दिया उसका कारण उस वक्त की गवर्नमेंट थी, मौजूदा नहीं। इस गवर्नमेंट ने तो नेशनेलाइजेशन की पालिसी के बारे में जो नेशनेलाइजेशन बोर्ड ने अपनी तरफ से नोट्स भेजे हैं उनको डिट्टो स्वीकार किया है और अगर कोई बात लिखी है तो एक जगह यह है कि वह प्राइवेट प्रेसेस को काम सौंपना चाहते थे लेकिन मैंने कहा कि प्राइवेट प्रेसेज को काम सौंपने के पहले कोई न कोई ऐसी स्कीम निकालनी चाहिये क्योंकि उस वक्त आप लोगों को याद हो कि जगत नारायण का केस पंजाब के अन्दर चल रहा था। उन्हीं दिनों नेशनेलाइजेशन बोर्ड ने सजेशन दिये थे। इसके बारे में मैंने कहा था कि हम गवर्नमेंट प्रिन्टिंग प्रेस के जरिये अपनी टेक्स्ट बुक्स छपवायें तो अच्छा होगा। इस मामले में इतनी सी चीज उनके और कुछ मेम्बर्स के बीच में हो सकती है तो केवल यही थी कि प्रोग्रेस स्लो होनी चाहिये नेशनेलाइजेशन की तरफ, प्राइवेट इन्टरप्राइज को बिल्कुल समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। इस विषय के अन्दर गवर्नमेंट की तरफ से कोई विपरीत बात इस संबंध में नहीं कही गई है कि नेशनेलाइजेशन मत कीजिये। नेशनेलाइजेशन करने की बातचीत के अन्दर समय गुजरा उसकी वजह से यह किताब रही, तो एक नहीं कई किताबें जिनके बारे में शिकायतें थीं वे भी कायम रहीं। समय नहीं था, जो बातें हैं वे मार्च में आयीं, किसी तरह से लड़कों को किताबें सप्लाई कर सकें। जो स्टेप्स हमने लिये हैं, टेक्स्ट बुक्स के सम्बन्ध में पहले शिकायतें होती रही हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं, १।। साल के अर्से में, शिक्षा विभाग मेरे पास होते हुए मैं कह सकता हूं, टेक्स्ट बुक्स के लिए ओवर कोशियस हुए होंगे, उसके अलावा हमने यह कोशिश की कि वह बात हुई, इस बात की चर्चा की जा सके। इन बातों को करते हुए उनका खयाल किया।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

एक बात कही गई अध्यक्ष महोदय; कि हमने मिसेज भारतीया से क्यों नहीं पूछना उचित समझा। मैं निवेदन करूं कि मिसेज भारतीया जो इस कमेटी में थीं गवर्नमेण्ट की ओर से सन् ५४ में डिस्प्लेजर कनवे किया गया और जब डिस्प्लेजर कनवे किया गया तो रिपोर्ट में कुछ बातें कहीं थीं। उनको कुछ नहीं कहना था। आज भी कहना चाहती थीं तो कह सकती थी, कोई कारण नहीं मालूम होता। माननीय पालीवालजी ने कहा कि क्या कारण होगये कि मथुरालालजी शर्मा को लेटर लिख कर पूछा? मैंने कल भी निवेदन किया कि लेटर पहुंचा या नहीं पहुंचा, माननीय सदस्य ने जो कहा मैं उसमें पड़ना नहीं चाहता, लेटर लिखने का कारण था। श्री गनपत माथुर ने यह बात कही कि चिट्ठी नहीं पहुंचाई गई। उनको लिखा कि यह चिट्ठी पहुंची या नहीं पहुंची? उसके ऊपर कोई इण्टेन्शन नहीं। चिट्ठी पहुंचना या नहीं पहुंचना, कल जैसा मैंने जवाब दिया, दूसरी बात है किन्तु उनका जवाब आया कि उनको नहीं मिली, यह फैक्ट है। इस बात की शरण लेना चाहते हैं, या यह मुख्य बात है, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो बातें कहीं ज्यादातर वे बातें हैं जो फाइल पर से या दूसरी जगह के प्रोसीजर से बातें आती हैं, उन चीजों को हमने रखा है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मुझे ज्यादा और इस संबंध में कुछ नहीं कहना है क्योंकि बहुत सी बातों के ऊपर जो खास खास थीं मैंने अपनी राय जाहिर कर दी है। मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य इस पर विचार कर रहे हैं, इस प्रश्न के गहरे पहलू पर पूरी तरह खयाल करके निर्णय करें कि हम जो निर्णय लेने जा रहे हैं वह व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष की दृष्टि से नहीं सोचें बल्कि हम जो निर्णय करने जा रहे हैं उसका परिणाम आगे जाकर दूसरे सदस्यों के लिये तथा और जगहों के लिये क्या हो सकते हैं। मैंने जैसा कल निवेदन किया रिव्यूअर्स की स्टेज पर, हैड रिव्यूअर्स की स्टेज पर, टैक्स्ट् बुक्स कमेटी की स्टेज पर, गवर्नमेण्ट की स्टेज पर किस प्रकार सिलेक्शन हुआ, इस लेटर ने इन्फल्यूएन्स नहीं किया। अब भी निवेदन किया। एक फैक्ट और निवेदन कर दूं कि ८ तारीख के बाद वापिस नोट करने का सवाल आया। उसका कारण यह था कि २२ के बाद और किताबें आईं जिनकी कि पोस्टल डिलिवरी नहीं हुई थी और उसके लिये गवर्नमेण्ट ने कहा था कि उनको एक्जामिन किया जाय। वह २२ को फैसला न होकर ८ को हुआ और २२ को नोट.....

श्री हरिकृष्ण व्यास—२२ को फैसला २ का था और ८ को १ का था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उस वक्त महानुभाव नहीं थे। ८ वाले फैसले में और २२ के फैसले में मतभेद जाहिर नहीं होता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं निवेदन कर रहा था पूरे फैक्ट्स और इस बात को रख रहा हूं कि श्रीमती दुर्गाबाई ने जो कुछ लिख कर दिया जिनके पैराग्राफ को यहां कोट किया गया था। यदि उन चीजों को रख कर विचार करते हैं तो बाकी के जो ६ हैं उनका कहीं अमल नहीं हो रहा है। यहां छोड़ कर पार्लियामेण्ट में भी अमल नहीं हो रहा है। इन सारी चीजों को मान कर चल रहे हैं,

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]
वह स्टेण्डर्ड चीज़ है उसको मान कर चलना चाहिये । उस स्टेण्डर्ड के लिये यदि कोई कमेटी बनायें, अध्यक्ष महोदय, तो जिसके लिये मुझे कोई एतराज नहीं होगा, कोड के बारे में वह कमेटी बैठाइये । कोई सिफारिश करे और ऐसी बातें हों, पसन्द नहीं करता, ये चीजें हों । मुख्य चीज जो कराना चाहते हैं, इन्क्वायरी सेट अप कराना चाहते हैं जिसकी कन्वेन्शन्स, परम्परायें दूसरी धारा सभाओं और बाहर के उदाहरण भी नहीं मिलते हैं, उन पर बिना गौर किये इन्क्वायरी की जाय और इसलिये इन सारे कारणों में जाकर पूरी जांच करके मैंने असमर्थता जाहिर की, कमेटी प्रोपोज करने में अपने आपको असमर्थ पाता हूं और मैं समझता हूं माननीय सदस्य भी जो बातें मैंने प्रस्तुत की हैं उन पर विचार करेंगे तो शायद इस खयाल पर पहुंचेंगे कि उसमें बल है । बिना बल के मैंने बातें नहीं कहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय, एक बात आई इस किताब के बारे में, पेनल्टी रिड्यूस करने के लिये आई । इतनी ठेठ से ठेठ तक चलती रही । मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, कि न सिर्फ इस किताब को बल्कि तीन चार किताबों की कम की गई । साहित्य सदन वालों की बातें थी उनकी कम की गई, वर्द्धमान पुस्तक भण्डार, आगरा, उसकी कम की गई, एक और किताब रहती है जिसकी पेनेल्टी कम की गई । जो पेनेल्टी कम की गई तो वह कम क्यों की गई, मैं समझता हूं वह तो मेरे बजाय भोलानाथजी रीजन ज्यादा दे सकते हैं वल्कि मैं यहां देता हूं । किन कारणों से किया ? मथुरादासजी माथुर के प्रभाव से किया ? कम की गई उस वक्त में, उस सारी चीजों का उत्तर मेरे ऊपर आया, वे सारी बातें रेकर्ड पर आयीं, मेरे ऊपर क्यों, मैं तो सन ५३-५४ का जवाब दे रहा हूं । यह मेरे समय की घटना नहीं है । कुछ हालात उस समय हुए हैं, बिना पूरा संतोष किये, बिना पूरी जानकारी के कि जिनके ऊपर प्रोसीड कर सकें, मैं इन्क्वायरी के लिये प्रस्ताव रख दूं, नहीं रखता हूं तो डेमोक्रेटिक नहीं हूं, सारे के सारे सिद्धान्त खतम हो जावेंगे, मैं समझता हूं वे इस प्रस्ताव को रखने से खत्म हो जावेंगे और कहा गया कि संरक्षण देना चाहते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महज इन्क्वायरी कमेटी बिठाने से यह कोमन हो जाने वाली है, आसान हो जायगी किसी के लिये, जो कि ऐसा कहीं नहीं हुआ, माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा काफी महत्वपूर्ण है । इस प्रकार के कदम को न उठाया जाय । उस चीज़ को सामने रखते हुए कमेटी एस्टेब्लिश नहीं करें । मैं समझता हूं जो बातें मैंने कही हैं उनको एप्रीशियेट करेंगे ।

श्री किशनलाल शाह—एक बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य क्या आदेश देते हैं, पोजिशन पर हस्तक्षेप नहीं किया गया, इस दृष्टिकोण से इस घटना पर क्या असर पड़ता है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—दो बातें हैं । (घंटी)

श्री किशनलाल शाह—आपकी यह आलोचना है, उसकी शव-परीक्षा कर तो इस घटना पर क्या असर पड़ता है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान समय की ओर दिला दूं तो अच्छा होगा । माननीय माथुरजी को जवाब देना है और त्यागीजी को देना है और ये जवाब काफी लम्बे होंगे, सदस्यों को मजा देना ठीक नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, एक क्लेरिफिकेशन वे देने के लिये तैयार हों तो रिक्वेस्ट करना चाहिये । सदन के नेता माननीय सदस्यों को सफाई दें ।

अध्यक्ष महोदय, जितनी बातें उन्होंने कहीं उनमें एक बात का उत्तर उन्होंने नहीं दिया जो यह कि ३० नवम्बर, १९५५ तक वे इस बात के लिये तैयार थे "I am prepared to associate you with this enquiry." ३० नवम्बर के बाद वह कौनसी विशेष बात हो गई कि उन्होंने अपनी राय बदल दी ? इसका जवाब देदें, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष—कोई जवाब नहीं दिया है ?

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय, मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना है ।

श्री जयनारायण व्यास—मैं पहले जो फैसला चाहता हूं वह यह कि हाउस कब एडजोर्न होने वाला है । मैं निवेदन करूंगा कि अब एडजोर्न किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—श्री मथुरादासजी ५ मिनट लेना चाहते हैं ।

श्री वेदपाल त्यागी—मुझे घंटा भर लगेगा ।

श्री अध्यक्ष—यह कैसे होगा ?

श्री वेदपाल त्यागी —मेरे बाद में कई स्पीचेज हुई हैं जिनका मुझे जवाब देना है ।

श्री अध्यक्ष—पहले श्री माथुर साहब का जवाब हो जाय ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे भी पर्सनल एक्सप्लेशन देना है । मुझ पर इल्जाम लगाया है कि दस्तावेज चुराते हो, मुझे उसका एक्सप्लेनेशन देना है ।

श्री जयनारायण व्यास— On a point of privilege, Sir, I move that the House be now adjourned in order to give facility mental and otherwise, to members to give vent to their feelings and views. This is a point of privilege that the House be adjourned to Monday.

श्री नरसिंह—वास्तव में ५।। घंटों तक लगातार सुनना मुश्किल है, बोलना तो आसान है ।

श्री अध्यक्ष—(सदन के नेता से) पोईन्ट ऑफ प्रिविलेज उठाया है, टाइम हो गया है उसके बारे में ।

श्री गोपोलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, लन्च के लिये ब्रेक होना चाहिये और वह श्रीमान् की तरफ से या त्यागीजी की तरफ से यहीं सर्व होना चाहिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लीडर ऑफ दि हाउस की तरफ से क्यों, नहीं ?

श्री अध्यक्ष—श्री भोलानाथ जी कितना समय लेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—पोइन्ट ग्रोफ प्रिविलेज का पहले फैसला हो जाय ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—१२ बजे समाप्त होने का सवाल था लेकिन उसके बाद लगभग डेढ़-दो बजने आये हैं, इसलिये अब समाप्त होना चाहिए और बजने पर प्रतिबन्ध होना चाहिये ।

श्री किशनलाल शाह—आपको बहुमत की घबराहट और दूसरी तरफ गर्मी की लाय ।

श्री हरिदेव जोशी—अभी जरा कुछ समय तक और बैठ लें । अब तो सिर्फ माथुर साहब और त्यागी जी को जवाब देना है । हमने यह सोच कर कि बहस खत्म हो जायगी, बाहर जाने का कार्यक्रम बना रखा है, इसलिये हमें बाहर जाना जरूरी है : ऐसी सूरत में आज निर्णय होना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य—आपने निर्णय दिया था इसलिये हमने अपना कार्यक्रम बनाया था ।

श्री भोलानाथ—अब हम ६ महिनों के लिये घर जाने की तैयारी कर रहे हैं । जिनको थकान महसूस हो रही है उनको बता दीजिये कि ६ महीनों के लिये घर जा रहे हैं ।

श्री किशनलाल शाह—(अश्रव्य)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य इस बात पर रजामंद हों तो घंटे डेढ घंटे के बाद मिल और जावें ।

श्री विशंभरनाथ जोशी—Other engagements are there. यह तो आज न होकर २१ पर ही रखा जावे ।

श्री किशनलाल शाह—आप यह कह दीजिये कि ....

श्री भोलानाथ—मण्डे को चीफ मिनिस्टर साहब की दावत और है इसलिये २१ को रखनी चाहिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपको दावत बिना इस हाउस के भी दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—What is there ? पोइन्ट ग्रोफ प्रिविलेज रखा है । कन्वीनियेन्स जो भी समझें वैसा करलें । क्या इस पर वोट लेने की जरुरत समझेंगे ?

श्री वेदपाल त्यागी—यह आपके डिस्क्रीशन पर है ।

श्री अध्यक्ष—मैं यह कह चुका था कि आज समाप्त होनी चाहिये ।

श्री वेदपाल त्यागी—सरकमस्टासेज ही ऐसे हैं कि समाप्त नहीं हो सकी ।

श्री विशंभरनाथ जोशी—हमको सजा क्यों दी जाती है ?

श्री श्रीदास गोयल—आज के लिये फरमाया था उस समय भटनागरजी, रामकरणजी आदि के बोलने का प्रश्न नहीं था। सभी बोल सकते हैं तो सबकी कन्वीनियेन्स भी देखनी चाहिये।

श्री रामकरण जोशी—प्रिविलेजेज़ पहले से ही बनी हुई हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, यह भी बार बार कहा जा रहा है कि हमने तय कर लिया था कि आज खत्म करना है। यह सही है, लेकिन कुछ वाकयात बीच में ऐसे हुए हैं तो उसकी जिम्मेदारी अपनी नहीं है। कोड ऑफ कण्डक्ट पढ़ कर लीडर ओफ दि हाउस ने प्रश्न उठाया और मुझ पर इल्जाम लगाया; इस पर पहला मोशन उन पर आयेगा। ये दो इल्जाम लगाये और दूसरे के पर्सनल एक्सप्लेनेशन का टाइम मांगा तो टाइम बढ़ेगा ही। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये थीं। आपने जब ऐसी बात उठाई हैं तो उनका जवाब होना बाकी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं नहीं समझता कि मैंने जो बात कही है उस पर पर्सनल एक्सप्लेनेशन की बात आती हो, ऐसी बात नहीं है। सारी बातें कहीं, उनके बारे में कहना चाहते हो तो आपका डिस्क्रीशन है। इस संबंध में काफी बहस हो चुकी है और कार्यक्रम निश्चित हो चुका है। लंच का सवाल है, अभी ब्रेक करके ४ बजे वापिस मिल सकते हैं।

श्री विशंभरनाथ जोशी—We have engagements which we have to attend.

श्री अध्यक्ष—Order please!

श्री वेदपाल त्यागी—मेरा निवेदन यह है कि यद्यपि कल इस बात का निर्णय हो चुका था कि अभी खतम किया जायगा लेकिन जिन लोगों के नाम कल लिखे गये थे उनके उपरान्त भी लोगों ने भाषण दिये हैं। कुछ बातें ऐसी आईं जिनमें पर्सनल एक्सप्लेनेशन का सवाल आया है। यह नहीं है कि कल निश्चय हो गया तो उसको बदला नहीं जा सकता। यह इस सेशन का लास्ट डे है। इस विषय में हमारे मुख्य मंत्रीजी को इतना ज्यादा इन्सिस्ट नहीं करना चाहिये उस हालत में जब कि २१ तारीख को उनकी तरफ से दावत भी होने वाली है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, दावत तो बिना प्रस्ताव के भी दे दूंगा। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमने कल यह फैसला कर दिया था कि आज इसको खत्म कर दिया जायगा। १२ बजे समाप्त करने का सवाल था। अब डेढ़-दो घण्टे और लगें? मैं यह कहूंगा कि शाम को मिल कर इसे खत्म कर दिया जाय।

श्री वेदपाल त्यागी—आज शाम को शादियें वगैरह हैं, वहां पर जाना है। इसके अलावा गर्मी का मौसम है। ऐसी क्या जल्दी है.....

श्री बी० एन० जोशी—On a point of information, sir, many of us have got pre-existing important engagements which cannot be cancelled at such short notice and the members want to go.

(घंटी)

[श्री बी. एन जोशी]

नोटिस निकल चुके हैं, हमें कहीं जाना है ।

श्री नरसिंह—माननीय अध्यक्ष, निवेदन है कि हम ६ घण्टे तो बैठ गये हैं और अब शाम को ३ बजे और बैठें तो मेरे खयाल से उचित नहीं होगा । शाम को बैठने की इच्छा नहीं है । अगर आपकी यही इच्छा है तो कल सुबह या परसों कर लीजिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हमारे देश की पार्लियामेण्ट ८ घंटे बैठती है, ऐसी क्या बात है ?

श्री नरसिंह—हमारी पार्लियामेण्ट में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं ।

श्री जयनारायण व्यास—माननीय अध्यक्ष, पार्लियामेण्ट ७।। बजे से काम करने नहीं बैठती है, वहां पर १०।। बजे से काम शुरु होता है । इसके अलावा वहां पर लंच का इन्तजाम होता है । आप थोड़े ग्रेसफुल्ली हो सकते हैं, थोड़े पैसे ज्यादा खर्च हो जायेंगे । पैसे तो यों ही बहुत खर्च हो चुके हैं । जिन लोगों को काम है वे जाकर सोमवार को वापिस आ जावेंगे ।

श्री रामकरण जोशी—शनिवार को भी आज हम बैठे हैं, और और दिन तो ८ बजे से १२।। बजे तक बैठते हैं और आज ७।। बजे से १।। बजे तक बैठे हैं । इस समय तो बेगारी को भी छुट्टी मिल जाती है ।

श्री जयनारायण व्यास—दावत के लिये भी तो उस दिन निमन्त्रण है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लीडर ओफ दी हाउस से बातचीत करके इसका फैसला करलें ।

श्री अध्यक्ष—या तो अभी कण्टीन्यू करके खत्म किया जावे, नहीं तो फिर ३ बजे मिल जावें । (बाधा पहुंचने पर) Order please ! This is the last meeting and we will be dispersing after this motion is voted. So I give choice that either they should meet at 4.00 or on Monday.

(Voices in the House "Monday, Monday" and then Tumult, confusion and disorder.)

श्री अध्यक्ष—Then we sit now and decide.

श्री वेदपाल त्यागी—यह एक प्रकार का अन्ड्यू इन्फ्ल्यूएन्स है उन सदस्यों पर जो बिना खाना खाये हुए हैं । आज सब लोग ७।। बजे आये हैं । अब वे घर जावेंगे खाना खावेंगे । १।। बज चुके हैं, सब लोगों के पास गाड़ियें नहीं हैं । सबके पास सुविधायें नहीं हैं । बहुत से होस्टल में रहते हैं । ऐसी हालत में उनका आना मुश्किल हो सकता है । गर्मी का मौसम अलग है । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह की बात मेजोरिटी के आधार पर प्रेस नहीं की जावे । यह मुश्किल है कि ७।। बजे से शाम तक बैठे रहें । मैं यह कहूंगा कि इतना जल्दी यह प्रश्न समाप्त होने वाला नहीं

[श्री वेदपाल त्यागी]

है, इसमें जो समय लगेगा वह लगना चाहिये और वह लगेगा तथा वह समय देना पड़ेगा । इसलिये मण्डे को मिल कर इसको समाप्त करें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं यह निवेदन करता हूं कि आप खाना खाने के लिये जावें । इसलिये मैंने यह निवेदन किया है कि ५ बजे, ६ बजे, या ७ बजे मिल लें । इस पर आज ही निर्णय ले लिया जावे । अगर आप चाहें तो शाम को ७ बजे मुकर्रर करलें । कल सुबह बैठ जावें । कोई न कोई बात तय हो जाए ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब अध्यक्ष ने अपना निर्णय दे दिया और घोषणा करदी तो फिर इस तरह से ऐतराज क्यों किया जाता है ? वही लागू रहना चाहिये और मान लेना चाहिये ।

श्री बी० एन० जोशी—Many of us have pre-existing engagements which cannot be cancelled, e.g. I have got to go to a political Conference which is fixed with a Minister of the Central Government and therefore it is not possible to cancel it at such a short notice. There are so many other engagements. We never anticipated that we will be required to sit in the evening.

श्री अध्यक्ष—Ordinarily the list of business and the list of working days are fixed up with the consultation of the Leader and it stands so fixed and it is the last day for this motion. We have sat for over a day more. Now the Leader is prepared to sit on Sunday, what is the harm ? We can meet tomorrow.

(कुछ औपचारिक चर्चा के पश्चात्)

All right, because that would be the last day, we will meet on Monday at 8.00 A.M.

(सदन की कार्यवाही १ बज कर ३० मिनिट पर दिनांक २१ मई, १९५६ के ८-० बजे प्रातः तक के लिये स्थगित हुई ।)

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक–मई १९, १९५६ ।

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।